Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १६५६ का १०वां दिवस [संख्या २२

मंगलवार, १७ मार्च, १६५६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामेश्वरदयाल।

कोटा शहर में हरिजन बस्तियां

५६२. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कोटा शहर में स्वच्छ तथा व्यवस्थित आदर्श हरिजन बस्ती बनाने का विचार कर रही है ?

(ख) कोटा शहर में स्थित हरिजन बस्तियों में नल और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था का प्रश्न कितने वर्ष से सरकार के विचाराधीन है और अब किस स्टेज पर है ?

(ग) भाटापाडा वार्ड, कोटा नगर में स्थित हरिजन बस्ती के पास के सार्वजनिक लेटरिन्स को अब तक न हटाने के क्या कारण हैं, जब कि यह मामला आठ दस साल से चल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्ध रखता है, अतः उस विभाग की ओर से जानकारी प्राप्त होने पर उस विभाग के द्वारा उत्तर दिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्ध रखता है, अतः उस विभाग की ओर से जानकारी प्राप्त होने पर उस विभाग के द्वारा उत्तर दिया जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : तो अब तक उस विभाग से जानकारी क्यों नहीं प्राप्त कर ली गई, जब कि प्रश्न तो पहले ही आ गया था ? हम जानना चाहते हैं कि अब तक जानकारी क्यों नहीं प्राप्त हो सकी ?

Page No.2

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह अपने टर्न पर उत्तर देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रश्न यह है कि जब यह प्रश्न एडमिट हुआ होगा, तो उसकी बदस्तूर कार्यवाही हुई होगी और इस स्टेज पर कहा जाता है कि जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। What are those seeming reasons that can convince for a legitimate delay ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हमारी ओर से स्वायत्त शासन विभाग को भेज दिया गया है और अपने टर्न पर इसका उत्तर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

अजमेर कर्मचारियों के वेतन एवं वेतन शृंखला का संरक्षण

५६३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) What protection of pay and pay scale has been offered to officiating and temporary employees of Ajmer ? Does the rule apply to such employees of former Rajasthan State as well ?

(b) Is it a fact that pay and pay scale of officiating employees who officiated in a higher post for 3 years upto 31-10-56 have been protected by the Government of India and also by the Rajasthan Government vide rule (i) of the Rajasthan Service Protection Rules, 1957 ? If so, is it a fact that the Government reverted several officials satisfying this condition ?

(c) Will an Ajmer employee get protection of pay if he officiated in Ajmer State on a higher post for more than one year but reverted after integration ?

(d) Is it a fact that the Government of India in their general instructions issued under Sec. 115 of the States Re-organisation Act have asked all State Governments including Rajasthan Government to protect the total emolument drawn by employees of former States including Ajmer State on 31-10-56 and the Rajasthan Government has not complied with this ?

(e) Is it a fact that the Government of India in their general instructions about protection of service conditions of employees of former States have asked to protect dearness pay irrespective of the scale of the pay ? If so, whether it is a fact that the Rajasthan Government has not protected the dearness pay for those temporary employees whose pay, but not the scale, has been protected vide Rule 8 (i) of the Rajasthan Service Condition Rules ?

(f) Is it a fact that Ajmer employees have been allowed to draw pay on provisional basis since 1-11-56 and temporary employees have been asked to file a declaration that they will refund all over payments ?

Page No.3

(श्री पी. के. चौधरी)

(g) Is it also a fact that temporary employees of Ajmer State who had service of less than 5 years on 31-10-56 have not been given protection of dearness pay, the minimum of which is Rs. 20/-p.m. and they will have to refund it as per declaration ? If so, was the Government justified in issuing a Press Communique in early October, 1958 stating that there is no drop in emoluments of Ajmer employees with more than one year service ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (a) Regarding first part of the question, please see Rules 7 and 8 of the Rajasthan Services (Protection of Service Conditions) Rules, 1957. as amended subsequently vide notification No. F. 1 (104) Apptts. 'C'/56 dated 19th July, 1958. Regarding second part of the question-Yes. A copy of the Rajasthan Services (Protection of Service Conditions) Rules, 1957 as amended is placed on the table of the House.

(b) Regarding first part of the question- Yes. Regarding second part of the question-Information is not readily available, but the Rules only protect the scale and not the officiating status.

(c) No.

(d) Regarding first part of the question-No. Regarding second part of the question-This does not arise.

(e) Regarding first of the question-No. Regarding the second part of the question-This does not arise.

(f) The pay has been allowed provisionally since 1-11-56, but no orders for a declaration from the employees concerned were issued.

(g) Protection of dearness pay has not been given to such employees, but orders have been issued waiving the recoveries of over-payments made till 30-11-58. Thus there is no drop in emoluments in the case of temporary employees who had put in more than one year's service before 1-11-56. In view of this the Press Note was not misleading.

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : Regarding pay, you stated that you have not received any letter from the Government of India protecting their total emoluments. I can quote the letter here. The Government of India has in their letter No. 5/6/57-SR (S) dated the 27th March, 1957, in para No. 3, they have stated that the total emoluments will be protected. As regards the rules relating to...

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. I will just inform you. The letter referred to by the Hon'ble member is not certainly a directive to the Government, but it is only a suggestion by the Government of India and that

Page No.4

(श्री दामोदरलाल व्यास)

suggestion has been taken in view while determining these questions.

श्री पी० के० चौधरी : Is it not a fact that they suggested for the protection of the total emoluments ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not that...

श्री पी० के० चौधरी : Should I read out that paragraph ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, You can, I have also got that.

श्री अध्यक्ष : It was merely a suggestion and not a directive.

श्री पी० के० चौधरी : Does the Hon'ble Minister mean that they have departed in many cases from the suggestions contained in that particular letter ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This was not a directive, but it was only a question of expression of opinion by the Government of India. They said that on the question of protection of dearness allowance, the general sense among State representatives was that dearness allowance was variable in character and therefore there should be no question of protection as a matter of right in the case of such an allowance. The Govt. of India would be content to leave this matter to be decided by the State Governments themselves. This is only that.

श्री पी. के. चौधरी : I am not asking for Dearness Allowance. I am asking for the protection of total emoluments.

श्री दामोदरलाल व्यास : For total emoluments there was no protection. Ofcourse, there was a provision for permanent servants...

श्री अध्यक्ष : If you can relax, so far as the Dearness Allowance is concerned....

श्री पी. के. चौधरी : They have also said that you should see that the total emoluments of the employee is not reduced.

श्री अध्यक्ष : This is contrary.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have placed a copy of the letter on the table of the House. Where a permanent employee has been officiating continuously on a scale of pay for a period of not less than three years, but not less than one year immediately preceding 1-11-56 or would have so officiated, but for his officiating appointment to a post on a higher scale or proceding on leave or on deputation and continues to so officiate or would have continued to so officiate or would have continued to so officiate after tne appointed day. So these were the rules under section 7 which have been framed. Therefore, the question of protection of total emoluments does not arise. This governs the fixation.

Page No.5

श्री दामोदरदयाल (कोटा) : But was it a directive of a mandatory nature ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, I have already stated that there was no protection as such.

श्री पी० के० चौधरी : I was asking, whatever the recommendations or the suggestions the Government of India made, in how many cases you have deviated those rules ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We have not.

श्री पी० के० चौधरी : The Government of India had also stated therein, that the State Government would consider the desirability of providing for necessary adjustments being made in such manner as not to reduce the total emoluments drawn by a person immediately before reorganisation. I can lay that letter, in which they suggested that the total emoluments would not be reduced.

श्री दामोदरलाल व्यास : Read the whole letter and not a part of it. For D. A. I have already stated. You can yourself imagine. At some places, we have given protection to the pay and scale and for some we have protected only the pay. Therefore the total emoluments cannot be protected under this letter.

श्री पी० के० चौधरी : Was the Government foolish in making such ridiculous suggestion ?

श्री दामोदरलाल व्यास : They stated that the State Govt. may consider the desirability of protecting the total emoluments for permanent employees.

प्रश्न संख्या ५६४

श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

बीटिया पालड़ी जागीर का पुनर्ग्रहण

५६६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि बाली तहसील में बीटिया पालड़ी जागीर का जिसके जागीरदार श्री राव नरपतसिंह हैं, रिज़म्पशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) सरकार अब कब तक इस जागीर को रिज़्यूम करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं । यह जागीर पुनर्ग्रहित की जा चुकी है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेनाराम गहलोत : कब की रिज़्यूम ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् १९५८ में ।

प्रश्न संख्या ५१७

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

०

गांव हंजावा, तहसील पाली की जमीन की काश्त

५१८. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) गांव हंजावा, तहसील पाली में कौन कौन से खसरा ऐसे हैं जिनमें सेवज काश्त होती है ? उन खसरों की सूची दीजियेगा ।

(२) इन खसरों पर सन् १९५६, १९५७ व १९५८ में किन किन लोगों ने किसकी इजाजत से काश्त की ?

(३) इन खसरों का क्या क्या लगान किन किन से १९५६, १९५७ व १९५८ में वसूल किया गया ?

(४) क्या यह जमीन कच्छार की तारीफ में नहीं आती ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । यह काश्तकार बापीदार हैं ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । बापियों से ही वसूल किया गया ।

(४) यह जमीन कच्छार की तारीफ में आती है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जब कि यह जमीन कच्छार की तारीफ में आती है, तो पट्टे कैसे मिले खातेदारी के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि बापीदार है । बापीदार राइट्स का आपको पता होगा कि सैटिलमेंट डिपार्टमेंट उनके राइट्स को वापिस नहीं ले सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा: जिनको जमीन मिली है, वह कच्छार की जमीन है और हेमावास में कच्छार की इतनी ही जमीन है या और भी जमीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितनी जमीन है, यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जिन लोगों को इस जमीन के राइट्स दिये गये हैं और जिनके पास यह जमीन है, उनकी सूची मैंने आपके पास पेश कर दी है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि हंजावा गांव में कुल कितनी कच्छार की जमीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है यह सूचना कि कुल कितनी कच्छार की जमीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : जितने भी काश्तकार इसमें हैं वे बिल्कुल दूसरे गांव और तहसील के हैं और जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है ।

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है। आपीदार राइट्स को सैटिलमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट नहीं ले सकती है वापिस।

तहसील सिकराय में समाज कल्याण प्रोजेक्ट्स

श्री गज्जा पटेल (दौसा-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग की **ओर** से १९५९-६० में कितने प्रोजेक्ट्स कहां २ खोले जावेंगे ?

(ख) क्या उन प्रोजेक्ट्स में से १ प्रोजेक्ट तहसील सिकराय में खोला जा सकेगा, जो कि बिल्कुल पिछड़ा इलाका है ?

मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) समन्वय कार्यक्रम केअन्तर्गत १९५९-६० में निम्न ९ स्थानों पर योजनाएं खोलने का निर्देशन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ है :

स्थान	जिला
१. पंचमभद्रा	बाड़मेर
२. रायपुर	पाली
३. सिरोही	सिरोही
४. कोलायत	बीकानेर
५. निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
६. कोटरी	भीलवाड़ा
७. सिकराय	जयपुर
८. नादौती	सवाई माधोपुर
९. डेगाना	नागौर

(ख) जी हां।

श्री रामेश्वर दयाल (कोटा) : इन प्रोजेक्ट्स को खोलने का क्या आधार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस तरह से वहां की जो आवश्यकता ये होती हैं खोलने की उन्हीं आवश्यकताओं को देखकर उनके आधार पर खोला जाता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या ये प्रोजेक्ट्स ब्लॉक एरिया में खोले जाते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बोर्ड के द्वारा खोले जाते हैं विभाग के द्वारा नहीं।

श्री भीमसेन : मैंने कहा कि क्या यह प्रोजेक्ट्स ब्लॉक एरिया में खोले जाते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्य : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल : क्या यह बात सच है कि यह प्रोजेक्ट्स इन्डियारिक्रिमिनेटली खोले जाते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सत्य नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल : कोटा ज़िले में छबड़े के अन्दर जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है वहां क्यों नहीं खोला गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां की जनता की ओर से मांग नहीं आई होगी।

श्री रामेश्वरदयाल : अगर जनता की ओर से मांग नहीं आई तो क्या सरकार अपनी तरफ से या विभाग अपनी तरफ से विचार करके खोलने की व्यवस्था नहीं करे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मांग आना इस बात का सूचक है कि वहां आवश्यकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि कोटा ज़िले के कलेक्टर ने इस बात की रिकमन्डेशन की है कि ज़िले में विकास खण्ड खोले जायं तो पहले छबड़ा में खोला जाना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न विकास खण्डों के बारे में नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह समाज कल्याण बोर्ड की बात है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या यह सरकार सोचती है कि अगर मांग नहीं आये तो वहां इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कितनी भी आवश्यकता हो तो आवश्यकता के मुताबिक सरकार के पास में जनता की ओर से मांग आये।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या यह सही है कि मांग का न आना भी पिछड़ापन है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है। खुराक वहीं दी जाती है जहां भूख लगती हो।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या मांग आने पर आप खोल देते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोशिश करते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह मांग डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की मारफत आती है या कलेक्टर की मारफत ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा नहीं खोले जाते हैं और न सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। यह नॉन ऑफिशियल बोडीज़ इनको शुरू करती है और वही चलाती है। समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा मदद दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार से तो वह पैसे लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

ज़िला जालौर में लैण्ड एक्वीजीशन के पेंडिंग मुकद्दमात

६००. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जालौर में लैण्ड एक्वीज़ीशन के कितने मुकद्दमात पेंडिंग हैं और किस किस साल से ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ? मुकद्दमात पेंडिंग रहने के क्या कारण हैं ?

(२) स्टेट मर्ज होने के बाद आज दिन तक कितने मुकद्दमों का फैसला हो चुका वकम्पेन्सेशन दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) अब उन मुकद्दमों का फैसला कब तक हो जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) उप ज़िला जालौर में अब

(श्री दामोदरलाल व्यास)

केवल ११ मुकद्दमे पेंडिंग हैं । उपज़िला भीनमाल में ३ मुकद्दमात पैन्डिंग हैं जिनमें से २ सन् १६५५ के और १ सन् १६५७ का है । देरी का कारण यह है कि नोटिसेज़ गज़ट में शाया होने में समय लग गया ।

(२) स्टेट मर्ज होने के पश्चात् ६ मुकद्दमात में मुआवज़ा दिया जा चुका है. १४ मुकद्दमात खारिज़ किये गये तथा इस तरह से २३ मुकद्दमात निपटाये गये ।

(३) शीघ्र किया जायगा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : १६५५ के बाद चार साल हो गये फिर इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड एक्वीज़ीशन के कई प्रोसीज़र हैं, कई स्टेजेज़ में से होकर निकलना पड़ता है, सेक्शन ४, ६ और १७ के अंतर्गत नोटिस निकालने पड़ते हैं । इन सब में समय लगता है ।

श्री मूलचन्द डागा : फिर भी चार साल का टाइम नहीं लगता है, इन सब में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है तो साल भर का लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां ऑब्जेक्शन्स ज्यादा होते हैं फ्रेव्युलस क्लेम्स पेश हो जाते हैं तो इन्क्वायरी पूरी करने में समय लगता है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सबसे पुराना कब का, कैसे है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् ५५ और ५७ का ।

बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशें

६०१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट में रूरल विकास के लोगों को ही नौकरी देने की सिफारिश की है ? अगर हां, तो इस वर्ष में विकास विभाग पंचायत व सहकारी तथा शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कहां तक सावधानी बरती गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि विकास क्षेत्रों के लिए कुछ एक स्टाफ की नियुक्ति करते समय शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय । जहां तक हो सका है देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने में पूरी सावधानी रखी गई है ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : कितना पर्सेन्ट कुल स्थान देहात वालों को दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी अलग जानकारी नहीं है ।

(२) बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट सभी सम्बन्धित विभागों को उस पर उचित कार्यवाही करने हेतु भेज दी गई है ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : कितना पर्सेन्टेज कुल स्थान देहातवालों को दिये गये

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी अलग जानकारी नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार ने आदेश जारी किया है कि विकास क्षेत्रों के लिये देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों को लिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में यह निवेदन किया कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट सभी सम्बन्धित विभागों को उस पर उचित कार्यवाही करने हेतु भेज दी गई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेहता कमेटी ने सिफारिश यह की थी कि विकास क्षेत्रों में स्टाफ की नियुक्ति करते समय देहाती क्षेत्रों का स्टाफ लिया जाय इसलिये मैंने यह पूछा था कि पंचायत विभाग, सहकारी विभाग आदि में अपोइन्टमेन्ट्स करते समय इस बात का ध्यान रखा गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में यह निवेदन किया है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट सभी सम्बन्धित विभागों के पास उचित कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई है।

श्री भीमसेन : इस रिपोर्ट के आने के बाद भी जो पंचायत इन्सपेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं वे सारे के सारे जयपुर के ही क्यों रखे गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे पता नहीं कि जयपुर के ही क्यों रखे गये।

श्री भीमसेन : इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जानकारी करूंगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है।

जिला बीकानेर, तहसील कोलायत में अकाल से पशुधन की क्षति

६०२. **श्री रूपाराम पंवार** (नोखा सु०) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोलायत, ज़िला बीकानेर की पशु संख्या सन् १९५७ की गणना में क्या थी और सन् १९५९ की गणना में क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष अकाल के कारण काफी पशु घास चारा आदि की कमी के कारण मरे और इस क्षेत्र में इस वर्ष भी अकाल है। अगर हां तो सरकार चारा पानी का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि पिछले वर्ष भी व्यवस्था में विलम्ब होने के कारण इस क्षेत्र के पशु धन में काफी क्षति हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार शीघ्र प्रबन्ध करके पशु धन की रक्षा करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) तहसील कोलायत की पशु गणना इस प्रकार है :

सन्	संख्या
१९५६-५७	२,५७,९७५
१९५७-५८	१,८०,१९०
१९५८-५९	२,५७,९८३

(२) यह सच नहीं है। घास चारा आदि की कमी से गत वर्ष कोई पशु नहीं मरा। हां, इस वर्ष भी इस क्षेत्र में अकाल है और सरकार इस क्षेत्र में घास चारा पानी

Page No.11

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आदि का प्रबन्ध करने के लिये पूर्णतया कटिबद्ध है।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

मद्य निषेध की सरकारी नीति

६०३. **श्री रामचन्द्र** (डग सु०) (श्री भैरवलाल काला बादल द्वारा पूछा गया): क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में मद्य निषेध के लिये सरकार की क्या नीति है ?

(२) मद्य निषेध को क्रमशः सफल बनाने के लिये सरकार ने कौन से उपाय अपनाये हैं ?

(३) इस नीति के अनुसार मद्य निषेध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

(४) क्या मद्य निशेध नीति में सफलता प्राप्त करने के लिये सरकार ने किन्हीं मद्य निषेध संस्थाओं की सहायता ली है ?

(५) यदि हां, तो वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कहां कहां कार्य कर रही हैं।

पृथक राजस्व मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) धीरें धीरें मद्य निषेध करना।

(२) सूची संलग्न है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सूची ज्यादा बड़ी नहीं हो तो पढ़ दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (क) १ अप्रेल, सन् १९५६ से होटल, बार रेस्टोरेन्ट, क्लब, सिनेमा, सामाजिक सम्मेलन वगैरह में शराब का पीना निषेध कर दिया गया है।

(ख) शराब की दुकानें वेतन मिलने वाले दिनों व अन्य धार्मिक और आवश्यक दिनों में बन्द करदी जाती हैं।

(ग) मेले वगैरह में शराब के बेचने का निषेध कर दिया गया है।

(घ) शनैः २ देशी शराब की दुकानों की संख्या में कमी की जा रही है।

(ङ) देशी शराब की दुकानें शहर की बस्ती और मजदूर कॉलोनियों से हटाने की नीति अपनाई जा रही है।

(च) सरकारी कर्मचारी शराब न पीयें इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है।

(छ) देशी व अंग्रेजी शराब की कीमतें समय समय पर बढ़ाई जा रही हैं।

(ज) मद्य निषेध सलाहकार समिति नियुक्त करदी गई है।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर-पश्चिम) : क्या....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उत्तर तो पूरा देने दीजिये।

(३) इस नीति के अनुसार मद्य निषेध के लिये जो कदम उठाये हैं उनमें काफी सफलता मिली है।

(४) नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.12

श्री अर्जुनदास : कन्जम्प्शन लास्ट इयर कितना था और इस साल कितना है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अर्जुनदास : फिर आपने यह कैसे फरमाया कि सफलता मिल रही है। क्या यह मानकर चलें कि शराब की बिक्री बंद हो गई है या फिर सफलता आपके दिमाग में मिली है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब होटल, बार, रेस्टोरेन्ट, क्लब, सिनेमा, सामाजिक सम्मेलन आदि में बंद कर दिया तो बिक्री कम हुई है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि सरकार को इससे जो इन्कम इस साल हुई है उससे ज्यादा इन्कम अगले साल होने का अन्दाज़ा लगाया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, यह ठीक है।

श्री पी. के. चौधरी : तो क्या यह इस बात का अन्दाज़ नहीं देता कि पहले से बिक्री बढ़ी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिक्री यदि बढ़ी है तो रेट बढ़ाने से बढ़ी है।

श्री अर्जुनदास : रेट को छोड़ कर भी कन्जम्प्शन ज्यादा मानते हैं या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक्च्युअल फिगर्स तो हैं नहीं लेकिन अनुमान लगाना चाहिये कि बिक्री ज्यादा नहीं बढ़ी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या सरकार मनुष्यों की मानसिक कमज़ोरी का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यदि आप इस बात के लिये तैयार हों कि ३ करोड़ की आमदनी दूसरे ज़रिये से दे देंगे तो इसे बिल्कुल बंद किया जा सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सरकार नैतिकता का पतन करके पैसा कमाना चाहती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार को यह बात मंजूर नहीं है लेकिन मजबूरी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या यह मजबूरी दूर नहीं की जा सकती ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सब आपके हाथ में है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह समझा जावे कि ३ करोड़ का घाटा पूरा नहीं होगा तब तक मद्य निषेध नहीं होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुनासिब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या डेफिनेटली यह समझा जाय कि जब तक ३ करोड़ का घाटा पूरा नहीं होगा तब तक मद्य निषेध नहीं होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : धीरे धीरे नुकसान उठाकर भी करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या सरकार यह नहीं समझती कि ३ करोड़ से भी ज्यादा कीमती चीज़ लोगों का चरित्र है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर समझती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सरकारी मुलाजिमों को शराब नहीं पीना चाहिये इस बारे में सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसके कारण क्या हम यह समझें कि सरकारी मुलाजिम शराब नहीं पीते हैं या पीते हैं तो कितने परसेन्ट

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार को जानकारी इस बात की है या नहीं कि सरकारी मुलाज़िम शराब पीते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या सरकार उनको मजबूर करेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं सबको एक साथ उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जनार्दनराय नागर : आपने सब के लिये माधवी, वारूनि, चषक सब के लिये खुला छोड़ रखा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य धैर्य रखेंगे तो आज इसी के बारे में जो मांग प्रस्तुत होने वाली है उस पर बहस कर सकते है।

श्री जनार्दनराय नागर : माधवी को तो अक्सर मंत्रियों द्वारा काम में लिया जाता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने तो यह नया ही नाम सुना है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या यह सही है कि धौलपुर में आबकारी इन्सपेक्टर को मौअत्तिल इसलिये किया गया कि वहाँ पर शराब से आमदनी कम हुई ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या यह सही है कि किशनगढ़ में मजदूर बस्ती में शराब का काफी जोर है।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट क्वेश्चन।

पाली जिले की जेतारण तहसील में गिरदावरी स्लिप न दिया जाना

६०४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या पाली जिले की जैतारण तहसील में किसानों को गिरदावरी स्लिप नहीं दी जाने सम्बन्धित कोई शिकायत सरकार के समक्ष पेश हुई थी ?

(२) जैतारण तहसील के विभिन्न गांवों में गत दो वर्षों में किन किन तारीखों में गिरदावरी स्लिप दी गई और कहां कहां नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गिरदावरी स्लिप के समय पर नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) दोनों सालों में गिरदावरी के समय १ अक्टूबर से ३१ अक्टूबर तक प्रत्येक गांव में वितरण की गई। गिरदावरी के साथ ही स्लिपें वितरित होती है।

(३) देर से स्लिपें छप कर आने से कभी विलम्ब हो जाता है।

श्री शंकरलाल : आपने फरमाया कि कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन मैंने खुद ने शिकायत की थी, उसका क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सूचना आई उसके आधार पर मैंने आपसे अर्ज कर दिया। आप कहते हैं कि आपने शिकायत की है तो उसके बारे में जानकारी करेंगे कि उसका क्या हुआ।

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

६०५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) महिला आश्रम, भीलवाड़ा में छात्राओं से किस किस कक्षा का क्या क्या शुल्क लिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जो शुल्क इस आश्रम के द्वारा लिया जाता है वह अधिक है और अनेक बालिकाएं अर्थाभाव के कारण शिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाती है ?

(३) क्या सरकार इस आश्रम को अपने अन्तर्गत लेकर वहां की बालिकाओं को शिक्षण की सुविधा प्रदान करेग.

मुख्य व शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) सरकार की यह नीति है कि गैर सरकारी संस्थाएं अधिक से अधिक संख्या में खोली जांय और जब तक वे सुचारू रुप से चलती रहें उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जावे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि जिन गैर सरकारी संस्थाओं को सरकारी सहायता मिलती है वे उन नियमों का पालन करें जिनका पालन सरकारी संस्थाओं के अन्दर होता है ? ट्यूशन फी आदि के सम्बन्ध में उन नियमों का पालन किया जाय, जिनका सरकारी संस्थाओं में पालन होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं, यह बहुत आवश्यक नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि भीलवाड़ा के अन्दर जो बालिकायें अध्ययन करना चाहती हैं वे भारी ट्यूशन फी होने की वजह से, दूसरी अन्य फीस होने की वजह से पढ़ नहीं पाती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने लिस्ट दी है, उससे ज्ञात होगा कि वहां ट्यूशन फीस नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन इस लिस्ट से मालूम पड़ता है कि कक्षा १ में पढ़ने वाली बालिकाओं को पांच रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं, इसके अलावा कक्षा १० में पढ़ने वाली बालिकाओं को करीब १५ रुपये देने पड़ते हैं जब कि सरकारी स्कूल में कक्षा १ में पढ़ने वाली बालिका को कुछ नहीं देना पड़ता ?

Page No.15

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां सरकारी मिडिल स्कूल मौजूद है, उसमें नवों व दसवीं कक्षायें मौजूद नहीं है, वैसे सरकारी मिडिल स्कूल मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

कोटा के सार्वजनिक तालाब की पड़त जमीन का गलत इन्द्राज

६०६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा सु) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पोलाई कला, तहसील दीगोद, जिला कोटा के सार्वजनिक तालाब, तलाई एवं पानी के आमद के स्थान की पड़त जमीन जमाबन्दी खतौनी नम्बर १२६ की १७ बीघा ४ विस्वा होतीलाल कायस्थ पोलाई कलां, नम्बर २२ की १६ बीघा ६ बिस्वा, गोपाललाल कम्पाउन्डर कैथून और नम्बर २६ की २३ बीघा १३ बिस्वा घासी करोड पोलाई खुर्द के खाते में सैटिलमेन्ट के समय गलत दर्ज कर दी गई है ?

(ख) क्या उक्त जमीन के खाते बांधते समय ग्रामवासियों से पूछा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त तीन व्यक्ति भूमिहीन थे ? यदि नहीं, तो यह जमीन इन्हें क्यों दी गई ?

(घ) क्या सरकार इस भूल के पुनः सुधार का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं। ग्रामवासियों की तस्दीक पर मुताबिक कब्जा बन्दोबस्त के समय इन्द्राज किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। सिर्फ गोपाललाल कम्पाउन्डर के खाते में कोई भूमि नहीं थी।

घासीलाल करोड़ के खाते मोजा पोलाई में २७ बीघा १७ बिस्वा भूमि पहले से दर्ज थी। होतीलाल कायस्थ के खाते मोजा पागहेड़ी में २७ बीघा ३ बिस्वा, मौजा पोलाई कला में ३ बीघा १४ विस्वा भूमि दर्ज खाते थी।

यह भूमि पटेल, सरपंच, पटवारी ग्राम व सम्बन्धित काश्तकारों की वक्त तस्दीक मजमें ग्राम में तस्दीक होकर इन लोगों के खाते दर्ज हुई।

(घ) अलॉट नहीं की गई, कोई भूल नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम कोथून, तहसील चाकसू में मिडिल स्कूल की स्थापना

६०७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) ग्राम कोथून, तहसील चाकसू में प्राथमिक स्कूल कब से हैं ?

(ख) उक्त स्कूल से कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन से मिडिल स्कूल कहां कहां हैं ?

(ग) कोथून प्राथमिक शाला की वर्तमान छात्र संख्या कितनी है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(घ) क्या वहां से मिडिल स्कूल की मांग हुई है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक खोला जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) दिनांक १३. १२. १६३३ से है।

(ख) [१] कोट खावदा मिडिल स्कूल १७ मील की दूरी पर है।

[२] शिवदासपुरा मिडिल स्कूल १५ मील की दूरी पर है।

(ग) छात्र संख्या ११७ है।

(घ) जी हां। पंचायत बोर्ड ने की है।

(ङ) आगामी वर्ष दूसरी स्कूलों के साथ साथ इस पर भी विचार किया जावेगा यदि जिला विकास समिति द्वारा नाम प्रस्तावित होगा और निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा के अभावग्रस्त क्षेत्र से लगान की वसूली

६०८. **श्री मोगजी भाई** : (बांसवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा ज़िले की विभिन्न तहसीलों को सरकार ने सन् १६५७-५८ में अभावग्रस्त, क्षेत्र घोषित किया था व रिलीफ कार्य चला कर राहत पहुँचाई थी यदि हां, तो फिर सन् १६५८-५६ में पिछले दो वर्ष का लगान तथा चालू वर्ष के लगान की वसूली एक साथ किये जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : हां, यह सही है कि बांसवाड़ा ज़िले की विभिन्न तहसीलों को सरकार ने सन् ५७-५८ में अभावग्रस्त घोषित किया था व रिलीफ कार्य चला कर राहत पहुँचाई थी। ज़िला बांसवाड़ा में लगान वसूली दो किश्तों में न होकर एक किश्त में होती है इसकी अवधि माह दिसम्बर से मार्च तक होती है। चालू वर्ष में जहां फसल अच्छी है, वहां पर स्थागित लगान की वसूली न करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जिलाधीश बांसवाड़ा को आदेश दे दिये गये हैं कि जिन स्थानों के लिये छूट के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं वहां से वसूली न की जाय।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि जिन तहसीलों में फसल का नुकसान हुआ है उनमें लगान वसूल करने में छूट देने के आदेश दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छूट ?

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि जिन तहसीलों में फसल का नुकसान हुआ था, उनमें लगान में छूट देने के आदेश दिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन तहसीलों के अन्दर ऐसे नुकसान हुए हैं कि जहां छूट देनी चाहिए, उसके प्रस्ताव जिलाधीश की तरफ से आ गये हैं और उनके ऊपर आदेश हो गये हैं कि इनसे वसूल न किया जाय।

श्री मोगजी भाई : क्या यह मान लिया जाय कि ऐसे आदेश नहीं दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री मोगजी भाई : क्या छूट के आदेश नहीं दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि आदेश दे दिये गये हैं कि वसूल न की जाय, जिनके लिए वसूल न करने की सिफारिश की गई थी ।

श्री मोगजी भाई : किन आधारों पर दो साल का लगान वसूल किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो सस्पेन्डेड, स्थगित लगान था, क्योंकि इस साल फसल अच्छी थी, इसलिए वसूल किया गया ।

श्री मोगजी भाई : दो साल का लगान पुलिस की मार्फत खड़ी फसल को नीलाम करने की धमकी देकर वसूल किया गया, इसका कारण क्या था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि स्थगित लगान उन लोगों से वसूल किया गया, जिनके लिए छूट नहीं थी । जिनके लिए प्रस्ताव आया था, उनसे लगान वसूल नहीं किया गया ।

श्री मोगजी भाई : छूट किन किन तहसीलों में दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग गांवों में दी गई, किसी में कम दी है, किसी में ज्यादा दी है । जितना जहां नुकसान था, वहां उतनी दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि दो वर्ष का सस्पेन्डेड लगान था, वह एक साथ वसूल किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो साल का सस्पेन्डेड लगान वसूल नहीं किया । गैर साल का वसूल किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल' ।

कोटा डिविजन में शिड्यूल्ड कास्ट व शिडयूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास

६०६. **भैरवलाल 'कालाबादल'** : (अकलेरा-सु०) क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा डिविज़न में शिड्यूल्ड कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने राजकीय छात्रावास किस किस स्थान पर चलाये जा रहे हैं ?

(२) उन छात्रावासों में अलग अलग कितने कितने छात्र हैं ?

(३) क्या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए भी छात्रावास खोला गया ? यदि नहीं, तो कब तक खोला जा सकेगा ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कोटा डिविज़न में अनुसूचितजाति के लिए एकछात्रावास कोटा जंक्शन पर चल रहा है । एक छात्रावास सहरियों के लिये है जो केलवाड़ा में

(२) कोटा जंक्शन के छात्रावास में इस समय ४६ छात्र हैं और केलवाड़ा छात्रावास में २५ छात्र हैं ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(३) सहरिये अनुसूचित जन जाति ही के लोग हैं और उनका छात्रावास चल रहा है । उसमें अन्य अनुसूचित जन जाति के छात्र भी रह सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): एक छात्रावास में कितने विद्यार्थी तक लिये जाते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दो छात्रावास हैं, एकमें २५ हैं और दूसरे में ५० ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अनुसूचित जन जाति क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिड्यूल्ड ट्राइब्स ।

श्री पी. के. चौधरी :अनुसूचित जाति क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिड्यूल्ड कास्ट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

हाई स्कूल के हैड मास्टर व फर्स्ट असिस्टेन्ट के ग्रेड में अन्तर

६१० **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या हाई स्कूल के हैडमास्टर व उसके फर्स्ट एसिस्टेन्ट के ग्रेड्स में गहरा अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अन्तर में कुछ परिवर्तन करने का इरादा रखती है ?

मुख्य एवं शिक्षामन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां इस अन्तर में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दया कृष्ण विजय ।

अरडाद तहसील अटरू में रामचन्द्र जी के मन्दिर की सेवा पूजा की व्यवस्था

६११. **श्री दयाकृष्णविजय** : (छबड़ा) क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने तहसील अटरू के द्वारा मन्दिर श्री रामचन्द्र जी अरडाद (तहसील अटरू) ज़िला कोटा की सेवा पूजा का भार अपने ऊपर ले लिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) उक्त मन्दिर को तब से प्रतिवर्ष कितनी कितनी सहायता सेवा पूजा तथा मंदिर की मरम्मत के लिये दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने भगवान रामचन्द्रजी के कीमती जेवरात भी अपने कब्जे में कर लिये हैं ? यदि हां, तो कृपया जेवरात की सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या यह सही है कि तहसील की ओर से पुजारी के द्वारा उत्सवादि पर मांगे जाने पर भी जेवर व वार्षिक सहायता नहीं दी जाती ?

(५) क्या यह सही है कि इस मन्दिर से सम्बन्धित फाइल ही तहसीलदार बलवीरसिंह तबादले पर जाते समय अपने साथ ले गये हैं ?

Page No.19

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां । सम्वत् २००६ से कलेक्टर कोटा के द्वारा १० मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जाकर चैयरमैन तहसीलदार अटरू को नियुक्त कर दिया गया था । तहसीलदार कमेटी की राय से सेवा पूजा का प्रबन्ध करते हैं ।

(२) पुजारी को ३० रु० प्रति माहवार तनख्वाह दी जाती है । अलावा तनख्वाह के मन्दिर की मरम्मत के लिए ११०० रु० व उत्सव के लिये १३ रु० कुल १११३ रु० सन् ५७-५८ में और दिये गये । जिसकी तालीका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) मन्दिर के जेवरात डबललौक तहसील के खजाने में सुरक्षित रखे हुए हैं । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जेवरात उत्सव के समय पुजारी की मांग पर दिये जाते रहे हैं । मगर अब पुजारी को न दिये जाकर सरपंच द्वारा कमेटी को दिये जाते हैं । वार्षिक सहायता की किसी ने मांग नहीं की, अतः नहीं दी गई ।

(५) जांच की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : १० मेम्बरों की जो कमेटी बनाई है यह किस कानून के अन्तर्गत बनाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोटा स्टेट के जमाने से, १९४१ से यह मंदिर सरकार के इन्तजाम में ले लिया गया था । पहले वहां एक आदमी के जरिये काम कराया जा रहा था, अब एक कमेटी के जरिये से काम कराया जा रहा है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं पूछ रहा हूं कि किस कानून के अन्तर्गत सरकार ने कब्जा किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कोटा स्टेट के जमाने में जिस कानून के अन्तर्गत इसे लिया गया, उसी कानून के अन्तर्गत एक कमेटी बनाई १९५० में ।

डॉ० चन्द्र कला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) भाग (५) के उत्तर में आपने कहा कि जांच हो रही है, जांच किस बात की हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसकी जांच हो रही है ?

डॉ० चन्द्र कला : भाग पाँच के अन्दर अपने कहा कि जांच हो रही है...

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।एक शिकायत थी कि वहां की मिसल उस तहसील का तहसीलदार ले गया था, तहसीलदार ने इन्कार किया है । उसकी डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है कि मिसल के खोने की जिम्मेदारी किस पर है । क्लर्क तहसीलदार का नाम लेते हैं और तहसीलदार क्लर्क का नाम लेता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार जयपुर) : जिस कानून के अन्तर्गत इस मंदिर की सेवा पूजा का भार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया, वह आज भी लागू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां कोवेनेन्टिंग स्टेट में जो कानून लगू थे वे आज भी हैं ।

रामेश्वर दयाल (कोटा) : What was the law of the Kota State under which the management of this temple was taken over and then handed over to the Committee.

श्री दामोदरलाल व्यास : I amnot in a position to say about the particular law but there were rules in certain States.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If that the position, if there was no definite law in that particular State in which this temple was taken in possession, would the Government now release it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The temple is in the possession of the Government since before merger in 1941 so no such question arises.

श्री रामेश्वर दयाल : The Hon'ble Minister should explain how the act was legal and if the act was illegal than the Hon'ble Minister should admit and the Government should withdraw from the mangement because there is no justification to take the management of the temple when the action is not justified in any law of the former Kotah State.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have always insisted that this is most legal and this has been taken under possession in the then Kotah State.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Has the Hon'ble Minister suggested that the whim of the rulers was the law ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. I have said there was some practice and law in certain States...

अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Has the Hon'ble Minister seen this Act ?

श्री दामोदरलाल व्यास : May I also ask...

श्री अर्जुनदास : I should make it clear, Mr. Speaker, that we are not here to answer any question but he should answer. I asked, "Has the Hon'ble Minister seen any such law by which it could be taken by the Government of Kotah" ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I would request, Sir, that the position of this question is that the temple is already under the management of the Government since 1941. I cannot understand how the Government can...

श्री अर्जुनदास : Has the Hon'ble Minister seen any law by which he says that there was a law existing in Kotah State ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that there was a law, practice in Kotah State according to which the temple was taken in possession...

श्री अर्जुनदास : We wanted to know whether he has seen any particular law ? If he has seen, he should say it particularly. A reply to the

(श्री अर्जुनदास)

question-Has he seen any law-can be Yes or no.

श्री अध्यक्ष : He has used both the words-Law and Practice.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि सन् १६४१ से सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया है और सन् १६५७ तक किसी प्रकार की मरम्मत के लिये किसी भी प्रकार रकम सरकार की ओर से नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि ५७–५८ में ११०० और कितना ही रुपया दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : ४१ से ५७ तक करीब १६ साल का अर्सा बीत गया उसमें एक पैसा भी मरम्मत के लिये नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कि उस मंदिर को मरम्मत की आवश्यकता ही नहीं हो।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जनता की तरफ से निरन्तर बारबार प्रार्थनापत्र इस मन्दिर की मरम्मत के लिये दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रार्थनापत्र मरम्मत के लिये दिये गये हैं या नहीं दिये गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जब तहसीलदार स्वयं उस कमेटी का चेअरमैन है तो सरपंच को उस मन्दिर के जेवरात दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जेवरात जिम्मेदार व्यक्ति को ही देखरेख और सुरक्षा के लिये दिये जाते हैं और सरपंच को आज के जमाने में काफी जिम्मेदार समझते हैं

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न यह है कि जिस कमेटी में सरपंच नहीं है, और जब कि कमेटी का चेअरमैन स्वयं तहसीलदार है तो फिर सरपंच को दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य को सरपंच से नाराज़गी है या जेवरात के तहसील में रखने से नाराज़गी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेवरात तहसील में हैं या सरपंच के पास ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जेवरात तहसील में अन्डर लाक एन्ड की सुरक्षित पड़े हुए हैं, जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो सरपंच को दे दिये जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेवरात की जो फाइल है उसके गुम होने के सम्बन्ध में कौन जिम्मेदार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तो एन्क्वायरी हो रही है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन एन्क्वायरी कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. डी. ओ.।

Page No.22

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जेवरात में गोलमाल है इसलिये तहसीलदार ने फाइल को गायब कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जेवरात में गोलमाल का तो पता नहीं पर फाइल जरूर गायब है।

श्री दयाकृष्ण विजय : तहसीलदार का कब ट्रान्सफर हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मुझे पता नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : ६–७ महीने तहसीलदार की ट्रान्सफर को बीत जाने पर भी फाइल के गुम होने के सम्बन्ध में जांच क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार की ट्रान्सफर हुई तो एस. डी. ओ. के नोटिस में आया कि फाइल गायब है तो तभी से एन्क्वायरी हो रही है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या जेवरात की इन्वेन्टरी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसील में।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

खनिज एवं भूगर्भ विभाग से प्राप्त आय

६१२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Will the Minister for Mines be pleased to state :

(a) What has been the total revenue from the Mines and Geology Department during the financial years from 1950 onwards in each division ?

(d) What is the mode of collection of Royalty on Mica ?

(c) Is it a fact that the practice of collection of Royalty on crude mica at the rate of Rs. 1¼ per md. has been recently introduced ?

(d) If so, what was the previous method of collecting Royalty ?

(e) Has the introduction of the new method of collecting Royalty on mica given an increase in revenue ?

(f) If not, who is responsible for this loss to State revenue ?

(g) Has this change in any way benefited the mines owner ?

(h) If yes, in what way ?

उप-मंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखब चन्द धारीवाल) : (a) A statement showing the figures of revenue is placed on the Table of the House.

(b) On weight basis as per I alternative of schedule I of M. C. R. 1949.

(c) Yes since October, 1957.

(d) Rate on percentage basis.

Page No.23

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

as per II alternative of I schedule of M. C. R. 1949,

(e) NO.

(f) None, as it is as per rules, similar mode exist in Andhra, Bihar, premier Mica producing States.

(g) Yes.

(h) The calculations at percentage of the sale value were complicated and required laborious tabulation of recording.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह माना जाय कि जो नया वेट बेसिस इन्ट्रोड्यूस किया है, वह इस आधार पर इन्ट्रोड्यूस किया है कि क्यों कि बिहार और आन्ध्र में है इसलिये राजस्थान में भी किया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं है, हमारे यहां के माइका माइन ओनर्स ने रिप्रजेन्टेशन दिया, रेट आन परसेंटेज बेसिस सिस्टम से सेल वेल्यु का केल्कूलेशन बड़ा ही कॉम्प्लीकेटेड है और रेकार्ड के लिये बड़े मुश्किल टेबुलेशन्स रखने की जरूरत पड़ती है। आन्ध्र और बिहार में वेट बेसिस पर है उसमें टेबुलेशन फार्म वगैरह की आसानी पड़ती है, इस वज़ह से वहां का व्यापार भी काफी बढ़ा-चढ़ा है। वहां जो सिस्टम है उसके कारण मुश्किलात पड़ती है और इससे व्यापार में भी फर्क पड़ता है। इसलिये यह वेट सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या राजस्थान सरकार ने इन्क्वायरी की है कि बिहार और आन्ध्र में पिट माउथ पर वेरिफिकेशन करने के लिये इन्स्पेक्टर्स वगैरह रहते हैं जब कि राजस्थान में नहीं रहते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी जानकारी नहीं की गई कि वहा पिट्स माउथ पर वेरिफिकेशन के लिये उन्होंने क्या कर रखा है, पर हमारे यहां माइन्स इन्स्पेक्टर जाकर एन्क्वायकरी कर लेते हैं, वहां हर माइन्स पर माइन्स डिपार्टमेंट का आदमी तैनात नहीं रहता, इन्स्पेक्टर जांच करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या जब माइका ओनर्स ने रिप्रेजेन्टेशन दिया कि बिहार और आन्ध्र में जो सिस्टम है वही यहां भी इन्ट्रोड्यूस किया जाय तो, सरकार ने यह मालूम नहीं किया कि बिहार और आन्ध्र में क्या क्या प्रोसीजर फोलो किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौन-कौनसा उनका स्टाफ वहां हर माइन पर नियुक्त है इसकी एन्क्वायरी कराने की हमें आवश्यकता नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यहां यह सिस्टम इसलिये चेंज किया कि इससे राजस्थान की रेवेन्यु बढ़ेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं साफ कर दूं, कल भी इस पर बहस हुई। माइका पिट माउ पर टैक्स लिया जाता है इसलिये लिया जाता है कि छोटी माइन्स होती हैं, जिनका कम प्रोडक्शन होता है, इसके बाद फिनिश्ड माइन पर लाते हैं तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कटिंग करवाना पड़ता है और इसके अन्दर इस बात की गुंजाइश रहती है । हमारे यहां के और वहां के प्राइसेज़ में वेरियेशन रहती है उसका यही कारण है छोटे माइका माइन ओनर्स इस चीज़ को एक्सप्लोइट नहीं कर सकते, स्पिलिटिंग डवेलप होता है तो वह डवेलप हो सकता है, जैसा कि बिहार में होता है । हर एक आदमी स्पिलिटिंग नहीं कर सकता । एक दूसरे को सेल करने में बड़ी रुकावट थी कि एक माइका ओनर दूसरे माइका ओनर को दे नहीं सकता था । इसलिये बिहार, आन्ध्र ने डिफ्रेंट सिस्टम कर रखा था, हमारे यहां प्रश्न आया तो हमने रियलाइज़ किया कि बिहार और आन्ध्र में ट्रेड बढ़ सकता है तो हमारे यहां सफर क्यों करें ? स्प्लिटिंग होता है तो हमारे यहां हज़ारों आदमियों की रोज़ी का रास्ता खुलता है, स्पिलिटिंग के बाद काफी अच्छा एड्वान्टेज है । इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर यह यहां किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हमारे यहां यह काम चालू हो गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ हद तक चला है । क्योंकि यह टेक्निकल टाइप का काम है, इसलिये बिहार से आदमियों को लाकर यहां शुरू किया है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जब स्पिलिटिंग का काम सन्तोषजनक नहीं है तो हमारे यहां घाटा खाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : घाटा खाने का प्रश्न नहीं, दूसरी जगहों के पेटर्न पर लाना पड़ेगा, छोटे माइका ओनर काम कर सकें, लोकली खरीद कर सकें, इससे यह भी गुंजायश पैदा होती है ।

श्री भैरोंसिंह : छोटे ओनर्स का दूसरे आदमी खरीद लें इससे क्या असर पड़ता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे असर यह पड़ता है कि तुरन्त पैसा मिल जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस तरह गवर्नमेंट के एक्साइज़ की तरफ से इन्स्पेक्टर रहते हैं, इसी तरह माइका का प्रोडक्शन है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिये और राजस्थान सरकार की रेवेन्यू बढे, इसके लिये सरकार आवश्यक नहीं समझती कि इन्स्पेक्टरों को ओन दी स्पोट रखे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वेरिफिकेशन के लिये और व्यवस्था करनी आवश्यक हो तो की जा सकती है और इसके बारे में हम देख लेंगे कि क्या किया जाना चाहिये । लेकिन जहां तक मेथड का प्रश्न है इससे ट्रेड डेफिनिटली इम्प्रूव होता है । जब दूसरी जगह इससे ट्रेड इम्प्रूव होता है तो हम राजस्थान में भी उसको लागू करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर में ५६-५७ में १२ लाख के लगभग आमदनी थी और ५७-५८ में उसके घटने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले भीलवाड़ा में माइका का ट्रेड था वह पार्टीज करती थी । सारा डिस्ट्रिक्ट तीन पार्टस में डिवाइड था । पहले १६ प्रतिशत तक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रोयल्टी थी । उसके बाद जब माइनिंग रूल्स वगैरह आये तो उसके बाद ५ प्रतिशत ऐसा कुछ हो गया तो उससे एक दम वेरिफिकेशन में फर्क पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

खरीफ की फसल न बोने पर काश्तकारों से लगान

६१३ : **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि खरीफ की फसल न बोने पर भी काश्तकार से १) में छः आने राजस्व कर वसूल करने की प्रणाली प्रचलित है ?

(ख) क्या काश्तकारों के यह राजस्व न देने पर कुर्की की जाती है या उक्त रकम पर व्याज लिया जाता है ?

(ग) क्या कोटा जिले की सभी तहसीलों में ऐसा किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को अगले टर्न पर ले लिया जावे ।

श्री रामेश्वरदयाल : इसका जवाब तो आ गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब तो आ गया है, लेकिन I want to examine it

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारानी कन्या उच्च विद्यालय, धौलपुर

६१४. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) महारानी कन्या उच्च विद्यालय धौलपुर में बस को रखने के लिये विद्यालय भवन में क्या कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ?

(२) क्या विद्यालय में अध्यापिकाओं के लिए पर्याप्त निवास की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(३) क्या उक्त विद्यालय के पास छात्रावास भी है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

(४) क्या विद्यालय भवन मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ? यदि नहीं, तो और वृद्धि करने के संम्बन्ध में क्या योजना है ?

(५) क्या विद्यालय की सुरक्षा के लिये बनायी गयी चार दीवारी अच्छी दशा में है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक ठीक कराया जावेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां। एक चौरस मैदान है किन्तु टिन शेड की व्यवस्था नहीं है ।

(२) जी नहीं । सरकार अध्यापिकाओं के लिए मकान बनवा रही है परन्तु प्राथमिकता गांवों की अध्यापिकाओं के लिये दी जा रही है । इस वर्ष १५२ मकानों की

Page No.26

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज्ञा दी गई है जनता भी इसमें सहयोग कर सकती है ।

(३) जी नहीं । अभी स्कूलों के लिये छात्रावास खोलना सम्भव नहीं प्रतीत होता अगली पंच वर्षीय योजना में कोशिश की जावेगी।

(४) जी हां । वैसे बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में भवन का अभाव है जिसके लिये जनता को अपना पूरा सहयोग देना चाहिये । सरकार वार्षिक सहायता देती है ।

(५) इस वर्ष भयंकर वर्षा के कारण कुछ टूट फूट हुई है जिसकी मरम्मत के लिये पी० डब्ल्यू० डी० धौलपुर को लिखा गया है । आशा है शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह : चौथे भाग के सम्बन्ध में स्थानों का अभाव है उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया है कि भवन का अभाव है जिसके लिये जनता को पूरा सहयोग देना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार कितना करती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार तो करती है मगर जनता का भी सहयोग रहता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ज़मीन के हस्तांतरण हेतु सेल डीड का रजिस्ट्रेशन

६१५. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर तथा लुनकरणसर तहसीलों में ज़मीन के हस्तांतरण हेतु कितने सेल डीड्स रजिस्ट्रार अथवा सब–रजिस्ट्रार के यहां किये गये ?

(ख) क्या सम्बन्धित सब-रजिस्ट्रार द्वारा लैंड रिकॉर्ड रूल्स, १९५७ के मुताबिक माहवारी रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार के पास भेजी गई ? अगर हां, तो कृपया माह अक्टूबर से दिसम्बर तक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखें ।

(ग) क्या उन रिपोर्ट्स के अनुसार mutations सम्बन्धित पटवारियों ने दर्ज कर लिये हैं ।

राजस्वमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) रजिस्ट्रार द्वारा अक्टूबर से दिसम्बर तक ५० डीड्स रजिस्टर किये गये । सब-रजिस्ट्रार के यहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट या उसके तहत बने नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन : जिन अधिकारियों ने नियम के अनुसार यह सूचना नहीं दी जो दी जानी चाहिये तो उन आफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि उनको हिदायत कर दी गई है कि आयन्दा वे टिनेन्सी और लैंड रेवेन्यू रूल्स के मुताबिक सूचना देते रहें ।

श्री भीमसेन : यह हिदायत कब जारी की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपके प्रश्न आने के बाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

करौली की खानों का ठेका

६१६. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु०): क्या मन्त्री, खनिज विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या करौली की खानों का ठेका ३१ मार्च, १६५६, को समाप्त हो रहा है ?

(२) क्या सरकार अब इस ठेके की ओर मियाद झूमरलाल स्वरूपलाल के नाम बढ़ा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भाखरा प्रोजेक्ट में भूमिहीन व्यक्ति

६१७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भाखरा प्रोजेक्ट में उन्हीं लोगों को भूमिहीन माना गया है जिनका इन्द्राज़ मालशुमारी संवत् २००८ में दर्ज़ है ?

(२) क्या यह सही है कि भाखरा प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को ज़मीन दी गई है जिनका इन्द्राज़ मालशुमारी संवत् २००८ में नहीं है ? अगर हां, तो किन किन आधारों पर ? कृपया उनकी एक सूची सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री गिरधारीलाल : माननीय मन्त्री इसका उत्तर कब तक दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर।

उदयपुर तथा डूंगरपुर ज़िलों में ब्लॉक्स

६१८. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

उदयपुर तथा डूंगरपुर ज़िलों में इस समय सोशियल वेल फेयर बोर्ड की ओर से कितने कितने ब्लॉक्स काम कर रहे हैं ?

मन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : उदयपुर ज़िले में समाज कल्याण बोर्ड की ओर से दो योजनायें मावली और राजसमन्द में कार्य कर रही है। डूंगरपुर में कोई योजना कार्य नहीं कर रही है।

ज़िला जालोर की स्कूलों में अध्यापकों का अभाव

६१६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ज़िला जालोर

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में कुछ स्कूलें बिना अध्यापक के खाली पड़ी हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूलों में मास्टर मेट्रिक्युलेट नहीं मिलने के कारण जगह खाली पड़ी है ? यदि हां, तो क्या उनकी जगह की पूर्ति करने के लिये नोन मैट्रिक अध्यापक लेने का सरकार विचार रखती है ।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितनी स्कूलें खाली पड़ी हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी पूरी तादाद मेरे पास नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इन खाली स्कूलों की पूर्ति करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यापक नहीं मिल रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : जब मैट्रिक्युलेट नहीं मिलते तो सरकार नोन मैट्रिक को क्यों नहीं लेती ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नोन–मैट्रिक हम लेना नहीं चाहते ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : स्कूलें खोली हैं और मास्टर नहीं मिलते, इसका मतलब यह है कि वे बन्द हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यापक मिलते नहीं हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जब मैट्रिक पास नहीं मिलते और मिडिल पास मिलते हैं तो वे ही ले लिये जावें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर फिर से उनको लेना शुरू कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जावेगी । यह साल भर की और डिफिकल्टी है । बहुत से लड़के मैट्रिक पास हो जावेंगे । अभी तो हमने सारे ग्रेडों के मामले को ठीक किया है । अगर फिर मिडिल पास लेने लग गये तो इसमें बड़ी डिफिकल्टी आवेगी ।

श्री भीमसेन : मिडिल पास वालों को आप वह ग्रेड दे दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम मिडल पास को रख ही नहीं रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : जब मिडिल पास को आप लेने के लिये तैयार नहीं हैं और मैट्रिक पास मिलते नहीं हैं तो फिर उन स्कूलों के खोलने से क्या लाभ ?

श्री लक्ष्मी चन्द : जब मैट्रिक पास वाले जाने के लिये तैयार नहीं हैं तो आपको मिडिल पास वालों को लेना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने जो स्तर रखा है उसमें कम से कम मैट्रिक रखा है । मैट्रिक की योग्यता होना आवश्यक है । हम मिडल केडर को समाप्त करना चाहते हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप इसको समाप्त करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मैट्रिक के अध्यापक नहीं है । इसलिये मिडल के अध्यापकों को रखना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : कई स्थानों पर मिडल वाले लिये गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक साल का काम है। अगले साल कई विद्यार्थी मैट्रिक पास होंगे और आपके यहां पहुंच जावेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : वहां पर लोग जाना नहीं चाहते। जब कोई जाना नहीं चाहता है तो वहीं के रहने वालों को, जो मिडिल पास हैं, लेने में आपको क्या हिचकिचाहट होनी चाहिये। या तो आप उन लोगों का ग्रेड बढ़ाइये ताकि लालच में आकर वे वहां जाने को तैयार हों और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर नोन मैट्रिक को ही लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बाली तहसील के अकाल ग्रस्त गांव

६२०. **श्री मोतीबाबा** (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाली तहसील के कितने गांवों में गत वर्ष सावन फसल बिल्कुल नहीं हुई व कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं ?

(२) उक्त गावों के लिये आज तक कौन कौन से रिलीफ वर्क कहां २ पर खोले गये हैं तथा इनके लिये कितनी धनराशि दी गई है ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : गत वर्ष बाली तहसील में सावन फसल अच्छी थी, अतः कोई भी गांव अकाल ग्रस्त नहीं थे।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील सांगोद व जिला कोटा में, राष्ट्रीय विस्तार योजना खंड, कनवास

६२१. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बारां-सु०) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार से कोटा जिले की तहसील सांगोद व कानवास की जनता व स्थानीय स्वायत्त इकाइयों की ओर से इन तहसीलों में राष्ट्रीय विस्तार योजना खंड कायम किये जाने की मांग कई बार की गई है ?

(२) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सामयिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष सम्बन्वित उच्च अधिकारी महोदय ने इन तहसीलों में राष्ट्रीय विस्तार खंड कायम किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की थी ?

(४) यदि हां, तो यहां पर राष्ट्रीय विस्तार खंड अब तक कायम न किये जाने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

Page No.30

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(२) सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है और तब तक इन तहसीलों में भी विकास खण्ड चालू कर दिये जाएंगे।

(३) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(४) कोई विशेष कारण नहीं। जब २ भी कोटा जिले में विकास खण्ड खोलने का निर्णय लिया गया जिला विकास समिति की सिफारिशें मांगी गई और इस समिति ने जिन तहसीलों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की उन पर पहले विचार किया गया।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : यह विकास खंड खोलने की अवधि आगे तो नहीं बढ़ेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तो ऐसी आशा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला जयपुर की प्राइमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में परिवर्तन

६२२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जयपुर में किस किस प्राइमरी स्कूल में १०० छात्रों से अधिक छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) जिन प्राईमरी स्कूलों में १३० से अधिक छात्र हों और वहां माध्यमिक स्कूल के योग्य भवन हों तो क्या उनको सरकार इस इस वर्ष माध्यमिक स्कूल में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) एक साथ इतनी बड़ी संख्या में एक ही जिले की प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करना असंभव है। धीरे धीरे जो सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगी और जिला विकास समिति उनको प्रस्तावित करेंगी तो उन पर अन्य स्कूलों के साथ विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या इनमें तीन हजार से ज्यादा आबादी है उनको प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, हर साल जितनी रखी है उसी हिसाब से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला झालावाड़ में उपजाऊ भूमि पर वन विभाग का अधिकार

६२३. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला झालावाड़ में बहुत सी उपजाऊ भूमियां बीड के नाम से वन विभाग के अधिकार में हैं और जिन में केवल वर्षा ऋतु में घास उगता है ?

(श्री रामचन्द्र)

(२) क्या यह भी सत्य है कि यह घास प्रति वर्ष ठेका देकर बेच दिया जाता है और ठेके की रकम वन विभाग की आमदनी मानली जाती है ?

(३) क्या ऐसी भूमियों को भूमिहीन किसान खेती करने की मांग कर रहे हैं ?

(४) क्या सरकार ऐसी भूमियों को संयुक्त सहकारी आधार पर भूमिहीनों को खेती करने के लिये देने का विचार रखती है ?

(५) ऐसी भूमियां कुल कितनी हैं और कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):
(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, कभी कभी ।

(४) जी नहीं । सरकार ने इस सम्बन्ध में कमेटी मुकर्रर कर रखी है उसकी रिपोर्ट आने पर ।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

मिडिल स्कूल हरीगढ़, जिला झालावाड़ के अध्यापक

६२४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा मु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मिडिल स्कूल हरीगढ़, जिला झालावाड़, में छात्र संख्या कितनी है और किस किस नाम के अध्यापक स्कूल में काम कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अध्यापक श्री बालाराम और श्री गोपालदास मिडिल स्कूल हरीगढ़ से तनख्वाह पाते हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों अध्यापकों की इस स्कूल में कितनी हाजारी सन् ५७–५८ में दर्ज है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (१) २२६ छात्र हैं । निम्नलिखित अध्यापक कार्य कर रहे हैं :

१. श्री बशीर मोहम्मद	प्रधान अध्यापक	
२. श्री बजरंगलाल	सहायक	अध्यापक
३. श्री धुलीलाल	,,	,,
४. श्री मांगीलाल	,,	,,
५. श्री भैरुलाल	,,	,,
६. श्री मोहनलाल	,,	,,
७. श्री राधेश्याम	,,	,,
८. श्री आनन्द स्वरूप	,,	,,
९. श्री सूरज प्रसाद	,,	,,
१०. श्री प्रभुलाल गौतम	,,	,,
११. श्री गोपीलाल	,,	,,

(२) श्री बालाराम नाम का कोई अध्यापक हरीगढ़ स्कूल में नहीं रहा है । तथा श्री गोपालदास १ जनवरी सन् ५८ से सितम्बर सन् ५८ तक वेतन पाया है । इस अध्यापक का डेपुटेशन माध्यमिक शाला

Page No.32

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

झालावाड़ में कर दिया था अतः इनकी हाजरी हरीगढ़ स्कूल में नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

ग्राम जुरहरा के किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

६२६ **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम जुरहरा की नई सड़क बनाने के लिए जिन किसानों की जमीन अवाप्त की गई थी उनको अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उन किसानों से अभी तक जमीन की मालगुजारी भी राजस्व विभाग द्वारा बदस्तूर वसूल की जा रही है ?

(३) संबंधित सड़क के हेतु उक्त जमीनों को लिए हुए कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ?

(४) इतने वर्ष तक मुआवजा न देने और अवाप्त की हुई भूमि पर लगान लेने के क्या कारण हैं ?

(५) अब सरकार उन किसानों को मुआवजा देने, मालगुजारी लेना बन्द करने, तथा ली हुई मालगुजारी को वापिस देने की कार्यवाही कब तक करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) इस भूमि को अवाप्त करने की पूरी तकमील अभी तक नहीं हुई, इसलिए मुआवजा नहीं दिया गया।

(२) न तो निर्माण विभाग द्वारा और न जमींदारों की ओर से ऐसा प्रश्न उठाया गया कि अमुक जमीन सड़क में आ गई है, लगान माफ किया जावे इसलिए लगान माफ नहीं हो सका है। आम तौर पर ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो जमीन कैनाल, सड़क, बन्ध में आगयी हो उनका लगान न लिया जावे।

(३) कार्यवाही सन् १९५३ से निर्माण विभाग द्वारा, जैसे जैसे सड़क बनती गई, भूमि पर कब्जा किया गया।

(४) इसका कारण यह है कि भूमि अवाप्ति कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है। लगान लेने का कारण प्रश्न २ के उत्तर में अर्ज कर चुका हूँ।

(५) नियमानुसार अगर किसी को हक है तो मुआवजा दिया जावेगा और मालगुजारी जो वैसी वसूल हुई है तो वापिस दी जावेगी। समस्त तहसीलदारों को ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो भूमि सड़क व बन्ध में आ गई है उन पर लगान 'छूट' में दिखलाया जावे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अवाप्त की गई भूमि की तकमील कितने दिनों में होती है ? मैं समझता हूँ कि इस भूमि को लिये हुए छः साल तो हो गये हैं लेकिन कितना समय और इसकी तक्मील में लगेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : दफा ६ का नोटिफिकेशन जारी किया है। वह १८-८-५६ के राजपत्र में जारी हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपकी दफा तो आप जानें, लेकिन किसानों के लिए कौन सी दफा है वे नहीं जानते।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो दफा थी वह मैंने आपको बतायी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या उनसे मालगुजारी भी ली जा रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर ली जा रही है तो रिफन्ड कर दी जावेगी और आॅर्डर जारी कर दिये हैं कि मालगुजारी न ली जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनकी ओर से समय समय पर लिखा गया है, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किनको लिखा गया है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपके विभाग को।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा हो सकता है कि लिखा गया हो। लेकिन लगान न लेने के लिए आॅर्डर्स जारी कर दिये हैं और कम्पेन्सेशन प्रोसिडिंग्स पूरी न हो जांय तब तक नहीं मिल सकता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या जल्दी ही तय करने की कोई तजवीज़ है?

श्री दामोदरलाल व्यास : फैसला जल्दी ही हो, इसके लिए तजवीज़ की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६२७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

पंचायत सीधमुख द्वारा खातेदारी की भूमि का विक्रय

६२८. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चुरू जिले की राजगढ़ निजामत के एस. डी. ओ. द्वारा पंचायत सीधमुख में भूमि विक्रय के सम्बन्ध में करीब १३ हजार रुपयों के गबन के मामले की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा? नतीजे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) क्या सरकार को विदित है कि पंचायत द्वारा जो भूमि विक्रय की गई थी वह आबादी की न होकर किसी के खातेदारी के खेत की थी?

(३) क्या काबिल काश्त किसी की खातेदारी भूमि के बेचने का पंचायत को अधिकार है? यदि नहीं, तो उपरोक्त भूमि कैसे बेची गई?

(४) क्या उपरोक्त भूमि की सार्वजनिक नीलामी की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, जांच के परिणाम स्वरूप गबन की शिकायत तथ्यहीन पायी गई। रिपोर्ट गोपनीय है और सार्वजनिक हित में नहीं है उसको प्रकाशित करना।

(२) यह आबादी में शामिल कर ली गई थी।

(३) जी नहीं। यह माजी साहब सीधमुख से पायी गई।

(४) जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं।

श्री मोहरसिंह : यह जमीन कब काटी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर सरकार की ओर से ही २६ प्लॉट्स को आबादी में शामिल कर लिया गया था।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न समाप्त हुए।

१२,५ म० प०

अनुदानों की मांगें

श्री पी० के० चौधरी : I have got an adjourment motion.

श्री अध्यक्ष : It is being considered.

अनुदानों की मांग

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (आबकारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के, व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७,११,०००) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

इस मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे कि—

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जावे (शराब के ठेकों की निलामी के तरीके पर विचार करने हेतु)"

श्री जगदीश प्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे कि—

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जावे (शराब के दिए जाने वाले ठेकों पर विचार करने के लिए)"

श्री रामेश्वरदयाल प्रस्ताव करेंगे कि—

"Demand No. II-Major head 8 State Excise Duties be reduced by Rs. 100/-(to discuss the question of cancellation of the licenses of liquor shops in Ladpura, Kota City)"

"Demand No. II- Major head 8 State Excise duties be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government to implement prohibition)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी कि-

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (सरकार को मध्य निषेध का काम हाथ में लेना चाहिए इस सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे कि-

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (राज्य में शराब बन्दी लागू करने पर बहस करने हेतु)"

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे कि-

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (सरकार द्वारा शराब बन्दी लागू नहीं करने पर विचार करने हेतु)"

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि-

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८, राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (नाजायज शराब के निर्माण को रोकने में असफलता पर विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (आयुर्वेदिक आसवारिष्ट पर आबकारी कर लेने की नीति पर विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (आबकारी विभाग की अव्यवस्था पर विवाद करने हेतु)"

श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे कि-

Demand No. II Major Head 8-State Excise duties be reduced by Rs. 1/-(to discuss the failure of Government in implementing the scheme of prohibition)"

श्री सूबेदारसिंह प्रस्ताव करेंगे कि-

"मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (अवैध शराब के रोकने में असफलता पर बहस करने के लिये)"

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, जब तक राजस्थान का बजट पेश नहीं हुआ था राजस्थान की जनता की यह धारणा थी कि हमारे दा साहब, राजस्थान के वित्त मंत्री इस बजट में यह संकेत करेंगे कि शराब की जो नीति है उसको किसी प्रकार कम किया जाय। लेकिन इस ओर इस प्रकार का किसी किस्म का सबूत नहीं मिला। बजट जब प्रस्तुत हुआ तो जो ठेके की नीति है सरकार की जिस ठेके के ज़रिये सरकार आमदनी बढ़ाती है वही की वही नीति कायम रखी गई है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम प्रगतिशील कानून बना रहे हैं, हम प्रगतिशीलता की बातें कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर यह प्रगति है कि इससे खुले आम भ्रष्टाचार फैलता है। आज राजस्थान में शराब के जितने ठेके चलते हैं उनसे सरकार को आमदनी हो सकती है और वह आमदनी बढ़ा भी सकती है लेकिन जनता पर तो इसका बुरा असर पड़ता है कि खुले आम सरकार चोरी का लाइसेन्स दे रही है, खुले आम सरकार चोरों को पनपा रही है, शराब को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खुले आम सरकार इन ठेकों के लाइसेन्स देकर

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चोरी को बढावा दे रही है और चोरों की आमदनी कैसे बढ़े और अपनी आमदनी भी कैसे बढ़े इसको बढावा दे रही है। यही सरकार के ठेके की नीति है। किसी भी ठेके को ले लीजिये। सरकार को ठेके से आमदनी ज्यादा होती है और जो ठेका लेता है उसको आमदनी कम होती है। आदमी कमाने के लिए ही ठेका लेता है, गंवाने के लिए नहीं, चाहे वह सरकार का खैरख्वाह हो सकता है और उसके लिए सरकार को पैसा दे दे या बिल्डिंग दे दे, लेकिन जो इस ठेके से उसकी आमदनी का जरिया है वह यह इच्छा करेगा कि इससे कुटुम्ब का पालन पोषण करूं और जितना खर्चा है वह इसकी आमदनी से करूं। जहां ठेके का सवाल आता है लेने के लिए, रियली आपने देखा होगा कि जितने ठेकों को नीलाम करते हैं उसको कमीशन कम दिया जाता है। और उससे कई गुणा आमदनी सरकार को ज्यादा होती है। सरकार खुद इसको महसूस करती है कि ठेकों की ज्यादा आमदनी सरकार को होती है और उनका मुनाफा ज्यादा होता है। तो जिस रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और ब्लेक मार्केट से सरकार को आमदनी ज्यादा होती है तो क्या वह सरकार यह गर्व कर सकती है प्रगतिशील सरकार है ? यदि आमदनी ज्यादा करना है तो टैक्स लगाओ, कोई बात नहीं कह सकते हैं कि टैक्स लेते हैं लेकिन इस तरह से ठेकों के द्वारा खुले आम चोरी के ठेके दिये जाते हैं, सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए। सांचोर के ठेके को ही ले लीजिये। जहां चार हज़ार रुपया ठेकेदार को मिलेगा वहां सरकार को वह ६ हज़ार रुपया ठेके के देगा। तो फिर करेगा क्या ? आखिर उसमें पानी मिलायेगा, अच्छी तरह से उसको नहीं बेचेगा। इससे तो जनता में यही इम्प्रेशन बनेगा कि सरकार ही खुले आम चोरी करवाती है। जिस चोरी से इस प्रकार से आमदनी हो, तो फिर सरकार को घोषणा कर देनी चाहिये कि खुले आम चोरी करो और सरकार को चौथ दे दो। जो सरकार प्रगतिशीलता का गौरव करती है और दम भरती है उस सरकार को तो चाहिये कि चाहे तीन करोड़ की आमदनी कम हो जाय और यदि १० करोड़ की भी आमदनी हो इस शराब से और वह कम हो जाय तो भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। देश में ऐसी नज़ीर पैदा कीजिये कि शराब का निषेध करके, लोग कहें कि राजस्थान की पहली सरकार है जिसने इसका सम्पूर्ण रूप से अपने राज्य में निषेध कर दिया है। गांधी वादी सरकार बनेगी तो उस समय नारा लगाते थे कि हम शराब को बन्द करेंगे, वे बातें कहां चली गईं ? अब जब उत्तर देने का मौका आता है तो कहेंगे कि ३ करोड़ की आमदनी कम हो जायगी। यदि चोरी से ३ करोड़ की आमदनी हो तो यह उस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। जो सरकार खुले आम इसका लाइसेन्स देती है और फिर गर्व करती है कि प्रगतिशील सरकार है, सरकार को प्रगतिशीलता का दावा नहीं करना चाहिये। आपको तो अब खुले आम घोषणा कर देनी चाहिये कि कोई चोर-डकैत इसका लाइसेन्स लेना चाहे तो ले ले। इसी तरह से इस प्रजातन्त्रीय सरकार की इस प्रजातन्त्र में यही नीति रही तो लोगों का जो प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास है वह खत्म हो जायगा और लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो ऑक्शन की नीति अपनायी जाती

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है, उसको खत्म कर देना चाहिये। इससे नुकसान राजस्थान सरकार को भले ही हो, किन्तु वह नुकसान अवश्य बर्दाश्त करना चाहिये, एक आदर्श कायम करना चाहिये और वह भी हमारे वित्तमंत्री महोदय द्वारा जो दा.सा कहलाते हैं उनकी ओर से तो सरकार को इस प्रकार की प्रेरणा मिलनी ही चाहिये। जब राजस्थान के वृद्धि वित्त मंत्री इस प्रकार की सलाह देते हैं ऑक्शन की, तो नेचुरली इससे भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी कोष में आयगा और उससे भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलेगा। जैसी कि मारवाड़ी में कहावत है।

"आहार जेड़ों अगरोइयो"

जिसका मतलब है जैसा आप खाना खायेंगे वैसी ही आपको डकार आयगी। भ्रष्टाचार से जो पैसा आपके कोष में आ रहा है और उस पैसे से आप सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं तो उस पैसे का असर जरूर आयगा। उनकी बुद्धि ठीक कहां से होगी? यह खुले रूप में भ्रष्टाचार का पैसा है क्योंकि जो लोग शराब का ठेका लेते हैं वे खुले आम ब्लैक मार्केट करते हैं और शराब में पानी मिला कर बेचते हैं। इससे ऐसा लगता है, "यथा राजा तथा प्रजा" जैसी राजा की नीति होगी वैसी प्रजा भी होगी। इससे होगा क्या कि लोगों में सरकार के प्रति जो भावना है वह दिन प्रतिदिन गिरती जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऑक्शन का यह जो सिस्टम है उसे बन्द करना चाहिये।

अगर सरकार यह चाहती हो कि इसको धीरे धीरे बन्द किया जाय तो सरकार को चाहिये कि अपनी दुकानें खोल दें, उसके लिये कमीशन मुकर्रर कर दें और सरकार अपने ही किसी व्यक्ति को रख दे जो खुले आम बेच सके। कल भी इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो मंत्री महोदय की तरफ से यह उत्तर दिया गया कि जो ठेका लेते है उन्हें यह बातें सोचनी चाहिये या जो शराब पीते हैं उन्हें सोचना चाहिये कि उन्हें किस प्रकार की शराब मिल रही है। सरकार क्यों नहीं सोचती कि हमारे कोष में इतनी आमदनी आती कैसे है? वे अगर पानी मिलाते हैं तो इसलिये कि ज्यादा आमदनी हो या कम देते हैं। आखिरकार इस सब का नुकसान जनता को ही होता है। जो सरकार अपने को प्रगतिशील सरकार कहलाने का दावा करती है, वैसी हालत में जो यह अप्रगतिशील रवैया अख्तियारकर रखा है उसको खत्म कर देना चाहिये व इस प्रणाली में परिवर्तन कर देना चाहिये और आपको यह आदर्श कायम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि नीलामी ठेके की जो रीति है, ऑक्शन का जो सिस्टम है या तो उसे बन्द कर दिया जाए या इस नीति में परिवर्तन किया जाय और सरकार शराब की अपनी दुकानें खोल दे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस मांग के सम्बन्ध में, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज के अन्दर उन व्यक्तियों को सब से अधिक बुरा माना जाता है जो चोरी करते हैं और बुरी नीयत से पैसा कमाते हैं और उस कमाने के बाद समाज में अच्छा बनने के लिये अपनी इज्ज़त कायम रखने के लिये कई लोग जो इस प्रकार से पैसा कमाते है वे कुछ दान पुण्य करते हैं। बड़े

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बड़े साहूकार जो सूदखोर होते हैं, वे लोग जिनको समाज बुरा समझता है, कई बार प्याऊ लगाते हैं, धर्मशाला पाठशाला बनवाते हैं, उसी प्रकार का यह धंधा हमारी सरकार कर रही है। सरकार ने २५ हजार रुपया तय किया है वह इसलिये कि हमारे प्रान्त के अन्दर लोग शराब न पीयें शराब पीने से जो नुकसान होता है उसका प्रचार करने के निमित्त सरकार ने बजट में २५ हजार रुपये का प्रावधान रखा है। यह उसी प्रकार की स्थिति है, जैसे एक बुरा आदमी जो पैसा कमाता है, समाज के अन्दर दिखाने के लिये, वह बाद में कुछ दान पुण्य करता है, धर्मादा निकालता है, वह इसलिये कि उसने जो बुरा काम किया है उसका पाप उसे न लगे। कई सेठ साहूकार लोग इसी प्रेरणा धर्मादा निकालते हैं। सरकार भी जो शराब से पैसा कमाती है और उसके लिये समाज में इसकी बुराइयों को बताने के लिये उसके प्रचार के लिये जो पचीस हजार रुपये का प्रावधान रखा है वह इसी प्रकार का प्रावधान है। सरकार ने यह भी कहा है कि हमने एक कमेटी बनाई है वह इस बात का प्रचार भी करेगी। इस तरह से यह विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ तो एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ दूसरी बात कहते हैं। सरकार यह बात मान जाय कि शराब न पी जाय और इसके प्रचार के लिये जो हमने पच्चीस हज़ार रूपये रखे हैं उसे हम स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार यह कहे कि शराब पीनी चाहिए और शराब की आवश्यकता है तो जो इसके लिये मांग रखी है वह स्वीकार की जाय। दोनों बातों में एक बात आप यह करलें। दोनों में से एक नीति आपको अपनानी पड़ेगी। सरकार की ओर से यह कहा जायगा कि हमें तो बजट के घाटे की पूर्ति करनी है तो यह बात मुझे मान्य नहीं है। अभी अभी केन्द्रीय वित्त मंत्री से यह मांग की गई थी कि खंडसारी पर जो कर लग रहा है उसको घटा दिया जाय, डीज़ल पर जो कर रखा है उसे घटा दिया जाय और उसकी बजाय नमक पर कर लगा दिया जाय। इसका जवाब देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि नमक पर कर लगाना हमारे सिद्धान्त के प्रतिकूल है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने नमक सत्याग्रह नामक एक सत्याग्रह किया था, वह इसीलिये कि नमक पर कर नहीं लगना चाहिये। जहां तक सिद्धान्त की बात है, ठीक है लेकिन शराबबन्दी की नीति को भी महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने इसे भी सिद्धान्त का प्रश्न बनाया था। हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री जो राजस्थान के प्रसिद्ध गांधीवादी कहलाये जाते हैं वे इस सिद्धान्तवादी बात को यहां पर लागू क्यों नहीं करते? वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि राजस्थान में एक तरफ शराब से पैसा आता है और दूसरी तरफ इसको बन्द कर दिया जाता है तो यह जो एक प्रकार का गृह उद्योग है और इसमें जो काम करने वाले हैं वे बेकार हो जायेंगे। यह मैं भी मानता हूं कि इसके बन्द करने से काफी लोग बेकार हो सकते हैं किन्तु आप जो विदेशों से शराब मंगाते हैं एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है उस कमी के कारण जीवन की उपयोगी वस्तुओं को हम विदेशों से मंगा नहीं पाते इस कमी के कारण कई चीजें जो हम बाहर से मंगाना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहते हैं, उसमें कमी करनी पड़ती है। जब आप शराब विदेशों से मंगाते हैं तो उसके लिये फॉरेन एक्सचेन्ज आप कहां से लाते हैं। मैं यह कह नहीं सकता कि विदेशी शराब के लिये, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय को किस प्रकार से राजी कर लिया जिनका कि यह कहना है कि अगर मैं बम्बई में मद्यनिषेध कानून को समाप्त कर देता हूं तो बम्बई के लोग सड़क पर नाचने लग जायेंगे। उसके लिये उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझको गद्दी भी क्यों न छोड़नी पड़े मद्य निषेध की जो नीति बम्बई के लिये अपनायी गई है वह नहीं त्यागूंगा। मैं देखता हूँ कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने विदेशी शराब राजस्थान को देने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री को किस प्रकार से राजी कर लिया, यह तो भगवान ही जाने।

शराब से आमदनी बढ़ी है, जो अगर हम शराब को गैर कानूनी घोषित कर देते हैं तो सरकार के कोष में काफी नुकसान रहता है। सरकार यह कहती है कि हमने, जितनी भी गैर कानूनी शराब बनती थी, उसको बन्द किया है और सरकार द्वारा शराब दी जाती है। इस के लिये वित्त मंत्री महोदय की फोर्स गांव गांव घूमती है और जो नाजायज़ शराब बनाते हैं उनको पकड़ती भी है। हमारा तो अनुभव ऐसा है कि सरकार ने जब से यह अपने हाथ में लिया है तब से शराब ज्यादा मात्रा में बनने लगी है जितनी कि पहले नहीं बनती थी। आपने सजा का प्रावधान जरूर कड़ा किया है उसके लिये छः महिने की सज़ा भी दी जाने लगी है। यह सज़ा कड़ी जरूर है किन्तु जितनी कड़ी आपने सजा मुकर्रर की है उतनी ही अधिक मात्रा में शराब बनने भी लगी है। सरकार ने जो इस इन्डस्ट्री को अपने हाथ में लिया है वास्तव में वह उसमें फेल हुई है। सरकार जो सीलबन्द शराब बेचती है और ठेकेदारों से जो ठेका जिस रूप में नीलाम करवाया जाता है उसके अनुसार ठेकेदारों से अधिक से अधिक मात्रा में राशि ली जाती है, जैसे किसी ठेकेदार से ६ हज़ार या बारह हज़ार लेंगे। ठेके के पैसे की रकम जो जमा करानी है ठेकेदार उससे अधिक मात्रा में सरकार से लेकर नहीं बेचेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जितनी मात्रा का ठेका दिया गया या शराब दी गई, यह राशि कहीं कहीं कम आती है। अधिकांश मात्रा में शराब आदि में पानी मिलाया जाता है। कहीं पर तो आधा और कहीं पर चौथाई और कहीं पर ज्यादा पानी शराब में मिलाया जाता है। हर जगह पानी मिलाया जाता है। वित्त मंत्री जी कहेंगे कि पिछली बार जब इसी बात पर प्रसंग चला था तो उन्होंने कहा था कि इससे तो स्वास्थ्य अच्छा होता है...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने नहीं कहा था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने ही कहा था लेकिन सदन में यह बात आई थी कि इस तरह शराब पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। आपकी लेबोरेटरी से बनकर शुद्ध चीज़ आती है और जो शराब पीते है उससे सुना है कि जो शुद्ध चीज़ आती है, उससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता है लेकिन जहां मिलावट की हुई शराब आती है तो उससे नुकसान होता है। आपके विभाग

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

द्वारा सील अवश्य लगाई जाती है मगर आप कहीं पर भी जाकर चैक करें तो मालूम होगा कि विभाग न जाने किस प्रकार की सील लगाता है कि सब जगह टूटी हुई सील मिलेगी और न जाने उन पर कहां से नकली सील आ जाती है। हमने देखा है कि हमारे यहां जो ठेकेदार हैं उनकी हवेलियां खड़ी हो गई हैं, वह अब खूब धंधा करने लगे हैं, उनकी मोटरें चलने लगी हैं यह मोटरें कहां से चलने लगी हैं, सब शराब में पानी मिलाने से, जो शराब वह बेचते हैं उससे चलती हैं। तो जितनी मात्रा में शराब पीने वाले हैं अगर उतनी ही राज्य सरकार की शराब बिके तो जितना आपको नफा हुआ है उससे दुगुना नफा होगा, आज जितनी आमदनी हो रही है उससे दुगुनी आमदनी होगी और दूसरी ओर लोगों को शुद्ध शराब पीने को मिलेगी। भगवान के लिए पहले तो आप शराब बन्दी लागू कर दें और अगर शराब बन्दी नहीं करते हैं तो फिर जो पीने वाले हैं उनको शुद्ध शराब तो पीने को दो।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : शराब शुद्ध होती नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसको शुद्ध किया जाता है। दा साहब का हाथ लगेगा तो फिर क्यों नहीं शुद्ध होगी।

तो इसका कम से कम ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो शराब पीने को मिले वह शुद्ध होनी चाहिए। फिर कम से कम सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि दूसरे अधिकारी चाहे पीयें या नहीं पीयें, लेकिन जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वह कतई नहीं पीयें। आप इस शराब को रोकने के लिए यह प्रावधान करते हैं कि नाजाइज़ शराब नहीं पीयेंगे तो फिर ऐसा भी अनुभव होता है कि कई ऐसे आदमी हैं और कई ऐसे अधिकारी जो शराब पीये हुए दिखाई देते हैं। तो इस विभाग के अधिकारियों के लिए तो ऐसा नियम बना दिया जाना चाहिए कि इस विभाग के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी शराब पीते हुए पकड़े गये तो उनको तुरन्त नौकरी से बर्ख्वास्त कर दिया जायेगा। होना तो यह चाहिए। राज्य सरकार ने जो २५,००० रु० की राशि मद्यनिषेध की नीति का प्रचार करने के लिए निकाले हैं। तो जिस प्रकार से राज्य के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी दो विवाह नहीं कर सकते इसी प्रकार से यह नियम भी लागू कर सकते हैं कि शराब नहीं पीयें। जिस नीति में हम विश्वास करते हैं तो उस नीति का पहले घर से पालन करवाया जाना चाहिए। कोई भी काम यदि करना हो तो उसको पहले घर से प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण रख सकें। देखा यह जाता है कि हमारे सरकारी अधिकारी पीकर जाते हैं, वहीं पी लेते हैं तो किस ढंग से समाज को समझा सकेंगे कि शराब पीना खराब है। तो इस प्रकार का प्रश्न है कि यदि इसके अन्दर हमारी सरकार घाटा खाती है तो भी अच्छा है और कम से कम जब तक नीति चालू नहीं हो तब तक जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको तो अवश्य कार्यान्वित करने के लिए वित मंत्री जी विचार करेंगे। इसी के लिए मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव

(श्री रामेश्वरदयाल)

नं० १६ और नं० ३ एक साथ सदन में प्रस्तुत करता हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ट सम्बंध रखते हैं। यह इस प्रकार है:

"(1) Demand No. II, Major Head 8-State Excise Duties be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of cancellation of the licences of liquor shops in Ladpura, Kota City.)

(2) Demand No. II, Major Head 8-State Excise Duties be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Government to implement prohibition)"

१६ नम्बर का जो कटौती का प्रस्ताव है उसके द्वारा मैं राज्य सरकार मद्यनिषेध के संबंध में असफल नीति के ऊपर विचार करना चाहता हूं और ३ नम्बर का जो कटौती का प्रस्ताव है वह राज्य सरकार की इस असफल नीति का एक ज्वलंत प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व और प्रसन्नता होती है कि राज्य सरकार भूमि सुधारों के क्षेत्र में अन्य पड़ौसी प्रान्तों से बहुत आगे रही हैं, वहां मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि राज्य सरकार, जहां तक इस मद्यनिषेध नीति का प्रश्न है, वह अन्य राज्यों की अपेक्षा बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुकाबिले में बहुत पीछे रही है। मद्यपान हमारे राज्य और प्रान्त के लिए एक बहुत अभिशाप है और बड़ा भारी कलंक है, जिसका उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है और मेरा विश्वास है कि हमारे दा सहाब जैसे गांधी वादी नेता के कार्यकाल में इस कलंक को हम राजस्थान से सदैव के लिए, मैं अधिक समय की बात नहीं करता, इस आने वाले वर्ष के अंत तक दूर करके राजस्थान की ८० लाख जनता को मुक्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और इस बात की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मद्यनिषेध के सम्बंध में माननीय श्री मोरारजी देसाई ने बम्बई के अन्दर जो एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील कदम उठाया सफलतापूर्वक, वह राजस्थान के लिए एक बहुत भारी आदर्श है और अनुकरणीय है। मद्यनिषेध के सम्बंध में हो सकता है। कुछ लोग विश्वास न करें इसके बारे में नाना प्रकार के संदेह प्रकट करें लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है लगभग सभी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि मद्यनिषेध होना चाहिए और इस नीति को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हो सकता है कि राज्य सरकार के सामने ३ करोड़ घाटे का प्रश्न पैदा हो सकता है, हो सकता है कि इसमें वित्तीय और आर्थिक रुकावटें आयें...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : भ्रष्टाचार में कमी हो जायेगी, तो पूर्ति हो जायेगी।

श्री रामेश्वर दयाल : इसमें भ्रष्टाचार का प्रश्न तो राज्य सरकार के सामने नहीं आता।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : क्यों नहीं आता ? क्योंकि खुद करते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : इसको आप ज्यादा समझायेंगे। तो जो वित्तीय मुश्किलातें हैं वे एक कारण हो सकती हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं और उसके कार्य हैं उसका केवल एक मापदण्ड है और वह है लोक-

(श्री रामेश्वरदयाल)

कल्याण और जनहित। अगर इस कसौटी पर कसा जाये तो कितना भी आर्थिक और वित्तीय नुकसान हो, इस मद्यनिषेध की नीति को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इस प्रकार की कठिनाइयां इस कार्य के अन्दर रुकावटें पैदा नहीं कर सकतीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सन् १६५७ के अन्दर कुछ निर्णय लिया। मसलन राज्य कर्मचारियों के ऊपर मद्यनिषेध के सम्बंध में पाबंदियां लगाई। यह भी निर्णय किया गया कि राजस्थान के अन्दर मद्य की जो दुकानें हैं उनको कम किया जायेगा और जहां तक मुझे जानकारी है, मद्यनिषेध की नीति को आने वाले वर्ष के अंत तक राज्यभर में लागू कर दिया जायेगा। अब देखना यह है कि इन घोषणाओं के ऊपर राज्य सरकार कहां तक कायम रही है? जहां तक मुझे जानकारी है दुकानों के अन्दर कोई कमी नहीं हुई और आज भी स्थिति यह है कि कर्मचारी मद्यपान करते हैं और उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं सभी के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मौजूद हैं जो कि राज्य सरकार की इस नीति के खिलाफ अमल करते हैं इसी प्रकार से आज भी होटलों के अन्दर और सार्वजनिक स्थानों के अन्दर मद्यपान होता है। इसी प्रकार से आज भी मद्यनिषेध के सम्बंध में सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये हैं। जिस धीमी गति से यह कुल कार्यवाही हो रही है उससे यह आभास होता है कि निकट भविष्य के अन्दर मद्यनिषेध संबंधी नीति का सफलता पूर्वक और पूर्णतः क्रियान्वित किया जाना मुश्किल नज़र आता है। तो आज यह है स्थिति हमारे राज्य की और हमारे प्रान्त की और यह है नीति हमारी राज्य सरकार की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो यहां नहीं है मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहने की धृष्टता करूं कि इस संबंध में, प्रोहिबिशन के मामले में, मद्यनिषेध के मामले में राज्य सरकार की नीति प्रगतिशल नीति नहीं हैं और बहुत पिछड़ी हुई नीति है, चाहे इसका कोई भी कारण हो, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता। यह काम राज्य सरकार के लिए है। कोई भी कारण हो जब कि यह स्वीकार कर लिए गया है, जब भारतीय संविधान के आर्टिकल ४७ अन्दर राज्य सरकारों के लिए और भारत सरकार के लिए यह निर्देशन मान लिया गया है कि मद्यनिषेध को जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण देश के अन्दर लागू किया जायगा तो ऐसी स्थिति के अन्दर इस प्रकार की बातों का कोई कारण नहीं माना जा सकता और इन बातों के आधार पर इस नीति को दृढ़ता के साथ और साहस के साथ बावजूद कितनी ही कठिनाइयां हों, कितना भी विरोध हो, इसको पूरा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मद्यपान का जो प्रश्न है वह राजस्थान की करीब ७०-८० लाख जनता का प्रश्न है। आज यह प्रश्न ८० लाख जनता की सुख, समृद्धि, शान्ति और कल्याण का प्रश्न है। अगर इस मद्यनिषेध नीति को राज्यव्यापी रूप दिया जाता है तो इस से ८० लाख जनता को राहत मिलेगी और उससे उनको कल्याण मिलेगा, और उनको शान्ति मिलेगी और सब प्रकार के सुख मिलेगें, उनका आर्थिक उत्थान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे

Page No.43

(श्री रामेश्वरदयाल)

राज्य के अन्दर यह जो सब से बड़ी बुराई है वह अछूतों के अन्दर, जन जातियों के अन्दर, अनुसूचित जातियों के अन्दर और पिछड़ी जातियों के अन्दर बहुत अधिकांश रूप में पाई जाती है और आज की स्थिति यह है कि वह कितने ही गरीब हों, आर्थिक दृष्टि से ही कमज़ोर हों, लेकिन मद्यपान को वे अपना कर्तव्य समझकर रोज इस्तेमाल करते हैं....

श्री अमृतलाल यादव (जालौर सु.) : आजकल सवर्णों में भी ज्यादा पी जाती है ।

श्री रामेश्वरदयाल : उसके लिए मैं अभी आ रहा हूं ।

तो आज उनकी कितनी छोटी तनख्वाहें हैं, उनके पास गुजारे के लिए पैसा नहीं है, कपड़ों के लिए पैसा नहीं है और खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वह कर्ज़ा लेकर और हर प्रकार की कोशिश करके मद्यपान करते हैं और तो और कभी कभी तो किसी किसी मामले में तो स्थिति यहां तक आ जाती है कि अपना मकान गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है और कभी कभी तो अपने बच्चों, लड़कों और अपनी स्त्री को भी इसके लिए गिरवी रखने और बेचने की नौबत आ जाती है । तो इस प्रकार की आज स्थिति है इन लोगों के अन्दर, जिनकी आबादी हमारे राज्य के अन्दर लगभग ७० लाख के करीब है, जो कि राज्य भर की जनसंख्या की आधी संख्या है ।

इनमें तो यह बात है ही लेकिन सवर्णों के अन्दर आज यह बीमारी एक संक्रामक रूप धारण कर रही है, और यह [illegible] कि माननीय वित्त मंत्री महोदय की सन् ५७ की घोषणा के बाद राज्य में शराब की ज्यादा दुकानें बढ़ी है, शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है और अगर उन दुकानों के हिसाबों को चैक किया जाय तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी बिक्री जरूरत से ज्यादा बढ़ी है । शहरी क्षेत्रों के अन्दर और क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आज इसका रूप और भी अधिक तेज़ी से भयंकर होता जा रहा है । आज जब इस प्रकार की स्थिति है, जब आज इस प्रकार की माली हालत है, जब कि यह कहा जाता है कि हमारे प्रान्त के अन्दर अधिकतर लोग गरीब हैं, उनकी माली हालत गिरी हुई है और इस सामाजिक बुराई से जो हमारा सामाजिक पतन हो रहा है, जो नैतिक पतन हो रहा है, जो व्यभिचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और नाना प्रकार की खराबियां हमारे समाज के अन्दर आई हैं, आज उसको देखते हुए, जो यह तीन करोड़ के घाटे का प्रश्न है, इस तीन करोड़ की आमदनी का जो प्रश्न है वह कोई महत्व नहीं रखता है और इसके मुकाबले में लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठाने का प्रश्न है, लोगों की नैतिकता का प्रश्न है । वह नैतिक दृष्टि से ही नहीं लेकिन माली दृष्टि से हर प्रकार से सम्पन्न हो, यह प्रश्न आज है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न ज्यादा गम्भीर है । इसको हमारी राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मद्यनिषेध में सबसे पहला बम्बई राज्य है जहां कि मद्यनिषेध का प्रयोग किया गया । सन् ५१ के अन्दर राज्य भर में बम्बई के अन्दर मद्यनिषेध नीति को अपनाया गया । उस समय लोग

Page No.44

(श्री रामेश्वरदयाल)

यह शंका करते थे कि यह नीति असफल होगी और इसका बड़ा भारी विरोध हुआ, बड़े बड़े प्रदर्शन हुये, लेकिन माननीय श्री मुरारजी देसाई उस पर कायम रहे और कायम रहते हुए उन्होंने अपनी नीति को बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनाया और उसको क्रियान्वित कराया। इससे पहले बम्बई राज्य की और खास तौर से देहाती क्षेत्रों की जो हालत थी वह वास्तव में दयनीय और चिन्तनीय थी। देहाती क्षेत्रों के अन्दर लगभग ८० प्रतिशत लोग शराब का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब यह नीति लागू की गई तब आरम्भ में इसमें बहुत सी बाधाएं भी आई, स्मगलिंग भी हुआ। पोर्चुगीज़ बस्तियों से अवैध शराब बम्बई में आई, नतीजा यह हुआ कि बम्बई सरकार को बोर्डर्स को सील करना पड़ा और उसके बाद इल्लिसिट डिस्टिलेशन हुआ, लेकिन इसके खिलाफ भी वहां की राज्य सरकार ने ऐसी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जब यही स्थिति वहां आई और उसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कड़ा कदम उठाया गया तो आज मद्य निषेध की नीति बम्बई के लिये बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है, अध्यक्ष महोदय, और मैं कह सकता हूँ कि यदि राजस्थान में भी इस नीति को पूर्णरूपेण अपनाया जाता है तो राजस्थान के लिये भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बम्बई में ७० और ८० पर्सेन्ट लोग शराब का इस्तेमाल करते थे, आज वहां केवल १० पर्सेन्ट रह गये हैं और वे भी चोरी से या छिपकर गैर कानूनी तरीके से शराब का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन एक समय आनेवाला है, आज से ५० साल बाद या १०० साल बाद जब बम्बई में १० पर्सेन्ट शराब का इस्तेमाल करनेवालों की संख्या भी समाप्त हो जायगी और बम्बई इस कलंक से मुक्त और आजाद हो जायगा, तो आज बम्बई में जहां यह प्रयोग किया गया वहां इसका आशाजनक परिणाम आया है और आज वहां के लोगों की माली हालत और नैतिक हालत ऊंची उठी है। इसी प्रकार की स्थिति मद्रास में हुई और इसी प्रकार की स्थिति अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में आम तौर से कुछ जिले मुस्तसना किये गये, लेकिन जहां इस नीति को अपनाया गया वहां पर इसके बहुत ही आशाजनक और संतोषजनक परिणाम निकले हैं। आज जब हमारे सामने उत्तर प्रदेश की, मद्रास की और खास तौर से बम्बई की प्रेरणादायक मिसाल मौजूद है तो इन मिसालों को देखते हुए, उनके अच्छे परिणामों को देखते हुए, जो कि लोक कल्याण के लिये हैं, जो कि जनहित के लिये हैं, उन परिणामों को देखते हुए कोई कारण नहीं कि राजस्थान सरकार इसको राज्य भर के अन्दर क्यों नहीं पूर्णरूपेण आयन्दा वर्ष में लागू करती। यदि इस नीति को आगामी वर्ष के अन्दर लागू नहीं किया जायगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का बहुत ज्यादा अनिष्ट होगा और यह राजस्थान की ७०,८० लाख जनता के साथ बहुत बड़ा भारी अन्याय होगा और उनके हित के ऊपर बहुत बड़ा भारी आघात होगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ और एक बार फिर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब हमारी राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप में....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कोई सदस्य (श्री अमृतलाल यादव)

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ऑफिशियल गैलेरी में बैठे लोगों के पास जाकर बात करते हैं तो हाउस में डिस्टर्बेन्स होता है, ये १५ मिनिट से वहां खड़े बातें करते हैं, मंत्री महोदय बात करते तो दूसरी बात थी।

श्री अर्जुनदास : Probably he has forgotten the decorum of the House, Sir.

(श्री अमृतलाल यादव के अपने स्थान पर बैठ जाने पर पुनः)

श्री रामेश्वरदयाल : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि जब राज्य सरकार ने इस नीति को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और जब इस नीति का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर भी स्वागत किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संघ का भी इस प्रकार का निर्देशन है, हमारे संविधान का निर्देशन है तो राज्य सरकार इस क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ी रहे, यह बहुत आश्चर्यजनक और खेदजनक बात है। इसकी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं इसके बारे में उदाहरणों की तरफ आना चाहता हूं जो राज्य सरकार की इस नीति की असफलता का एक ज्वलंत प्रमाण है और वह यह है कि एक तरफ तो राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि शराब की दुकानों में कमी की जायगी और धीरे धीरे उन को समाप्त कर दिया जायगा, लेकिन हम देखते हैं कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी अन्तर है। कोटा के अन्दर लाडपुरा मोहल्ले में आम सड़क के किनारे एक शराब की दुकान है और उस शराब की दुकान के अंदर शराब बेची ही नहीं जाती, बल्कि लोग सरे आम शराब पीते हैं जो कि, मैं समझता हूं, राज्य सरकार की नीति और घोषणा के विरूद्ध हैं। इस मोहल्ले के अन्दर ये शराबी शराब पीकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहां की शान्ति को भंग करते हैं, गाली गलौच करते हैं। जो मोहल्लेवालों के लिये बड़ा भारी न्युसेन्स है। इस प्रकार की स्थिति चल रही है कई वर्षों से, लेकिन राज्य सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। राज्य सरकार के पास वहां के नागरिकों ने कई दर्ख्वास्तें भेजी, राज्य सरकार के मंत्रियों से कई शिष्ट मंडल मिले, इस बारे में कई बार कहा गया और कई बार हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी यह आश्वासन दिया कि इस सम्बंध में जल्दी ही कदम उठायेंगे। पिछली बार जब वित्त मंत्रीजी कोटा पधारे थे उस समय भी उनके नोटिस में यह बात लाई गई थी और उन्होंने फरमाया था कि इस दुकान के बजाय और कोई दूसरी जगह बताई जाय तो इसको वहां शिफ्ट किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे शिफ्ट करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, यदि कोई दुकान नहीं मिलती है या कोई स्थान नहीं मिलता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस प्रकार सरे आम इस दुकान को बदस्तूर जारी रखा जाय और वहां की जनता की शान्ति और सुखमय जीवन को बाधा पहुँचाई जाय। यदि स्थान दूसरा नहीं मिलता है तो इस प्रकार की दूकान को समाप्त किया जाय, उसके लाइसेन्स को रद्द कर दिया जाय। राज्य सरकार की नीति है कि दुकानें कम की जायेंगी और जिसके लिये जनता की और वहां के लोगों की मांग है उसे बंद क्यों नहीं किया जाता जब कि वह दुकान जनता के लिये नुकसानदायक चीज साबित हो रही है

(श्री रामेश्वरदयाल)

और जो परेशानी का बायस हो रही है उसको हर साल फिर से लाइसेन्स रिन्यू करके पुन-र्जीवित कर दिया जाता है इस प्रकार की सरकार की ढिलमिल नीति से सरकार की उस घोषणा में संदेह प्रकट हो रहा है। जो सरकार कहती है कि प्रान्त भर में मद्यनिषेध की नीति को वह पूर्णतया अपनाना चाहती है इसलिये मैं फिर आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस दुकान को कम करके क्यों नहीं राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुरूप काम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८ राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है और उसे मैं सदन में विचारार्थ, प्रस्तुत करती हूं।

अभी सदन में प्रश्नोत्तर काल में राज-स्थान सरकार की मद्य निषेध के सम्बन्ध में क्या नीति है, इस विषय में प्रकाश पड़ा। उसको देख कर सचमुच ही राजस्थान के किसी भी नागरिक को खेद हो सकता है कि मद्य जैसी चीज, जिसका समर्थन राज्य का एक भी प्राणी नहीं कर सकता, जिसके विरोध की आवाज़ चारों ओर से आती है, उस चीज़ को सरकार संरक्षण दे रही है...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : संरक्षण नहीं दे रही हैं।

डॉ० चन्द्र कला : और जब उनसे पूछा जाता है कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, तो बहुत ही धीरे धीरे शब्दों में बताया जाता है, धीरे धीरे इस बात को रोकना....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आवाज़ धीमी नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आवाज़ में तेजी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध का काम धीरे धीरे होने वाला नहीं हैं। हम लोग गांधीजी के अनुयायी होने और गांधी जी की नीति का अनुकरण करने वाले होने का दावा करते हैं और कहते यह हैं कि हम धीरे धीरे इस काम को करेंगे। माननीय वित्त मन्त्री महोदय को मालूम है कि गांधी जी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा था कि चाहे तीन करोड़ की नहीं, कई करोड़ की आमदनी हो, लेकिन हमको मद्य के द्वारा कोई भी आमदनी स्वीकार नहीं करनी है। उनके सामने जब प्रश्न आया फिर यह शिक्षा के खर्च, या दूसरे व्यय के लिए रुपया कहां से आयेगा, तब उन्होंने कहा था कि जनता को शराब पिला कर उस आमदनी से बच्चों को शिक्षित करने की नीति

(डॉ० चन्द्रकला)

को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता । आज क्योंकि हमें तीन करोड़ रुपये चाहिए, इसलिए हम अपने प्रान्त की जनता को शराब पिलायेंगे, नशे में रखेंगे, उनके जीवन को बरबाद करेंगे, उनके पारिवारिक जीवन को नहीं देखेंगे, तीन करोड़ रुपये हमारे खजाने में आने चाहिये । समझ में नहीं आता कि सरकार को अपनी आमदनी के लिए और ज़रिया दिखाई नहीं पड़ा क्या ? हम नहीं भूले होंगे कि हमारा पड़ौसी चीन भी इसी तरह अफीम के सहारे अपनी अर्थ रचना को लेकर चल रहा था और इसलिए क्योंकि उनके खजाने में अफीम के सहारे पैसा आ रहा था और दूसरी ओर वहां की जनता गाढ़ी निद्रा में सो रही थी लेकिन उनको अपनी निद्रा को छोड़ना पड़ा, अफीम को त्यागना पड़ा और तब जाकर वे आगे बढ़ सके हैं । मैं तो कहना चाहती हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक सरकार की यह नीति रहेगी, इस नीति, एक तरह से अनीति के रास्ते पर जब तक हम रहेंगे तब तक हम समाजवादी समाज की रचना की बात करते रहें, वह हमारा सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि इसका असर मजदूरों पर, गरीब लोगों पर पड़ता है । अभी प्रश्नोत्तर काल में ही चर्चा हुई कि सरकारी अधिकारी, जो शराब पीते हैं, मद्य निषेध के लिए, ये मदिरा न पीयें, शराब न पीयें, इसके लिए आदेश जारी किये गये हैं लेकिन उन आदेशों का कितना पालन होता है, कितना उसको माना जाता है, कितने अर्थों में वह स्वीकार किया जाता है, इसको सदन में और शायद हमारे माननीय वित्त मन्त्री भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब कि सरकार ने एक रास्ता खोल रखा है, इसके लिए, तो खुली छूट है और भले ही हम कह दें कि हमने होटलों में, सार्वजनिक स्थानों में, बारों में शराब पीने की मनाही कर दी है । अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकती हूं कि ऐसे आदेश मनाई के कागजों पर भले ही हों लेकिन शराब का उपयोग, मदिरा का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है । यह तो तीन करोड़ की आमदनी, या जो थोड़ी सी मदें बजट में रखी गई हैं, उनकी बात है । लेकिन मैं जयपुर में, जयपुर शहर में हम जानते हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर देशी शराब की भट्टियां हैं, अवैधानिक भट्टियां हैं, वहां अवैधानिक तरीके से शराब बनाई जाती है और उसकी खपत होती है । हमारी सरकार और सरकारी गुप्तचर विभाग और सारे के सारे आदमी उसमें शामिल होते हैं किसी न किसी तरह से । वे एक ओर शराब बन कर, लोगों को नशा पिला कर नशे में मस्त करते हैं और दूसरी ओर सरकार अपने मद्य निषेध के नियम लागू नहीं करती है, इस कारण वैधानिक और अवैधानिक तरीके से कुछ शराब बनाई जाती है, उसको बेचने के लिए उस तरह से प्रबन्ध होता है । मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो इस तरह से अवैधानिक तरीके से शराब का धन्धा करके अपनी जीविका कमाते हैं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): चुनाव में हरिजनों को पिलाते हैं, वोटों के लिए ।

डॉ० चन्द्रकला : हमारी सरकार यह बात कहती है कि धीरे धीरे हम इस तरह करने वाले हैं । इसमें कांग्रेस का या किसी दूसरे का सवाल नहीं है । जहां शराब का सवाल है मुझे यह स्वीकार करते हुए कोई शर्म नहीं आती है कि हमारी सरकार की शराबबन्दी

(डॉ० चन्द्रकला)

की, मद्य निषेध की नीति ढिलमिल नीति है और एक तरह यह कांग्रेस के सिद्धान्त का हनन करती है

(करतल-ध्वनि)

नहीं तो, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम शराब बन्दी का था। उस दिनों जब नमक सत्याग्रह की बात चली, उसके पहले हमारी बहिनें और महिलायें शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करती थीं। लेकिन हमारी सरकार उसको नहीं करती है। उसे प्रश्रय देती है। मैंने प्रश्रय की बात कही, प्रश्रय की बात हमारे वित्त मन्त्री महोदय को ज्यादा अखरती है, लेकिन मैं तो....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: इससे भी कठिन शब्द, कहना चाहती हैं।

डॉ० चन्द्रकला: इससे भी कठिन शब्द, 'कठिन शब्द होता', का इस्तेमाल कर सकती हूं क्योंकि हमारी सरकार जनता को नशे में रख कर, नैतिक पतन का कारण बन कर, जनता के जीवन को बरबाद करके, धन बरबाद करके, पारिवारिक जीवन को बरबाद करके, अपना कोष बढ़ाये, यह सोचती है। मैं सुझाव दूंगी कि हमारी सरकार तीन करोड़ के बिना रह जाय, बजट को कम दे, दूसरे दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, क्या जरूरत है साहित्य अकादमी की, क्या जरूरत है नाटक अकादमी की,

(करतल-ध्वनि)

पहले जनता का पेट भर लेती, अपनी दूसरी समस्यायें हल कर लेती, उसके बाद साहित्य अकादमी, नाटक अकादमी के विकास की बात सोचती और इस तरह की बात की जाती कि अपने बजट को किस तरह नियमित, संयमित और किस तरह मर्यादित किया जा सकता है। सरकार अपने खर्च को कम कर सकती है। आज आप एक परिवार से आशा करते है, जो छोटा परिवार होता है, उसकी आमदनी कम होती है, उससे कब आप कहते हैं कि कर्जा लो, या नैतिक रास्ते को अपना कर अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा करो। हम आशा करते हैं कि जितनी चादर है, उतना पांव फैलाये। क्यों नहीं, हमारी सरकार की जितनी बड़ी चादर है, उतना पांव वह फैलाये, चादर को थोड़ा छोटा करे, पांव को थोड़ा सिकोड़े। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि यह नीति, धीरे धीरे काम करने वाली नीति है और धीरे धीरे शराब को मिटाने वाली नीति है, इसलिए सरकार ने जो सलाहकारी समिति बनाई है, इस दिशा में और कदम उठाये हैं, वे धीरे धीरे चलने वाले हैं, धीरे धीरे कदम चलाती है हमारी सरकार। कागजों पर सिद्धान्त रख दिये गये हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। मैं तो कहती हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं या जो बातें कहीं गई हैं कि हम यह कदम उठा रहे हैं, वह कदम उठा रहे हैं, उन कदमों में एक कदम यह बताया गया है कि शराब की दुकानें हैं, वे बस्तियों में नहीं रखेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आप बस्तियों की बात कहते हैं लेकिन..

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: आम रास्ते की बात है।

डॉ चन्द्रकला: आम रास्ते की बात कहिये, आम रास्ते ले लीजिये। जयपुर

(डॉ० चन्द्रकला)

शहर में ऐसी जगह दुकानें खोली गई हैं, जहां बस्ती हैं, जहां कई परिवार रहते हैं। ऐसी बस्ती में दुकान बीच में रखी गई है, वहां पीने के पानी का नल है। सदन को यह जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हमारा शिष्ट मंडल वित्त मंत्री जी से मिला और उनको बताया कि देखिये वहां शराब की दुकान होने से जनता को असुविधा होती है तो उन्होंने कहा, क्या पानी का नल हटवा दें। बड़ा अफसोस हुआ यह सुन कर कि पानी का नल हट सकता है और क्योंकि शराब की दुकान २५ हज़ार देती है सरकारी खजाने में, इसलिए वह वहां बदस्तूर बनी रह सकती है। कह तो दिया कि बस्तियों में दुकान नहीं रखी जायगी। क्या अच्छा होता कि विधान सभा में जो बात कही जाती है, यहां सरकार एक बात कह देती है, उसका सरकार बाहर पालन कर लेती, तो हमें परेशानी नहीं होती, हमें संतोष हो जाता। लेकिन कह तो कुछ देते हैं पर होता कुछ नहीं है। हम दूसरी बातों से सब्र कर सकते हैं लेकिन मद्य निषेध जैसी चीज़ के बारे में जब सरकार की ढिलमिल नीति की बात आती है, तो सचमुच खेद होता है, वह खेद व्यक्तिगत खेद नहीं है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चौड़े रास्ते की बात है।

डॉ चन्द्रकला : चौड़े रास्ते की बात है, वह एक आम रास्ता है, वह आम रास्ता दुनियां का मशहूर रास्ता है। वहां पर ठेके की बात कहती हूँ कि वहां लोग शराब पीकर गड़बड़ी मचाते हैं। वहां पर सम्भ्रान्त कुल की बहू बेटियां रहती हैं। मंत्री महोदय को ये बातें कहीं, तो आश्वासन दिया गया कि यह ठेका नहीं दिया जायगा। किन किन शब्दों में किस तरह आश्वासन दिया गया, यह बहुत लम्बी कहानी है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह ठेका २५ हज़ार रुपये में दिया गया। समझ में नहीं आता कि हम किस तरह सरकार को बतायें, किस तरह जनता की भावना को सरकार के कानों तक पहुँचाये, जिससे कि कम से कम वे इस ओर देखते। जब यह कहा कि यह क्या हो गया, इस तरह जब आप करते हैं, जनता को भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, तो फिर क्या होगा। तो यह कहा गया कि वह दूसरा है।

१ म० प०

मैं तो देखना यह चाहती हूं कि मद्य निषेध की नीति को सरकार कहां तक अपनाती है? कहां तो आम रास्तों की बात करते हैं, आम बस्ती के बीच में दिया हुआ ठेका, दी हुई शराब के ठेके की दुकान, वहां की शान्त आबादी के लिये, शान्त लोगों के लिये अशान्ति का कारण बनी हुई है, उसको सरकार कब तक वहां से हटाती है, इस चीज को हमें देखना है। पर इस सम्बन्ध में कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कोरे आश्वासन और बातों से हमें यहां सदन में तसल्ली हो सकती है पर जनता में नहीं हो सकती।

मेरा कटौती प्रस्ताव तो यह था कि मद्य निषेध का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये, मैं तो बहुत तीव्रता से महसूस करती हूं कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे हजारों रास्ते अपनाने पड़ें, चाहे हमें कठिनाई भी हो पर शराब से मिलने वाले ३ करोड़ रुपयों का हमें मोह

(डॉ० चन्द्रकला)

छोड़ना चाहिये क्योंकि इन तीन करोड़ रुपयों के बदले हम कितने ही करोड़ों रुपयों का नुकसान कर लेते हैं। मैं तो यहां तक कहूँगी कि जिस तरह हम शिक्षा देते हैं और उससे जन जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके खर्चे में भी भले ही कमी कर दीजिये और दूसरे अपव्यय हैं, उनको कम कर दीजिये, पर इस मद्य निषेध को तो जरूर लागू कर दीजिये। यह मैं कहना चाहती हूं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आपकी जितनी नीतियां हैं, वे केवल कागजों तक ही न रह जांय, केवल आश्वासन भर न रह जांय, जयपुर शहर में, जो कि राजधानी है, होटलों और रेस्टोरेन्ट्स की बात मैं नहीं करती, जहां आपने इजाजत दे रखी होगी, वैधानिक और अवैधानिक सभी बातें चलती होंगी पर जन जीवन पर सीधा असर करने वाली ठेके की दूकानें जो आपने बस्ती के बीच में दे रखी हैं, उनको तो कम से कम हटा दीजिये। यह कहना कि जनता की ओर से मांग आनी चाहिये। मांग आने की आवश्यकता समझते हैं तो हम तो जनता की ओर से जिस तरह की मांग की जा सकती है वह सब कर चुके हैं, सभी को ले जा कर दिखा चुके हैं, फिर हम किस तरह मांग पेश करें किस तरह आवश्यकता बतायें।

इसके साथ ही मैं मद्य निषेध की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, हमारे देश में कई प्रान्तों ने मद्य निषेध के कार्यक्रम को अपनाया है और मद्य निषेध की दिशा में काफी कार्य किया है और इस दिशा में और कार्य कर रहे हैं। अच्छा होता कि राजस्थान सरकार भी मद्य निषेध के मामले में आगे आती और दूसरों के लिये उदाहरण बनती पर इसको तो आज पहले से चली आने वाली बातें हैं, उनको कायम रखना है पहले से चली आने वाली आय है उसको बनाये रखना है। सरकार की यह आबकारी नीति दोहरे तिहरे ढंग से हमारे जन जीवन को आज बर्बाद कर रही है। यह और अन्यान्य बुराइयों के साथ साथ चोर बाजारी को जन्म दे रही है जिसमें किसी न किसी तरह, प्रत्यक्ष रूप से न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन तो सरकार का माना ही जायगा। चाहे वह उसको स्वीकार करे या न करे।

तो मैं सरकार से कहूँगी कि इस धीरे धीरे वाली अपनी नीति को जल्दी जल्दी वाली नीति बनाये और जल्दी से जल्दी मद्य निषेध के सुन्दर सुगठित, आयोजित और संगठित कार्यक्रम को हाथ में ले। मद्य निषेध से पैसा आपके पास नहीं आयेगा तो लोगों के घरों में तो बच जायगा। अभी यह होता है कि मजदूरों के, गरीब लोगों के और दूसरे लोगों के घरों से पैसा खिंच खिंच कर आता है और आपके पास सरकार के खजाने में एकत्रित हो जाता है, मद्य निषेध की नीति को लागू कर देंगे तो वह सब पैसा ज्यों का त्यों उन लोगों के घरों में बचा रह जायगा और इस तरह अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से कोई घाटा नहीं रहेगा। अभी जो पैसा खिंच खिंच कर आपके पास सरकारी खज़ाने में केन्द्रित होता है यह मद्य निषेध के कार्यक्रम को लागू करने पर विकेन्द्रित ही रहेगा। उन परिवारों में ही यह पैसा रहेगा तो उस पैसे से वे लोग अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकेंगे और इस तरह यह पैसा उनके सुखों के लिये काम में आयेगा।

(डॉ० चन्द्रकला)

तो क्यों नहीं सरकार इस नीति को छोड़ देती है कि आबकारी का पैसा हमारे खजाने में आय, क्यों नहीं सरकार इस पैसे को केंद्रित करने के स्थान पर विकेन्द्रित ही रहने देती ? आज इस शराब के भीषण परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, शराब के कारण मजदूरों के बच्चे नंगे रहते हैं, उनकी स्त्रियां दुखी रहतीं हैं, उनके परिवार और उनका पारिवारिक जीवन नष्ट भ्रष्ट रहता है। तो मद्य निषेध के कार्यक्रम को हाथ में लेने से, मद्य निषेध की नीति को अपनाने से इन लोगों का पारिवारिक जीवन संगठित, सुन्दर और सुव्यवस्थित हो जायगा, इससे दोहरा तिहरा फायदा होने वाला है। पर हमारी सरकार तो एक ही दृष्टिकोण से सोचती है, उसको तो पैसा आता हुआ दिखता है, पर सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि इससे बड़ा मानवता का दृष्टिकोण है, मानवता का लक्ष्य सरकार का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिये। तभी हमारा जन जीवन ऊंचा उठेगा जो उन परिवारों के पास पैसा बचेगा तो उनकी उन्नति होगी, उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन उन्नत होगा उनका जीवन स्तर बढ़ेगा और इस तरह हमारा जो लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का, वह लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्रीजी को बताना चाहती हूँ और चुनौती देती हूँ कि जब तक मद्य निषेध के कार्यक्रम को हाथ में नहीं लेते, तब तक आप भले ही बातें करते रहें, आपका कल्याणकारी राज्य कभी कामयाब नहीं होने वाला है। बापूजी, जिन्होंने हमें मार्ग दर्शन दिया और हमें स्वराज्य दिलाया वे भी इस प्रकार की आबकारी की आमदनी के विरुद्ध थे, यह आमदनी अगर फायदा पहुँचाने वाली होती तो, वे भी इसके लिये कहते। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक व्यवस्था के लिये मद्य निषेध आवश्यक है। इसमें सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिये और शीघ्र ही कार्यक्रम बना कर सख्ती और कड़ाई के साथ उसको अपनाना चाहिये।

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है, कि मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर में एक रु० की कटौती की जावे (राज्य में शराब बन्दी लागू करने पर बहस करने हेतु)

अध्यक्ष महोदय, यह शराब या मद्य का प्रश्न हमारे देश के लिये, समाज के लिये नया नहीं है, मैं समझता हूं सृष्टि के आरम्भ से अब तक हमारे देश में और संभवतः दूसरे देशों में, दोनों प्रकार की प्रवृति रही है, वे लोग भी रहे हैं, जो मद्य जैसी निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करते रहे हैं और साथ ही ऐसे लोग भी रहे हैं, जिन्होंने ऐसी चीज को निषेध माना है। याद नहीं पड़ता कि हमारे देश में किसी धार्मिक ग्रन्थ में या किसी समाज सुधारकों ने शराब का समर्थन किया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हो। बल्कि इसका विरोध कड़े से कड़े शब्दों में किया है, इसको सभ्य लोगों के लिये और जो सामाजिक अच्छे तत्व हैं उनके लिये कभी यह विहित नहीं बताई है, बल्कि इसके पीने वालों को संज्ञा दूसरी और ऐसे शब्दों से ही की गई है, जो अन्यान्य दूसरी सामाजिक बुराइयों के लिये प्रयोग किये जाते हैं।

मेरी तो यह भी मान्यता है कि शायद धर्म की दृष्टि से हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में शराब का पीना निषेध रहा है और यही कारण है कि आज से पहले, यह तो मैं नहीं कहता कि देश में शराब नहीं रही हो, मद्य-पीने वाले नहीं रहे हों लेकिन जो कोई भी शराब पीते थे, वे अच्छी नजरों से समाज में नहीं देखे गये। जब कभी वे लोग शराब पीते थे तो चोरी छुपे पीते थे और शराब पीनेवाले लोगों की उस समय भी समाज के सभ्य लोगों में उनकी गणना नहीं होती थी। उसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है। हमारे यहां जिस समय राजा महाराजाओं की ओर से जब किसी दूसरे स्थान पर कोई राजदूत दूसरे राज्य में जाता था, तो अपने राज्य के अच्छे होने के बहुत से प्रमाण देता था उसके साथ साथ यह भी कहा करता था कि हमारे यहां पर चोरी नहीं होती, व्यभिचार नहीं होता और इसके साथ साथ यह भी कहते थे कि मद्य का भी हमारे राज्य में प्रयोग नहीं होता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : भंग का प्रयोग होता है। भंग पीनेवाले तो हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस वक्त शराब की बात है भंग की बात नहीं है।

तो कहना यह है कि शराब का प्रचार बढ़ा है, वह जहां तक मैं समझता हूं अंग्रेजों के समय में बढ़ा, क्योंकि वे लोग जिस मुल्क से आये वह ठंडा मुल्क है। वे चाहें तो पी सकते हैं। उनके यहां की जलवायु के अनुकूल हो सकती है। इसलिये शायद उनके धर्म में भी इसका निषेध न हो। लेकिन इस देश में अंग्रेजों के आने के साथ ही साथ शराब का प्रचार बहुत बढ़ा लेकिन फिर भी हम लोग इस बात का गौरव कर सकते है कि अपने यहां जो भी शराब पीता था, उसे समाज में अच्छा नहीं समझते थे। उसको धार्मिक दृष्टि से, समाजिक दृष्टि से, भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी उसे बुरा समझते थे और नैतिक दृष्टि से मैं समझता हूं कि आज भी सब सभ्य समाज में शराब पीना बुरा समझते हैं। इन तमाम दृष्टियों से यह शराब त्यागने की चीज रही है। आज उसको हमारी राज्य सरकार कायम रख रही है, क्योंकि इससे उसकी आय में वृद्धि होती है। यह उसकी आय का साधन है इसलिये उसको कायम रखने के लिये आज भी हमारी राज्य सरकार इसको कायम रखने की आवश्यकता अनुभव करती है। मैं समझता हूं कि जब यह चीज हमेशा से हमारे यहां निषेध रही है तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य में तो हम इसके निषेध की पूर्ण रूप से आशा करते हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने और हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने जिस चीज को इतना हीन समझा कि उन्होंने समय समय पर इसके रोकने के लिये अपनी आवाज बुलन्द की। १६३० में उन्होंने इसके लिये आन्दोलन किये और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कराया। यहां तक कि लॉर्ड इर्विन के सामने जो ११ शर्तें रखी थी, उनमें से शराब निषेध की भी एक शर्त थी। जिस समय इर्विन पेक्ट हुआ उस समय दूसरी शर्तों

Page No.53

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

को माना गया था उसके साथ साथ यह भी कहा गया था कि अगर कांग्रेस चाहे, तो पिकेटिंग के द्वारा शराब को बन्द करा सकती हैं महात्मा गांधी से जब कभी पूछा गया तो उन्होंने शराब को रोकने के लिये ही कहा। हमारे संविधान ने भी स्वतन्त्रता के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से शराब पीना बुरा समझते हुए राज्य सरकारों को हिदायत की है कि इसको रोका जाए। इसकी इतनी पृष्ठभूमि होते हुए भी मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार किस तरह से इसकी आवश्यकता समझती है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है What is morally wrong, cannot be legally right. जब इसे धार्मिक समाजिक और आर्थिक दृष्टि से सभी लोग बुरा समझते हैं तो फिर क्या कारण है कि हमारी राज्य सरकार इसकी आवश्यकता समझती है। क्या इसलिये कि इससे राज्य सरकार को मद्य से आमदनी होती हैं मैं समझता हूं कि इस आमदनी को जिस मद में हम खर्च करते हैं उसमें उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसका ध्येय अच्छा होना चाहिये लेकिन आज हमारे वित्त मंत्री यह चाहते हैं कि राज्य कि आय में इससे पैसा आए। तो क्या मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस साधन को उचित और श्रेय समझते हैं? क्या वे इस ध्येय को अच्छा समझते हैं और क्या वे इस साधन को ठीक समझते है और अगर वे इस साधन को ठीक नहीं समझते हैं तो आप केवल आप इसको प्रचार के द्वारा बन्द कर सकते हैं और इसके लिये आप अपने बजट में कुछ रुपया रखते है कि हम प्रचार करके इसको रोकेंगे कि लोग शराब नहीं पीये। मैं यह कहूंगा कि प्रचार तो बहुत चीजों के होते हैं। मगर वे रूक नहीं पाती हैं। कानून इसी लिये बनते हैं कि उनको रोका जाए और लोगों को कानून का डर रहे। बम्बई सरकार ने इसको ५ वर्ष पहले बन्द कर दिया उसको करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ होगा। जबकि हमारे पड़ोसी बम्बई राज्य ने इसको पूर्ण रूप से बन्द कर दिया है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने कई ज़िलों में इस शराब को निषेध करार दिया है तो इन दोनों प्रान्तों के बीच में हमारी राजस्थान सरकार को भी इसको बन्द कर देना चाहिये। मगर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार डरती है, कुछ उसको संकोच होता है। उसको विश्वास नहीं होता है। मैं समझता हूं कि इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि शायद उनका जो यह विभाग है उनको सफलता नहीं मिले और वे इसको रोक न सकें। दूसरा यह जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इससे उनकी आय कम होगी। आय कम होती है तो यह तो सरकार को देखने की बात है कि जब एक बुरी प्रथा को रोकना है तो आय कम होती है तो सरकार को उसके लिये कुछ बर्दाश्त करना होगा और यदि वे यह समझते है कि उनको प्रशासनिक कठिनाइयें होती है कि विभाग ठीक तरह से काम नहीं कर सकता, तो उसके लिये उनको प्रबन्ध करना होगा। अच्छा होता कि जो आप प्रचार के लिये रुपया रख रहे हैं और यह बताया है कि इन इन दिनों शराब नहीं पी जावेगी, उसके बजाय इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान करते कि उत्तर प्रदेश की तरह अमुक अमुक जिलों में शराब बन्दी की जावे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस जिले में सबसे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पहले शराब बन्दी की जावे उसको भरतपुर से आरम्भ किया जावे। जो कुछ भी हम लोग उसके लिये कर सकेंगे, अपना सहयोग देंगे और उसको रोकने की पूरी चेष्टा करेंगे। लेकिन इसके लिये आपको हिम्मत की आवश्यकता है। इसको आज हम इसलिये कायम रखते हैं कि यह एक तो आय का साधन है और दूसरा यह कारण है कि उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकें। फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट है उसमें जो शब्द है उसमें बताया गया है कि खुले आम शराब नहीं बेची जावे।

१. १८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"The drinking in hotels, bars, restaurants, clubs, social parties and functions have completely been stopped throughout the State and only a few hotels have been permitted to serve foreign liquor to foreign tourists and visitors in special rooms provided for the purpose."

मैं समझता हूं कि शायद यह इस किताब में लिखा हो सकता है। उनके किसी ऑर्डर में ऐसा हो सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो, समझ में नहीं आता। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने बताया कि सड़क पर शराब बेचना रोक दिया गया है। मैं आपको बताऊं की आप मेरे साथ भरतपुर की सड़क पर चलिये आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े बोर्ड सड़क पर लगे हुए हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): मैंने यह नहीं कहा कि रोक दी गई है। मैंने कहा कि नीति है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: आपने नीति निर्धारित की वह अमल में आये या न आए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आम सड़कों पर, जहां से आज सैकड़ों ट्युरिस्ट्स की गाड़ियें और बसें निकलती हैं वहां सरे आम बोर्ड लगे हुए हैं कि यहां पर शराब मिलती है। इससे ज्यादा आप क्या प्रचार करेंगे, आपके लोग क्या प्रचार करेंगे, जितना उनका होता है, वहां बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आपने एक तरफ तो यह कहा, लेकिन साथ ही आपके कमिश्नर की ओर से जो यहां फाइनेन्स इन्क्वायरी बैठी थी। उसने इस बात को स्वीकार किया है। सन् १९५८ की रिपोर्ट है :

"During the current year further increase is noticed and receipts are likely to increase the budgets in anticipation." एक तरफ तो निषेध करते हैं कि शराब हमारे देश में कम हो, हमारे राज्य में कम हो, दुकानों को बन्द करने के लिए भी कहते हैं :

'Few shops have been closed' शब्द तो 'फ्यू' है। ग्रामर में तो यह पड़ा था कि फ्यू के माने नहीं। लेकिन आपकी दूकानें कम हुई हैं, फिर यह विरोधाभास कैसे हो रहा है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ३५२ दूकानों को बन्द किया और दूसरी ओर गतवर्ष की रिपोर्ट यह बताती है कि शराब की खपत इस राज्य में बढ़ी है और शराब से होने वाली आमदनी की भी आशा की है कि वह बढ़ी है। हर तरीके से हम

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इसको देखते हैं और हमने देखा है कि हमारे राज्य के पड़ौस में भी इसको पूर्ण रूप से रोक सके हैं, कहीं, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, कुछ लोग हो सकते हैं, पारसी लोग और दूसरे लोग हो सकते हैं जहां, यह निषेध न हो लेकिन यहां तो धार्मिक दृष्टि से यह निषेध है, सामाजिक दृष्टि से यह निषेध है, आर्थिक और स्वास्थ्यिक दृष्टि से भी निषेध हैं। शायद यही कारण है, जैसे कि नीति तो हमने बना ली है लेकिन उसका अमल नहीं हुआ है। पुष्ट नीति नहीं होने के कारण शराब बढ़ा है। इसको वास्तव में हम देखें। अंग्रेजों के वक्त में हम कहते थे कि जब अंग्रेजी साम्राज्य हमारे देश से चला जावेगा तो न केवल हम सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र होंगे, न केवल राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होंगे, आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होंगे, सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होंगे बल्कि नैतिक दृष्टि से भी हमारा उत्थान होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद, मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश में शराब खोरी और दूसरी मांस खोरी ज्यादा बढ़ी है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। देश में शाकाहारी सम्मेलन होता है और विदेशी लोग यहां आते हैं और घोषणा करते हैं, पाश्चात्य देशों में, कॉन्टीनेन्ट या महाद्वीप को अमेरिका कहते हैं, इन देशों में मांसखोरी कम होती जा रही है, सोसाइटीज़ इसको कम करती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह ज्यादा बढ़ रही है। शराब और मांस की जितनी खपत इस देश में बढ़ी है, वह अंग्रेजों के वक्त में भी उतनी नहीं थी। अंग्रेजों के वक्त में तो पाबन्दी थी। थोड़ी सी आमदनी के लिए क्योंकि आमदनी होती है, इसको कायम रखें, यह उचित नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप इस आमदनी को कम करना चाहते हैं, तो भले ही कुछ मदों से खर्चे को कम कर दीजिये, यदि शिक्षा पर कम खर्च होता है या स्वास्थ्य पर भी इससे कम खर्च होता है तो वह थोड़ा कम जरूर लगेगा लेकिन इस मद को राज्य में से ही समाप्त कर दिया जाता है शराब का राज्य में निषेध कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में अच्छा असर होगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी को ही क्या कहूं, हमारी राज्य सरकार, राज्य सरकार कांग्रेस, गांधीजी की अनुयायी है और कांग्रेस की बराबर यह नीति रही है कि इस शराब का निषेध किया जाय। स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधीय प्रयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो इसको अपने राज्य से खत्म कर सकती है। मैं समझता हूं, हमारी प्राचीन परम्परा को देखते हुए, कांग्रेस की परम्परा को देखते हुए, हमारे देश की धार्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार का कर्त्तव्य है कि इसको बन्द करे। हमारे अधिकारियों में, जिनको पब्लिक सर्वेन्ट्स कहते हैं, जन सेवक कहते हैं, उनमें भी यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ती जा रही है। उस समय अंग्रेज जो भी शराब पीते थे या दूसरे लोग पीते थे तो उस वक्त कहते थे कि हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि इसको रोक सके, उस वक्त भी डिकोरम और शिष्टाचार की दृष्टि से प्राइवेट लाइफ में रात को पीकर सोते हों। कहने का मतलब यह है कि एक मर्यादित चीज़ थी, लेकिन आज हमें कई उदाहरण मिलते हैं कि जो शिष्टाचार और सीमा रहती थी उसका कभी कभी उलंघन होता है। इसका कारण यह

Page No.56

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सरकार की सारी नीति ही है। हमारे वित्त मंत्री और राज्य सरकार इस पर गंभीर विचार करें। ये ज्वलन्त प्रमाण हैं, कांग्रेस की जो परम्परा रही है इस प्रश्न को लेकर वह आज कसौटी पर है और इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को और उनके द्वारा राज्य सरकार को बड़े नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। यदि एक साथ निषेध नहीं तो कुछ जिलों में ही इसको शुरू कीजिये। केवल कुछ दिनों से ही काम नहीं चलेगा। जैसा ६-७ दिन वर्ष में, गांधी जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा ऐसे दिन, रोकते हैं। पहले पहले कुछ जिलों को ही चुन लीजिये, २५ में से तीन को ले लीजिये और उनमें पूर्ण निषेध इसका कीजिये। यदि इसको प्रारम्भ करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका यह प्रयोग सफल रहेगा। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कोई इसका विरोधी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिलों में इसको निषेध किया जाय, इसका प्रचार किया जाय और मैं समझता हूं कि सब ही माननीय सदस्य इसमें राज्य सरकार को सहयोग देंगे, इन शब्दों के साथ मैं यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, गांधी और नेहरू के देश में ११ या १२ साल से जहां कांग्रेस सरकार हो और जिस कांग्रेस ने कई वर्षों पहले घोषणा कर दी हो और उस घोषणा के बाद भी कांग्रेस के काफी सदस्य इस बात का विरोध करें और इस बात के लिए जोर दें कि हमारे राजस्थान में शराब बन्दी पूरे राजस्थान में लागू कर दी जाय और उस बात की हम पूरे जोर से अपील करें और करने के उपरान्त भी अगर उसका कुछ असर नहीं होता है तो हम समझते हैं कि केवल हम लोग गांधीजी के नाम पर हम अपने आचरण की क्या परीक्षा देते हैं। यह एक बड़े दुख की बात है और हमें यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य इस बात का अनुरोध करते रहे हैं और इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि सम्पूर्ण राजस्थान में शराब बन्दी कर दी जाय और उपाध्यक्ष महोदय, यह कटौती का प्रस्ताव भी आपके समय में ही, अभी अभी डिस्कस हो रहा है, मुझे बोलते हुए हिचकिचाहट होती है और वित्त मंत्री को भी महसूस होता होगा कि यह है क्या तरीका ? आप किस बात को मानना चाहते हैं ? इससे तो अच्छा था कि अलाउद्दीन खिल्जी के समय में ही, जैसा कि इतिहास बताता है, १३१० में शराब नहीं चलती थी, और औरंगजेब ने तो बिलकुल ही प्रोहिबिशन कर दिया था। ये इस प्रकार की बातें है, उस समय को ख्याल में रख कर वास्कोडिगामा और अन्य विदेशी आकर हमारे देश की तारीफ करें और वे आकर कहें, भारतवर्ष में शराब नहीं पीते हैं। उस समय के युग को आप याद करें। उसके बाद गांधीजी ने जो बातें कही उनको भी याद करें और इस सरकार की नीति को याद करें, आचरण और आदर्श में अन्तर है। हमारी नीति यह हो रही है कि जो शब्द मुंह से निकले जो आचरण और आदर्श में फर्क है वही फर्क आज कांग्रेसी सरकार में है। अगर आप कोई कार्य नहीं कर सकते तो न करें कि हमारी नीति और घोषणा यह है। संविधान के

(श्री मूलचन्द डागा)

आर्टिकल ४७ जो बना दिया गया उसको न कहें तो ज्यादा अच्छा हो । कोन्स्टीटयूशन में परिवर्तन हो जाना चाहिये धारा ४७ के अन्तर्गत हम बारबार यह अपील करें २.८० लाख की जो आमदनी है उसकी प्राप्ति के लिये हमें ६० लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। साठ लाख रुपये आप उसको कम करके बचा सकते हैं अब रहा सवाल सिर्फ दो करोड़ का, क्या इसको आप हल नहीं कर सकते ? बार बार आप भाषण करें अखबारों में निकालें, आपकी जबान का आपकी घोषणा का क्या असर होने वाला है ? यही असर होता है जो पीने वाले हैं, जो शराब पीने के लिये कटिबद्ध हैं वे निर्धन हैं, गरीब हैं, उन लोगों के घरों की स्थिति बतलाती है राजस्थान सरकार जो अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है वह अगर इस शराब बन्दी को लागू कर देती है तो आज जो परिवार निर्धन और दुर्बल दिखाई देते हैं उनमें नया जीवन व्याप्त हो जायगा उनके कार्य करने की शक्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन दृष्टि गोचर होने लगेगा। एक छोटी सी बात है आपका जो समाज कल्याण विभाग है उस पर जो प्रशासन का खर्चा है और दूसरे महकमों का प्रशासन का खर्चा है उसको बन्द कर दिया जायगा तो समाज के अन्दर नई रोशनी आयगी, लोगों में जो मज़दूर वर्ग है, किसानों में नई ताकत पैदा होगी। उनके बाजुओं में ताकत आयगी वे ज्यादा उत्पादन करेंगे, काश्तकार जो हैं वे नयी शक्ति के साथ धान पैदा कर सकेंगे । इसके अलावा होस्पिटल्स में जितने केसेज शराब पीकर आने वाले लोगों के होते हैं उस पर जो खर्चा होता है वह खर्चा नहीं होगा । मर्डर के जितने केसेज हैं उसमें करीब दस पर्सेन्ट केसेज ऐसे होते हैं जो शराब के कारण मर्डर किये हुये होते हैं । इसमें प्रोसीक्यूशन और अदालत का खर्चा कम होजायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी फिर एक दफा और याद दिलाता हूं। बारबार याद दिलाना चाहिये, मेहनत करने का काम हमारा है बार बार कहने के बाद भी अगर असर नहीं होता है तो यह उनकी बात है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आयगा कि हमारी जो बोलने की आदत पड़ गई है जिसकी हम दिन रात घोषणा करते हैं एक नीति बनाते हैं फिर भी उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं तो हम गिरेंगे और ऐसे गिरेंगे कि हमें कोई ऊपर लाने वाला नहीं मिलेगा। हमारी इतनी घोषणाओं के बावजूद भी हम अपने प्रान्त में इस चीज़ को बन्द नहीं करवा सके। बम्बई प्रान्त को देखिये जहां पारसी लोग रहते हैं, जिनका लाखों रुपये का व्यापार है, उस प्रान्त में के० एम० मुन्शी ने और मुरारजी भाई ने सख्ती से काम किया, गली कूचे में घूम घूम कर शराब बन्दी करवाई है। आज उनके इस काम के लिये इन्टक के मेम्बर रेज़ोल्यूशन पास करते हैं । हो सकता है उसमें भी कुछ खामियां हो। मुन्शी ने श्रीमती लीलावती मुन्शी को साथ लेकर हर दुकान से शराब की बोतलें फिकवाई और इस तरह से गांधी जी का जो वाक्य था कि हमारे देश में शराबबन्दी हो उसको करके दिखाया। लेकिन हमारे यहां के वित्त मन्त्री का आचरण और आदर्श किस प्रकार का है यह मैं नहीं कह सकता। उनकी घोषणायें तो होती हैं लेकिन उनको कार्य रूप देना उनके बूते से बाहर मालूम देता है। आपके द्वारा

(श्री मूलचन्द डागा)

बड़े बड़े लम्बे चौड़े भाषण अच्छी अच्छी घोषणायें अच्छे अच्छे वाक्य सुगम प्रोपेगेन्डा जो है वह सब व्यर्थ है, फिजूल है। हमें उनसे नफ़रत हो चुकी है। आपके भाषण से आपकी घोषणाओं से और आपका इस प्रकार का बजट पेश करना फिजूल है। प्रोहिबीशन कमेटी ने यह कहा था कि १६५८ तक प्रोहिबिशन हो जायगा। 'गो स्लो' का जो स्लोगन वह हमारी मायूसी का कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

एक माननीय सदस्य : 'गो स्लो' स्लोगन यह उनके उम्र के कारण है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्र का सम्बन्ध विचारों से नहीं मानता। जो बूढ़े हैं उनके भी ऐसे खयालात और आचरण हमने देखे हैं जो इतने प्रगतिशील हैं कि जवानों से भी कितने ही गुना आगे दिखाई देते हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं कांग्रेसी सदस्य हूं किन्तु ये सब बातें कहते हुए दुख होता है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आज के प्रगतिशील विचारों में शराब का पीना बुरा नहीं माना जाता।

एक माननीय सदस्य : आपने यह कहां से सीख लिया ?

श्री मूलचन्द डागा : यह ठीक है। आज सभ्यता का मुलम्मा चढ़ा कर पढे-लिखे लोग इस पशु वृति को भी प्रगतिशीलता मानते हैं। उनको धन्य है। केवल सभ्यता का मुलम्मा चढ़ा देने से पशु मनुष्य हो नहीं सकता, पशु तो पशु ही रहेगा। जो ग्लास में शराब पीते हैं और दूसरे जो कुल्हड़ में पीते हैं मैं उसमें कोई अन्तर नहीं मानता....

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर): बहुत फर्क है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको वह रिज़ोल्यूशन बताना चाहता हूँ धीरे धीरे की जो पॉलिसी है उसके बारे में सर्व सेवासंघ ने जो प्रस्ताव पास किया है कोपी ऑफ दी रिज़ोल्यूशन एडॉप्टेड बाई सर्व सेवा संघ इन मार्च १६५३ उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया। गांधीजी के नाम की दुहाई देने वाले देश-विदेशों में जो भ्रमण करते हैं वहां कहा जाता है, गान्धीजी के देश से पैगाम लाये हैं कि हिन्दुस्तान के कोने कोने में शराब बन्दी कर दी जायगी। उस पैगाम का असर राजस्थान पर कुछ नहीं होता। २.८० लाख की आमदनी के लिए जो हमारे राज्य के कर्णधार हैं, शासन चलाने वाले हैं अगुआ हैं, अभी तक उन पर इस पैगाम का असर क्या हुआ है। सर्व सेवा संघ ने १६५३ में प्रस्ताव पास किया है, 'गो स्लो' जो कह रहे हैं उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं

"At present, however, the lot of the poor and the requirements of national policy are being overlooked for considerations of revenue and 'go-slow' tactics in this regard have become a catchword for the Center. The Central Ministers even sometimes dare attribute publicly, lack of foresight on the part of States who have introduced prohibition. The Sangh takes exception to this view since it holds that the "Go-slow" policy can only lead to a precipitate fall." अगर आप इस रिज़ोल्यूशन की मन्शा को, भावना को

(डॉ० मूलचन्द डागा)

देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गो स्लो पॉलिसी के खिलाफ है। आप खड्डे में गिरना चाहते हैं और धीरे धीरे। जब हमारी नस्ल कमज़ोर हो जायगी, हमारी स्थिति बिगड़ जायगी, यहां के लोग दुर्बल और निर्धन हो जायेंगे, उसके बाद आपका कानून लागू होगा, आपका नेशन कमज़ोर हो जायगा तब आप लागू करेंगे। इसके बाद जो दूसरा रिज़ोल्युशन वर्किंग कमेटी ने पास किया है....

डॉ बहादुर सिंह: यह तो ताकत देता है।

श्री मूलचन्द डागा : ताकत देता है थोड़े समय के लिए। राह से चलते हुए बादशाह तक बन जाता है लेकिन जब पीता है तो फकीर बन कर नाले में गिरता है। लोगों में खड़ा होकर बोलता है, चित गिरता है। दुनिया देखती है और वह लड़खड़ा कर पीछे गिरता है।

एक माननीय सदस्य : अनुभव है क्या आपको ?

श्री मुलचन्द डागा : जो वर्किंग कमेटी ने रिज़ोल्युशन पास किया है वह इस प्रकार है :...

"Prohibition has brought happiness to the families of the working class and an immense relief to the women and children of those who were slaves of the drink habit". अभी मुझसे पहले डॉक्टर चन्द्रकला ने महिलाओं के लिए कहा और उन्होंने ए० आई० सी० सी० के लिए कहा कि किस प्रकार से घर के अन्दर वर्किंग कमेटी ने इस रिज़ोल्युशन को पास किया और बताया कि इस प्रोहिबिशन से किस प्रकार का रिलीफ बम्बई और दूसरी जगहों पर हुआ है; इसका उन्होंने ज़िक किया। इस बारे में २ मई, १९५३ को ऑल इन्डिया वूमेन्स फैडरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया :

"The Standing Committee of the A. I. W. C. views with grave concern relaxation in the prohibition policy of some of the States and reaffirms its faith in total prohibition and considerations of State revenue should not enter in implementing the prohibition policy and appeals to the State Governments to introduce, extend and rigorously enforce prohibition in keeping with the Directive Principles of State policy laid down in the Constitution and thus save the masses from the evils of drink and all its attendant consequences." यह है २ मई, १९५३ का रिज़ोल्यूशन।

डॉ० बहादुरसिंह : बहुत पुराना हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : और फिर आज ६ साल के बाद भी वही हालत रही। इसके बाद में एक और रिज़ोल्युशन पास किया और उन्होंने यह बताया कि हम लोग इस प्रोहिबिशन को अप्रेल, १९५८ तक लगा देंगे। लोगों ने सोचा कि एक इन्क्वायरी कमेटी है जिसने अपना निर्णय दे दिया है। हां, एक बात यहां जरूर है कि कमेटियां खूब बैठती हैं, खूब बातें करते हैं। एक टार्गेट लिया कि हम थ्रू आउट इन्डिया शराब बन्द कर देंगे। शायद वह राजस्थान के लिए

(श्री मूलचन्द डागा)

एक्सैप्शन था । We recommend that the target date of prohibition should be 1st April, 1958. In recommending this date, we have taken into consideration both the urgency of the situation and the practical difficulty of the States concerned. तो अप्रेल, १९५८ तक शराबबन्दी लागू कर देंगे। लेकिन अब है अप्रेल, १९५९ और आज यह कानून पास कर रहे हैं और कहते हैं कि शराब का हमारा ३ करोड़ रुपये का बजट है। यहां हैं बड़े बड़े महापुरुष । प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। पांच साल के बाद जब गवर्नमेंट २ करोड़ ८० लाख के चक्कर में अभी तक मद्यनिषेध नहीं कर सकी तो यह है हमारी घोषणाओं का नमूना। यह है हमारा आचरण, हमारी नीति, हमारी रीति और हमारा आदर्श। और हमारे आदर्श का पालन इस प्रकार का रहा है। दूसरे देशों की जो हालत बताई गई है उसके बारे में भी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एक बात जरूर है कि कभी कभी पुलिस थानेदार कहते हैं कि शराब पिलाकर चोरों को पकड़ा जाये तो यह है दुनिया में राज्य करने का तरीका। कुछ लोग ऐसे रहें। अगर सब के सब होशियार हो गए तो फिर राज्य कौन करने देगा? जब हमने कोई नीति मान ली है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ४७ हमने मान लिया है उसके बाद में भी आप मद्यनिषेध क्यों नहीं करते हैं? रूस के अन्दर, शायद मुकिलाल जी मोदी नहीं हैं वरना उनसे सुनते···

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं क्या?

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : मैं बताना चाहता हूँ कि १९१४ में रशिया के अन्दर २५२९३ दुकानें शराब की थीं और १९१७ के अन्दर ८४६ दुकानें कर दीं और उन्होंने बताया कि "After the revolution in 1917, Prohibition was extended to wines and beers. Lenin was of the view that to promote the sale of Vodka would mean one step back to capitalism. लेनिन के यह व्यूज़ थे। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों आदमियों को आराम मिलने लगा यह हमारा शिष्टाचार बतलाता है कि लोगों ने पर्दों के पीछे, निरोज़ और बड़ी बड़ी होटलों में जाना आरम्भ किया! फ्रान्स के अन्दर क्या था कि···

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : At present there is no Minister at all, neither the Dy. Minister even.

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन फ्रान्स के अन्दर किस प्रकार शराब की दुकानें हटाई गई। मेरे पास प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया, १९५४ की किताब है और उसके अन्दर जो रिपोर्ट निकली है और उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनको बता रहा हूँ····

श्री अर्जुनदास : ट्रेज़री बेन्चेज़ में कोई नहीं है, आपकी बात कौन सुनेगा?

श्री उपाध्यक्ष : I stress my great resentment on the absence of the Hon'ble Ministers from the House and the House has always been reminding me about it. I would like them to pay more attention to the business of the House.

Page No.61

श्री अर्जुनदास : Let the Dy. Minister rise and say, I am sorry, atleast.

श्री पी० के० चौधरी : The Chair has already resented-

श्री मूलचंद डागा : उन्होंने यह बताया कि जब जब शराब का प्रचार अधिक हुआ तब तब ज्यादा दौलत बिमारी पर, केसेज़ पर, मुकदमों पर खर्च करनी पड़ी तो तह साबित हो चुका है कि दूसरे देशों में जो शराब की दुकानें हैं और जो खराबियां फैलती हैं उससे बजट का बहुत सा पैसा शराब के लिए खर्च होता है उनको रोकने के लिए । ३ करोड़ रुपये का बजट पुलिस का इसीलिए ही तो बढ़ा है । जितने एक्सीडेन्ट्स होने लगे हैं, चाहे वह नई दिल्ली में हो या जयपुर के चौराहों पर या सड़कों पर हों, उनका कुछ कारण तो यह होता है कि शराब पीने से उनकी बुद्धि कमजोर हो गई है । हाथ लड़खड़ा जाते हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं । तनख्वाहें बढ़ी और शराब पीना ज्यादा कर दिया । जितने भी एक्सीडेन्ट हुए । १६५८ में रेलवे के बहुत एक्सीडेन्ट हुए उसका कारण यह बताया गया कि जब इन्जीनियर्स और ड्राइवर्स की तनख्वाहें बढ़ीं तो उनका शराब का खर्चा बढ़ गया और जब शराब पीते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है और दूसरी निकल जाती है । तो दो चीजें शराब पीने वाले के दिमाग में नहीं रह सकती हैं । शराब पीने के बाद में जब बुद्धि रफूचक्कर हो जाती है तो एक्सीडेन्ट हो जाते हैं और ड्राईवर लोग दूसरों की मौत से खेलते हैं । तो शराब के लिए यह जरूरी है कि हम शराब बन्दी इसलिए नहीं करना चाहते हैं केवल कि यह कोई धार्मिक संस्कार हैं या कोई हमारे शास्त्र ने कह दिया है या फिर साधुओं ने कह दिया है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सब की यह राय है कि हम नशीली चीजों को देश में कम करना चाहते हैं । हमारी शक्ति बढ़ गी और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जितने भी मर्डर केसेज़ हुए हैं उनमें से कई केसेज़ में क्या होता है कि वह मर्डर शराब के कारण होते हैं । लोग कह देते हैं कि नशे में था । आपके नशे की आदत ने देश के अन्दर बड़ा भारी नुकसान किया है । मैं यह बतलाना चाहता था कि शराब के बिकने की आजकल क्या हालत है । मैं पाली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । पाली में २७०० मजदूर काम करते हैं और वहां पर १० तारीख को हजारों रुपयों का वितरण होता है और वहां की शराब की दुकानों के बारे में मैंने कई बार प्रार्थना की कि पाली में जो शराब की दुकानें हैं उन दुकानों को जहां मजदूर रहते हैं वहां से दो मील की दूरी पर लगाई जायें । लेकिन कोई नहीं सुनता । चाहे वह पानी मिलाकर बेचें, चाहे आपका एक्साइज़ इन्सपेक्टर कुछ भी करे आपको कोई चिंता नहीं है । दो तीन दुकानें जो पाली में हैं वह उस एरिया में हैं जहां मजदूर रहते हैं । एक तालाब का मोहल्ला और एक खटीकों का मोहल्ला है वहां पर शराब की दुकानें हैं । वहां पर दुकान वाले आराम से शराब बेचते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके शराब की दुकानें वहां से हटवाने का कष्ट करें । दूसरी बात, जो शराब के मुकद्दमात होते हैं उनको कन्डक्ट करने में कितना लोस होता है । मैंने कई बार कहा कि इसमें हज़ारों रुपये खर्च करते हैं वह रुपया पी. पी. यानी पब्लिक पोसीक्यूटर आर. पी. आई. को केसेज़ लड़ने के लिए दिया जाय ताकि ठीक तोर से उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

वे कन्डक्ट कर सकें। नहीं तो क्या होता है कि सारे के सारे केसेज़ दफा ५४ एक्साइज़ एक्ट के अन्दर जो रिकवरी करनी पड़ती है उस रिकवरी के मामले में मोतबिर जो होते हैं वे मना कर जाते हैं कि हमारे सामने रिकवरी नहीं हुई है। उसमें कुछ एमेंडमेंट की जरूरत है और एमेंडमेंट नहीं होता है तब तक शराब की बोतलों को रिकवर करने में और केस का चालान करने में हज़ारों रुपया खर्च होता है वह व्यर्थ खर्च होता है। उससे कोई फायदा गवर्नमेंट को नहीं होता है, क्योंकि ५४ के अन्दर जितने केसेज़ होते हैं, मैं समझता हूं कि ७५ पर्सेन्ट केसेज़ के अन्दर वे एक्विट होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं। तो मैंने इसलिए प्रार्थना की है कि अगर हम अपने मुल्क में किसी भी दृष्टिकोण से सोचें तो सब दृष्टिकोणों से यह कहना होगा कि शराबबन्दी करना होगा। जब तक शराबबन्दी नहीं करेंगे तब तक नुकसान उठाना पड़ेगा और उससे अधिक नुकसान होने की संभावना है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने इस मांग पर ३ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

१. 'मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८, राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (नाजायज शराब के निर्माण को रोकने में असफलता पर विचार करने हेतु)'

२. 'मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८, राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (आयुर्वेदिक आसवारिष्ट पर आबकारी कर लेने की नीति पर विवाद करने हेतु)'

३. 'मांग संख्या २ मुख्य शीर्षक ८, राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जावे (आबकारी विभाग की अव्यवस्था पर विवाद करने हेतु)'

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सबसे पहले मेरे दूसरे नंबर के कटौती प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, यह तो बिल्कुल सत्य है कि आज देश के अन्दर जो चिकित्सा पद्धतियों में संघर्ष है और चिकित्सा पद्धति पुरानी आयुर्वेद की है उसको समाप्त करने के लिए जो षडयन्त्र हमारे लोग देश के अन्दर कर रहे हैं, उनका ही एक तरह से एक आयोजन कहना चाहिए, यह कार्य है। बात यह है कि जिस देश के अन्दर लोगों की प्रवृत्ति चाहे तम्बाखू और दूसरे शराब आदि की तरफ जाने लगी तो शरीर के वे अंश जिन पर काष्टादिक औषधियों का प्रभाव पड़ता है इस बात के लिए अग्रसर हुए कि उन पर अलकोलाइज़ औषधियों का प्रयोग किया जाय। आयुर्वेद के अन्दर यह तो बिल्कुल सर्वमान्य है कि आसवारिष्ट एक चिकित्सा पद्धति है, और उस पर जिस प्रकार का यह आबकारी कर लगाया गया है वह आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए एक सुनियोजित कार्य है। यह तो बिल्कुल सर्वविदित है कि आयुर्वेद के अन्दर आसवारिष्ट में १० पर्सेन्ट अलकोहल से ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन १० पर्सेन्ट अलकोहल पर भी किसी प्रकार का टैक्स लगता है और खास तौर से चिकित्सा शास्त्र के अन्दर तो यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हम किधर जा रहे

(डॉ० बहादुरसिंह)

हैं। आप यह देखेंगे कि अपने रूल्स के अन्दर यह व्यवस्था दी है कि कोई भी वैद्य आसवारिष्ट का प्रयोग करे खुद के रोगियों के लिए तो एक रुपया टैक्स दे, वह भी दो पर्सेन्ट तक और फिर २ पर्सेन्ट के ऊपर ३) रु० प्रति एल. पी. गैलन है। मेरी समझ में नहीं आया कि आप किस प्रकार से एक वैद्य को बाध्य करेंगे कि वह वैद्य एक दो बोतल बनाता है वह किस प्रकार से उस टैक्स के लिए व्यवस्था कर सकेगा। यदि वह या चिकित्सक जो कि दूसरी जगह का बना हुआ आसवारिष्ट बेचता है उस पर आपने २५) रु० टैक्स रखा है और दुनिया भर का आपने प्रोफार्मा बना रखा है, 'तो मैं इस बात का बिल्कुल सख्त विरोध करता हूं कि आयुर्वेद के अन्दर जो चिकित्सा पद्धति की जान आसवारिष्ट है उस पर आबकारी कर लगायें, मैं समझता हूं इस बारे में राज्य सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उसको जो आसवारिष्ट पर आबकारी कर है उससे उसको बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। यानी इस बात के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि आयुर्वेद के अन्दर बहुत से ऐसे आसवारिष्ट हैं जो कि २५ पर्सेन्ट के ऊपर बनते हैं, मैं यह बिल्कुल आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि १० पर्सेन्ट के ऊपर के जो आसावारिष्ट हैं उनसे आप आराम से लीजिये टैक्स मुझे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन १० पर्सेन्ट से जो नीचे के हैं, वास्तव में आसवारिष्ट तो ६ पर्सेन्ट अलकोहेल के होते हैं, लेकिन संभवतः अधिक से अधिक का है। क्योंकि कुमारी आसव जो कि कभी कभी १० पर्सेंट तक हो जाता है, लेकिन १० पर्सेंट से ऊपर हो तो निश्चित् तौर पर टैक्स लगाया जाय। यदि १० पर्सेन्ट से नीचे हो तो टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आसवारिष्ट डिस्टिल्ड नहीं किये जाते हैं। डिस्टिल्ड किया हुआ मृत संजीवनी होता है जिसमें ६० पर्सेन्ट तक अलकोहल होता है तो उस पर टैक्स लगे। एलोपैथिक के टिन्चर आदि दूसरी तरह की चीज़ों का जबाब आसवारिष्ट के अलावा दूसरी चीज़ से नहीं है। मैं इतना इस संबंध में निवेदन करते हुए अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

मेरा अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव अवैध शराब पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल मान्य बात है कि हमारी सरकार शराबबन्दी करने में असफल रही और उसने अपनी इस असफलता के लिए टैक्स बढ़ाये हैं। असफल किस प्रकार से रही शायद धौलपुर का नागरिक अच्छी तरह से जानता है कि पंचगांव में डिस्टीलरी है और पंचगांव में कंजर बहुत ज्यादा हैं, वहां इस प्रकार की अवैध शराब होती है। वह बराबर खुले आम बाज़ार में आती है और उसको रोकने के लिए राज्य सरकार की व्यवस्था कामयाब नहीं है। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि शराब की सप्लाई कम हो गई है। यह सही है। उसका कारण शराबबन्दी नहीं है, बल्कि अवैध शराब अधिक बनने से उसका ताल्लुक है और मैं समझता हूं कि जगह जगह अवैध शराब बनाना प्रारम्भ हो गया है। इसलिए शराब की सप्लाई कम हो गई है। आपकी आमदनी कम हो गई है यह बात मानी जा सकती है लेकिन आपकी जो स्मगलिंग फोर्स है वह अवैध शराब रोकने में असफल रही है। यह बिल्कुल खुली चीज़ है। आप पंचगांव के अन्दर चले जायं। यह खुली हुई बात है कि पंचगांव डिस्टीलरी है। यह

(डॉ० बहादुरसिंह)

छिपी हुई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। इस बात के लिए खुली बात करता है। आपकी जो व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार की है कि जिससे कि आपके लोग, आपकी फोर्स अवैध शराब रोकने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है।

तीसरा, शराबबन्दी के बारे में है। शराब कितनी बुरी चीज़ है यह कोई कहने की चीज़ नहीं है। शुरू से लेकर आज तक, हमारे यहां शुरू से भी दैत्यों और दानवों के जो झगड़े हुए वह सारे सुरा और सुन्दरी के लिए हुए हैं। यह झगड़े की जड़ सुरा और सुन्दरी ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें वास्तव में हमारे यहां शान्ति करना है, लोगों के अगर आचरणों को सुधारना है, लोगों के नैतिक स्तर को सुधारना है, तो निश्चित तौर से शराबबन्दी करनी पड़ेगी। शराब के संबंध में मुगल टाइम में भी अनेक लोगों ने अनेक बातें कही हैं। एक कवि है जोक, उन्होंने बतलाया है :

"एजोक देख, अंगूर की बेटी मुंह से न लगा, छूटती नहीं काफिर यह मुंह से लगी हुई। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी चीज है कि जिस व्यक्ति ने एक दफा भी इसको मुंह पर लगा लिया........

श्री भैरोंसिंह : किसने मुंह पर लगा लिया ? उपाध्यक्ष महोदय ने या आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी दिल से नहीं बोल रहे हैं ऊपर से बात चल रही है।

२.२ म. प.

डॉ बहादुरसिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम शराब बंद करना चाहते हैं तो किस तरह से यह बंद हो यह भी समस्या सामने आती है। यदि एक व्यक्ति एक दफा भी इसे पी ले तो वह उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वह आपको दुनिया भर की बातें बता देगा। जो लोग शराब पीते हैं वे जानते हैं कि इसको छोड़ने में कितनी तकलीफ होगी। यदि आप उनको शराब नहीं देंगे तो उनकी स्थिति मरणासन्न हो जाएगी। लेकिन हम किस प्रकार से इसे छुड़ा सकते हैं यह भी सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

आपकी नीति यह है कि शराब की दूकानें बाजार में नहीं होंगी। लेकिन यह खुली बात है आप किसी भी शहर में चले जाइये, आपको शराब की दूकानें चौड़े बाजार में मिलेंगी। आप यह दावा नहीं कर सकते कि आपकी ये दूकानें शहर के चौड़े रास्ते पर या बाजार में नहीं हैं, या बोर्ड उस पर नहीं है। आप किसी भी स्थान की नजीर नहीं दे सकते कि खुले हुए बाजार में ये दूकानें न हों। दूसरी चीज जहां खपत का प्रश्न है, पिछली बार डिस्कशन हो रहा था कि शराब में पानी मिलाया जाता है, एसेटिक एसिड है उसको पानी के साथ शराब में मिला देते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे पीनेवाले को नुकसान होता है। पीनेवाले को नुकसान होता है इसकी चिन्ता नहीं है क्योंकि इसका पीना आवश्यक नहीं है लेकिन सबसे पहले आप उन स्थानों को जो आम तौर से बाजार में हैं, आप कहेंगे दूकान तो बाजार में ही होती है, लेकिन जो शराब की दूकान प्रमुख बाजार में है, जहां आम लोग जाते आते रहते हैं, वहां आप साइन बोर्ड मत लगाइये कि यहां देशी शराब ताजा मिलती है। आप किसी

Page No.65

(डॉ० बहादुरसिंह)

सिनेमाघर में चले जाइये व्हिस्की, थ्री एक्स रम, सोलनव्हिसकी आदि की एडवर्टाइज़मेंट स्लाइड्स वहां पर मिलेंगी। हमें यह जो प्रचार का साधन है उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। राजस्थान में हम इस प्रकार का प्रचार करें कि यहां पर शराब बंद हो और दूसरी ओर विदेशी शराबवाले इस सुन्दर ढंग से प्रचार करें तो आपका प्रचार उनके सामने टिक नहीं सकता। आप यहां से गवर्नमेंट हॉस्टल की तरफ जावें तो कई दूकानों पर बड़ी बड़ी आलमारियों में सजाई हुई शराब की बोतलें आपको दिखेंगी........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उन दूकानों में गरीबों को भी शराब मिलती है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : सब को मिलती है। दूसरी चीज यह है कि जो प्रचार के साधन हैं हमें उन पर भी जोर देना चाहिए। आपने कहा कि वेतन मिलने के दिन शराब की दूकानें बन्द रहती हैं। लेकिन वेतन एक दिन में ही समाप्त नहीं हो जाता। कम से कम २ दिन तो बन्द रखिये। दूसरी चीज यह है कि सार्वजनिक छुट्टियों पर बन्द रखते हैं लेकिन होली जैसे मौके पर तो जरूर बन्द रखनी चाहिए। तीसरी चीज, १५ अगस्त वगैरह जैसे दिनों पर इनको बन्द रखना चाहिए ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): १५ अगस्त तो खास खुशी का दिन है।

डॉ. बहादुरसिंह : लेकिन पीने का दिन नहीं है। यदि शराबबन्दी और नाजायज शराब को नहीं रोका गया तो कोई लाभ नहीं सिवाय इसके कि रेवेन्यू का नुकसान हो कोई फायदा नहीं हो सकता। जब तक अवैध शराब नहीं रोकी जाती और जो सार्वजनिक रूप से प्रचार शराब की बिक्री का होता है उसको नहीं रोका और अपनी तरफ से ढंग का प्रचार नहीं हुआ तो इससे कोई फायदा नहीं होनेवाला है। जो हरिजन लोग शराब पीते हैं उन पर आक्षेप करते हैं। वे लोग तो अपनी पंचायत करके भी इसको रोक सकते हैं लेकिन जो सवर्ण लोग हैं या जो राज्य कर्मचारी हैं और जो सभ्य समाज के लोग कहलाते हैं उनको रोकने का साधन नहीं है। अभी वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि सभ्यता मानी जाती है शराब पीनेवालों में........

एक माननीय सदस्य : प्रगतिशीलता कहा था।

डॉ. बहादुरसिंह : यह सही बात है कि हमारे यहां के कई लोग इस बात को गवारा करते हैं कि जब तक शराब नहीं पीयेंगे तब तक प्रगतिशील नहीं कहलायेंगे। लेकिन हमारे देश का यह आदर्श नहीं रहा है। हमारे यहां भी पुराने जमाने में कुछ चीजें पी जाती थीं लेकिन वे फलों का रस या और भी इस प्रकार की कई चीजें हुआ करती थी, सोमरस वगैरह पिया जाता था लेकिन सोमरस और इसमें फर्क है........

श्री मदनसिंह : कोऑपरेटिव आधार पर पी जाती थी।

डॉ० बहादुरसिंह : यह तो जन-संघ की बात होगी। जो सभ्य कहलानेवाले विदेशी लोग हैं वे भी शराब बंद करने का प्रचार कर रहे हैं और वे मजबूरी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हमें शराब बन्द

(डॉ० बहादुरसिंह)

करना चाहिए। शराब से जो रोग बनते हैं और जो स्थिति बनती है व्यक्ति की वह बड़ी भयंकर होती है। इससे आदमी की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके प्रचार के साधन हैं उनको और तेजी से रोकें, किसी प्रकार से चाहे कानून बना कर या रिक्वेस्ट करके। समाचार-पत्रों से जरूर निवेदन करें कि वे शराब के विज्ञापन न लें और जो सिनेमावाले आपसे लाईसेन्स लेते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि सिनेमा घरों में शराब की स्लाइड्स नहीं दिखा सकेंगे इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हुआ निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदवाली जो बात मैंने बताई है उस पर ध्यान देंगे और आबकारी का ठेका है उस पर भी गौर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बारी) : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम अभी छोड़ दिया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : If all the cut motions have lapsed, I would also like to speak.

श्री उपाध्यक्ष : Shri BhaironSingh was absent and he has now made a request that he may be given a chance when other members have spoken.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में इस विभाग के मंत्री गांधीवादी विचार धारा के हैं। जिस समय नया मंत्री-मंडल बना और विभागों का विभाजन हुआ और उस विभाजन के फलस्वरूप जब यह विभाग माननीय मंत्री महोदय के अधिकार में आया तो मुझे संपूर्ण आशा इस बात की थी कि अब की बार राजस्थान विधान सभा में ऐसा कोई अवसर नहीं आयेगा जिस अवसर पर यह कहने के लिये विवश होना पड़े कि राजस्थान में शराबबंदी लागू की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे गांधीवादी मंत्री महोदय या तो गांधीवादी विचारधारा से पृथक हो गये हैं या जानबूझकर वे अपने आपको गांधीवादी बताने में संकोच कर रहे हैं। यदि अब भी थोड़ी बहुत भी गांधीवादी विचारधारा बची हुई है तो आज के दिन को वे निश्चितरूप से ऐतिहासिक दिन बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आज प्रारम्भ में ही उन्होंने कहा था कि ३ करोड़ रुपये का प्रश्न है....

एक माननीय सदस्य : साढ़े तीन करोड़ का।

श्री भैरोंसिंह : साढ़े तीन करोड़ रुपयों का प्रश्न है, इस प्रश्न के कारण राजस्थान में शराब बंदी लागू नहीं की जा सकती। मैं ऐसा समझता हूं कि वे कुछ परिस्थितियों के कारण से कह रहे हैं और वे महात्मा गांधी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ जब कभी भी नेताओं के भाषण होते हैं तब एक आदर्श सामने उपस्थित रखने का प्रयत्न किया जाता है कि हम सब महात्मा गांधी के बताये हुए मार्ग पर चलें। सरकारी कार्यालयों में, उपा-

(श्री भैरोंसिंह)

ध्यक्ष महोदय, एक तस्वीर लगाई हुई है, जिसमें महात्मा गांधी चल रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, "इस पथ पर चलो"। कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, गांधीवादी विचार धारा को अपनी शासन प्रणाली का मोटो एक प्रकार से स्वीकार कर रखा है। उस सारी स्थिति को, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं को हमें महात्मा गांधी की विचारधारा की तुलना में रख कर उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे अफसोस है कि या तो माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो महात्मा गांधी के कई दिनों तक साथ रहे हैं, उनकी इस विचारधारा को देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा और शायद समझ भी गये हों, तो शायद किसी कारण से इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि वे उस विचारधारा को कार्यरूप में परिणित कर दें। मैं महात्मा गांधी के कुछ शब्दों का उल्लेख उनकी यादध्यानी के लिए इस समय कहना चाहता हूं। मुझे आशा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो व्यक्ति जीवन के प्रारम्भ से लेकर अब तक महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर चलता रहा हो, किसी कारण से हो सकता है, मंत्री पद के प्रलोभन के कारण से ही सही, उन बातों को भुला ही दिया हो, तो सबसे पहले हमारा कर्त्तव्य है कि वह चीज उन्हें याद दिलाई जाय, महात्मा गांधी की स्मृति कराई जाय। हो सकता है कि भूल जाने के बाद में भी कुछ संस्कार प्रगट हों और महात्मा गांधी के विचारों को कार्य रूप में लाने के लिए वे एक संकल्प कर लें। इस दृष्टि से मैं दो चार वाक्य उनको पढ़ कर सुनाता हूं : "You will not be decieved by the specious argument that India must not be made sober by compulsion, and that those who wish to drink must have facilities providied for them. The State does not cater for the vices of its people. We do not provide facilities for thieves to indulge their propensity for thieving. I hold drink to be more damnable than thieving and perhaps even prostitution. Is it not often the parent of both ?" यदि आप चाहे तो किताब देख लें। विश्वास हो गया हो तो मैं समझता हूं कि आप उसको कार्य रूप में परिणित करेंगे और मुझे यह आशा है कि शायद आप परिस्थितियों के कारण इस समय कार्य रूप में परिणित...

श्री उपाध्यक्ष : पुस्तक का क्या नाम है ? कहां ढूंढा जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह : पुस्तक मैं दे दूंगा, पढ़ने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : यहां आ जायगी ?

श्री भैरोंसिंह : यहीं दे दूंगा।

ऐसी स्थिति के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि गांधीवादी विचारधारा को जानने वाला व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता हो कि महात्मा गांधी का इस प्रकार का विचार था। इसके बाद मैं देश के बड़े बड़े दो नेताओं के कुछ अब तक के उनके उद्धरण हैं, वह सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक है हमारे प्रधान मन्त्री का :

"There has been a good deal of controversy over this issue more especially because of financial difficulties. Financial considerations have

(श्री भैरोंसिंह)

to be borne in mind. But if from a social point of view, a particular reform is considered desirable, then financial considerations have a secondary place. We may well consider the best me thod and the most suitable steps to bring about that reform, but that direction should remain the same."

और इस प्रकार दूसरा है राजगोपालाचार्य का। जिस समय वे मद्रास के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने मद्रास में इस प्रकार की व्यवस्था चालू की थी। उस समय इन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा था :

"All talk of loss of revenue is a confusion of words. It is equivalent to saying we sacrifice what we could get by decoying wage-earners and deceiving their wives and children. All this is not argument but Gods' truth."

उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद मैं समझता हूं कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि नशा बन्दी के पक्ष में हमारे भारत वर्ष का इन्टेलीजेन्स समाज और केवल इन्टेलीजेन्स समाज ही नहीं, बल्कि भारत वर्ष के कर्णधार भी इस बात के पक्ष में है। मुझे आज इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई सरकारी अधिकारी एक बात अक्सर कह दिया करता है कि बम्बई और मद्रास में जब से शराब बन्दी चालू की गई है, वहां करप्शन बढ़ा है, सरकारी अधिकारियों में भी करप्शन बढ़ा है और साथ ही साथ अन्य लोगों में भी और जो चोरी छिपे शराब का प्रयोग करते हैं उनमें क्राइम्स करने की मनोवृत्ति बढ़ी है। उन लोगों ने इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करवाई है, जो शराब बन्दी के पक्ष में नहीं है लेकिन अगर प्रत्यक्ष में जाकर बम्बई और मद्रास में अनुभव करें तो एक बात निर्विवाद रूप से सामने आयेगी कि जिन लोगों के ऊपर शराब पीने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता था, वे लोग आज अच्छी स्थिति के अन्दर है, उनके मकानों की हालत अच्छी है, पहनने के कपड़ों की हालत अच्छी है, वे जो खाना खाते हैं, वह उनको अच्छा मिलता है, उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और इस प्रकार की सुविधायें, जो आर्थिक संकट के कारण नहीं मिल पा रही थीं, वे मिल पाती हैं। यह बात सही है कि पूर्णतः आज कोई कहे कि वहां शराब बन्दी हो गई है, तो नहीं हुई है। आज राज्य सरकार यह भी नहीं कह सकती है कि यहां स्मगलिंग नहीं होता है। आज कानून बना रखा है, एन्टी स्मगलिंग फोर्स लगा रखी है, अच्छे से अच्छे अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है, इनाम दिया करते हैं, इसके बावजूद भी इल्लीसिट डिस्टीलेशन होता है। तो यह कहा जाय कि बम्बई के अन्दर कानून लागू करने के बावजूद भी शराब बन्दी नहीं हुई है, मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की लचर दलील इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि राजस्थान में शराब बन्दी लागू न की जाय। आज जो आवश्यक है उसको समझना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की ओर से पिछली बार सप्ताह मनाया गया था, उसके मंच पर खड़े होकर मन्त्री महोदय भाषण दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी की स्फूर्ति हो, महात्मा गांधी की मूर्ति

(श्री भैरोंसिंह)

हो, या महात्मा गांधी की आत्मा बोल रही हो लेकिन आत्मा बोल रही हो समाज कल्याण के स्टेज के ऊपर और आत्मा के विपरीत आचरण हो रहा है राजस्थान की विधान सभा के अन्दर, ये दोनों प्रकार की बातें आज मिलती हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं के कुछ सिद्धान्त कुछ और हैं, कार्य प्रणाली कुछ और है, डाइरेक्टिव कुछ और है और आब्जेक्टिव कुछ और है। सारी बातें अगर एक साथ होती तो तीन करोड़ रुपया ज्यादा नहीं है, तीन करोड़ के अन्दर, मैं समझता हूं ६० लाख रुपया हमारे डिपार्टमेंट का खर्च है, केवल ढाई लाख के मामले को लेकर ऐसी व्यवस्था करें जिसके कारण से हमारा गरीब समाज अर्थ उत्पीड़न के कारण उन्नति नहीं कर सके। आज मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार इस बात की सर्वे कराये, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि आज जितने इन्टेलीजेन्ट लोग हैं या जो फाइनेन्शियली वेल बिल्ट हैं वे शराब का कम उपयोग करते हैं। मैं अपनी जाति के लिए कह सकता हूं कि जहां आज से १० वर्ष पहले जहां एक गांव में ६० राजपूतों की आबादी थी, उनमें ४५ राजपूत शराब पीते थे। आज जमना बदल गया है, आज उनमें से पांच पर्सेन्ट शराब पीते हुए मिलेंगे। उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी प्रकार बाकी तबकों में जो इन्टेलीजेन्ट लोग हैं, वे शराब का परित्याग करते आ रहे हैं लेकिन शराब चालू कहां हो रही है, चालू हो रही है नीचे के तबके में, गरीब तबके में, वह मज़दूरों का तबका है, गरीबों का तबका है। उनके लिए सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट चालू कर रखा है, जिसके अन्दर मंत्री महोदय बार बार भाषण देकर अछुतोद्धार की बात कह कर, उनके अन्दर जो कुरीतियां हैं सामाजिक, उनको दूर करने की दुहाई देते हैं और उनको प्रयास करने के लिए, अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिछले मंत्री महोदय, जो मैं समझता हूं कि अब की बार बाई इलेक्शन में जीत कर आये हैं, उन्होंने निश्चित् रूप से प्रयास किया था कि छोटी जातियों में शराब बन्दी जल्दी से जल्दी लागू की जाय, उनके अन्दर शराब बन्दी की जाय जो वास्तव में उत्पीड़ित हैं। मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार शराब बन्दी की बात कह कर २५ हज़ार रुपये इस बात के लिए खर्च करने वाली है कि शराब बन्दी का प्रचार किया जाय। किन में होगा प्रचार, प्रचार उनमें होगा जो कि बुद्धि के कारण शराब को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रचार उन लोगों में होना चाहिए जिनमें शराब पीने की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन २५ हज़ार रुपये इस कार्य में काम में नहीं आ सकते, उनका उपयोग नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए सबसे पहले उस मशीनरी में, जिसके आधार पर प्राहीबिशन को चालू करना चाहती है, शराब के प्रयोग को बन्द करे। आज मुझे अफसोस हुआ जब मंत्री महोदय ने कहा कि विज्ञप्ति निकाली है, क्या विज्ञप्ति निकाली है। जिसे सरकारी ऑफिसर नहीं पढ़ते, उसका मखौल उड़ा सकते हैं। आपने जो विज्ञप्ति निकाली है, पेनल क्लॉज नहीं है कि अगर कोई शराब पीयेगा तो उसे दंड दिया जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को इसमें कौनसी शर्म आती है, कौनसी बाधा उनके सामने उपस्थित होती है, विधान के अन्दर

(श्री भैरोंसिंह)

कौनसी धारायें उन्हें रोकती हैं वे एक सख्त कानून बना दें कि राजस्थान में कोई सरकारी कर्मचारी शराब नहीं पीयेगा, अगर कोई पीयेगा तो उसे राज्य सेवा से निकाल दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकारी ऑफिसर मंत्री महोदय के ऊपर हावी हैं। मैं नहीं कहता कि मंत्री जी का यह कहना अनुपयुक्त है कि मैं लोगों के कागज नहीं देखता, दस्तखत कर देता हूं। मैं समझता हूं कि उनके मुकाबले में इन्टेलीजेन्ट नहीं हैं कि वे कोई कानून बनायें, वह उनके ऊपर प्रभावशाली हो। इसलिए इस बात को रोकते नहीं हैं। आपने एक विज्ञप्ति निकाल दी, मैं समझता हूं उस विज्ञप्ति की स्थिति यह है, उसका एक तरह से मज़ाक बन रहा है। इसका उपयोग सख्ती के साथ में हो सकता है तो मैं स्वागत करूंगा लेकिन सरकारी ऑफिसर पीने वाले, पीते हैं। इसके साथ ही दूसरा ऐलीमेन्ट है। शराब पीने वाले अधिकारी कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे, जो दूसरे तरीके आमदनी के ढूंढते हैं, आमदनी का तरीका जो है वह खनिज विभाग से सम्बन्धित नहीं है, खान खोद कर वे पैसा निकालते हों, ऐसी बात नहीं है, वे सरकारी कामों के द्वारा एक तरफ जनता के पैसे को नुकसान पहुंचा कर, वे कई प्रकार के गलत तरीके से पैसा पैदा करना चाहते हैं। उसके कारण जनता को परेशानी होती है, सरकार इसके लिए एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट कायम करके एक दूसरा नया खर्च मोल लेती है, लेकिन इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। इसलिए सबसे पहले जो कदम उठाना चाहिए वह यह है कि जो इस प्रकार की लचड़ विज्ञप्ति निकाल रखी है और इसके स्थान पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाल दे, राजस्थान सरकार राजस्थान सर्विस रूल्स को अमेंड कर दे कि राजस्थान का कोई अधिकारी शराब पीते हुए या पिया हुआ मिलेगा, जिसके मुंह से शराब की बदबू आती हुई मिलेगी, उसको दण्ड दिया जायगा और सबसे बड़ा दण्ड यह होगा कि उसको सरकारी सर्विस से निकाल दिया जायगा। तो इस प्रकार की आज्ञा निकालने से मैं समझता हूँ कि जो करप्शन फैल रहा है वह सभी विभागों में बहुत कम हो जायगा और फिर एन्टी करप्शन के पास काम नहीं रहेगा। पर मैं जानता हूं, सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार को उसके अधिकारी कभी ऐसी सलाह नहीं देंगे, वे भले ही न भी पीते होंगे पर इसका असर सर्विसेज़ पर होने वाला है, इस-लिये वे ऐसी सलाह नहीं देंगे। सरकार कहती है कि हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिनके कारण शराब की आमदनी बढ़ी है, ३ करोड़ ३८ लाख रुपये के करीब शराब की आमदनी बढ़ गई है। सरकार ने इसके कारण बताये हैं पेज ६ पर लिखा है :

"Increase in the revised estimates 1958-59 and budget estimates for 1959-60 is due to more consumption and also due to the increased sale of State liquor on account of checking of illicit distillation and total stoppage of loose liquor in any form except 60 U. P. in hilly areas."

इसका मतलब यह है कि यह इन्क्रीज़ इन सेल इस कारण से हुई है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन को हमने बन्द किया है। इसका निश्चित रूप से यह मतलब है कि पीने वाले कम नहीं हुए हैं, पीने वाले नाजायज़ शराब नहीं पीते, सरकारी शराब पीते हैं, पीने की

Page No.71

(श्री भैरोंसिंह)

मनोवृत्ति में किसी तरह की कमी नहीं हुई है। अगर लोगों की पीने की मनोवृत्ति है उसमें कमी होती तो निश्चित रूप से सरकारी शराब की सेल में कमी होती सरकार के खर्च में कमी होती। पर सरकार का खर्चा भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है आमदनी भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। तो अगर सरकार यह समझे कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकने के कारण, बन्द करने के कारण सरकार की आमदनी बढ़ी है तो इसके माने यह हुए कि हमारे अब तक किये गये प्रयत्नों के बावजूद भी लोगों की पीने की मनोवृत्ति नहीं घटी है। इल्लिसिट शराब का प्रयोग करने वाले हैं उनको सस्ती शराब मिलती है, जहां सरकारी शराब की बोतल ६ रुपये में मिलती है वहां कोटेज इन्डस्ट्री के रूप में तैयार की गई इल्लिसिट शराब की एक रुपये में एक बोतल मिल जाती है। जिनको पहले एक रुपये में एक बोतल मिलती थी उनको ६ रुपये में ठेके पर खरीदनी पड़ती है। इससे शराब बन्द नहीं हुई बल्कि इस तरह उनके आर्थिक स्तर पर हमने भार डाला है जिसको वहन कर के भी वह शराब पी रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि शराब बन्दी यदि सरकार को करनी पड़ी तो यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि चाहे खर्चा ज्यादा क्यों न आये, हर पंचायत क्षेत्र में और दूसरी जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके क्षेत्र में रजिस्टर मेन्टेन किये जायं जिनमें हर शराब पीने वाला आदमी एन्टरी करवाये कि मैं शराब पीता हूं इतनी शराब पीता हूं, मुझे इतनी शराब की आवश्यकता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में कोई भी व्यक्ति, रजिस्टर्ड व्यक्तियों के अलावा कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ मिले, चाहे जायज शराब पिया हुआ मिले या नाजायज शराब पिया हुआ मिले, उसका फौरन चालान टोक दिया जाय तो इस चीज का लोगों की मनोवृत्ति पर असर पड़ेगा कि आम लोगों को मेरे सम्बन्ध में यह मालूम न हो कि मैं एक रजिस्टर्ड शराबी हूं, इस चीज से डर कर वह अपना नाम ऐसे रजिस्टर में दर्ज नहीं करायेगा और इस तरह उनकी शराब पीने की मनोवृत्ति है वह धीरे धीरे कम होगी और एक दिन ऐसा आयेगा कि इस तरह की शराब पीने की मनोवृत्ति एक दम बन्द हो जायेगी। सरकार कहती है कि धीरे धीरे प्रयास कर रही है, पर इससे लोगों की शराब पीने की मनोवृत्ति बन्द हो जावगी और इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है उसको रोकने का यह एक बहुत अच्छा मार्ग हो सकता है। कोई भी शराब पिया हुआ मिलेगा और वह रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिये उसको दण्ड दिया जा सकेगा।

इन सारी परिस्थितियों में मैं अर्ज करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि सोशियल वेलफेअर के सिद्धान्त को देखते हुए, जिन जातियों के उद्धार के लिये हमने विभाग खोल रखे हैं, उन सब के हित के लिये शराब बन्दी करना आवश्यक है। आप बाहर जा कर देखें, राजपूत आपको कम शराब पीने वाले मिलेंगे, काश्तकार आपको कम शराब पीने वाले मिलेंगे, दूसरे लोग आपको कम शराब पीने वाले मिलेंगे पर अनुसूचित जातियों वाले लोग शराब पीने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, इस कारण शराब पीते हैं, पर हमारा कर्त्तव्य है कि उनकी आमदनी का एक एक रुपया, एक एक पैसा सदुपयोग में आये, इस चीज का ज्ञान उनको दें।

(श्री भैरोंसिंह)

रहा आमदनी का सवाल, यह कहना कि तीन साढ़े तीन करोड़ रुपयों का घाटा होता है, इसकी पूर्ति किस प्रकार होगी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि राजस्थान सरकार इस घाटे को बर्दाश्त करना चाहे तो कर सकती है। जिस राज्य में ६४००००० के एम्बेजलमेंट केसेज चलें, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें कि चोरी, एम्बेजलमेंट, सामान में कमी, एम्बेजलमेंट के केसेज, खरीद फरोख्त में घोटाले नहीं हैं। हर साल, हर विभाग में ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जिनके कारण सरकार को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को रोक कर, जो अपव्यय होता है, उस अपव्यय को रोक कर बचत करना चाहे तो तीन करोड़ रुपयों की पूर्ति करना मुश्किल नहीं।

झालावाड़ का फर्म था, जिससे हम शराब खरीदते थे, माननीय वित्त मंत्रीजी को याद होगा, आपने अभी अभी हुक्म दिया है, जितनी शराब खरीदी जानी चाहिये, वह विभागीय गलती के कारण नहीं खरीदी गई, यह मैं नहीं कहता पर वह शराब किसी तरीके से हो, खरीदी नहीं गई। उसके पास शराब बची, उसके पेपर चलते चलते वित्त मंत्रीजी के पास पहुंचे और जिस कीमत पर वह शराब खरीदी जानी चाहिये थी उसी कीमत पर खरीद ली जाय इस प्रकार की आज्ञा दे दी, पर फिर न मालूम क्या कारण हुआ कि जिस रेट से वह शराब खरीदी जानी चाहिये थी उस रेट से न खरीदी जा कर ज्यादा रेट से खरीद करने के ऑर्डर दिये गये। यदि मैंने गलत कहा हो तो वित्त मंत्रीजी उत्तर में स्पष्ट करेंगे नहीं तो मैं चाहूंगा कि वह सारे कागजात ऑर्डर शीट सदन की मेज पर रखें, जिससे मालूम हो कि झालावाड़ की फर्म को ज्यादा धन इस कारण से दिया गया, किस प्रकार से एक एक दिन में वित्त मंत्रीजी के ऑर्डर बदलने का नाटकीय काम हुआ है। मैं समझता हूं कि सदन जांच करेगा तो कई गुल खिलेंगे कि यह नाटकीय काम कैसे हुआ यदि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं भी यहीं बैठा हूं, मैं, वे ही ऑर्डर जो दो दो दिन में जो बदले गये हैं उनको सदन में प्रस्तुत करूंगा। यह हो सकता है कि मेरी जानकारी में या कहने में किसी प्रकार की गलती रही हो या हो सकता है कि मेरी जानकारी में मेरे सामने कुछ कम रकम की बात आई हो और वास्तव में ज्यादा रकम का घोटाला हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि सरकारी कागज़ात मेरे सामने तो आते नहीं वे तो मिनिस्टर महोदय के सामने ही जाते हैं। लेकिन मैंने जो इन्फोर्मेशन इकट्ठी की है उसको मैं बता रहा हूँ। एक ठेकेदार का पत्र लेकर ऐसा किया गया है। उस ठेकेदार का पत्र क्यों लिया गया, यह मैं नहीं कह सकता। क्यों हुक्म बदले गये और उन हुक्मों को बदलने के लिये क्या कारण थे ये सारी चीजें स्वयं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बतावेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जावे या पूरी तरह से जांच की जावे तो आपको मालूम होगा कि कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहिये। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के उत्तर आने के बाद में मैं कागज़ भी सदन के सामने रखूंगा और यदि मैंने गलत बातें कहीं हों तो मुझे बता दिया जावे ताकि मैं सारी चीजें दुबारा सदन के सामने रख दूं।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन अब सवाल यह आता है कि एक तरफ हम एक बात कहते हैं कि हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जितने भी मैन्यु-फेक्चरर्स हैं उनसे नियम के अनुसार शराब लेते हैं और खरीदते हैं। हमारे यहां भाला-वाड़, उदयपुर और गंगानगर शुगर फैक्ट्री है वहां पर जितनी भी शराब मैन्युफेक्चर की जाती है उनके लिये अलग अलग एग्रीमेंट हैं। उनसे खरीदने के लिये अलग अलग कोटा मुकर्रर है कि इस आधार पर शराब खरीदी जावेगी। मगर हम देखते हैं कि ऑफिसर भालावाड़ वाले से नाराज़ हैं तो वह उदयपुर से शराब ज्यादा खरीद लेगा और उदयपुर से नाराज़ है तो गंगानगर वाले से खरीद लेगा। इस प्रकार किया जाता है। वे इसके लिये स्टेटमेंट भी देखलें कि हमें किस वर्ष में कितनी शराब किससे खरीदनी चाहिये थी और उससे कितनी खरीदी गई है। इससे यह भी पता लग जावेगा कि किस प्रकार से उन्होंने मोनोपोली को एक्सटेन्शन दिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज हमने शराब खरीदने की व्यवस्था को बदला है। शराब खरीदने का प्रश्न है, कोटा को निर्धा-रित करने का प्रश्न है। यह फाइनेन्स मिनि-स्टर खुद जानते होंगे। अगर वे नहीं जानते तो मैं उसको सदन में रखने के लिये तैयार हूं। अगर आज एक्साइज़ विभाग भी जो शराब खरीदने में गड़बड़ी करता है और फेव-रिज़म करता है तो फिर भला कौन कह सकता है कि किसको किस रूप में रखना चाहिये। वही फीलिंग मोलेसेज़ के बारे में है। इसके लिये कोई कानून नहीं है। मैं यह कहूँगा कि निश्चित रूप से इससे शराब बनती है। कोई यह नहीं कहता कि उदयपुर, गंगानगर आदि स्थानों पर जितने भी मोलेसेज़ निकलते हैं उनका प्रयोग शराब बनाने में आता है। मुझे मालूम है कि इसका प्रयोग शराब बनाने में आता है। लेकिन इस प्रकार की दलील दी जाती है कि जितने भी इस प्रकार के मोलेसेज़ होते हैं उनको मनुष्यों को घड़े भर कर दे दी जाती हैं जिसको वे अपने जानवरों को पिलाने में काम में लेते हैं। मैं यह कहूँगा कि मोलेसेज़ एक बनी बनाई शराब है। उसमें थोड़ी सी व्यवस्था कर दी जावे तो वह शराब है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के कानून जल्दी से जल्दी विधान सभा में ला कर लागू करें। इल्लिसिट शराब की ओर....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अभी आता हूँ। मेरा टेलीफोन आया है। (श्री भोलाभाई की तरफ संबोधित करते हुए) ये बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That permission has to be sought from the Chair, rather than from the Hon'ble Member.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, आप जल्दी आ जावें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो अधिकार पूरा ही जमाया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनकी उपस्थिति इसलिये आव-श्यक है कि मंत्रीजी से सम्बन्धित बहुत सी बातें हैं। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि उनकी मौजूदगी में ही जो बातें कहीं जावे, कहीं जावे।

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : Let us proceed by instalments, अपना स्थान ग्रहण कर लें—and when he comes back...

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार के सामने आर्थिक संकट है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अंत में कुछ शब्द मैं इसलिये कहूँगा कि उनको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज यह शराब आज राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भी प्रवेश करने लगी है। अब तक राजनैतिक कार्यकर्ताओं में यह प्रवेश नहीं पा सकी थी। मगर आज हम देखते हैं कि इलेक्शन आदि के समय को छोड़ कर भी सारी कार्य प्रणाली में कुछ निरंतर गिरावट आ रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य ने शराब बन्दी का विरोध नहीं किया है जो राजनैतिक कार्य की तरफ से अच्छे लक्षण का सूचक है। यदि माननीय फाइनेन्स मंत्री किसी दबाव के कारण से इस व्यवस्था का विरोध भी करें तो भले ही करें लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल से वे भी यही चाहते हैं कि यह बन्द हो जाए। इसलिये उनके भी हाथ मजबूत करने के लिये यह आवश्यक होगा। वे गांधीवादी बने हैं। इन सारी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह प्रोहिबिशिन का प्रश्न चल रहा है उसमें अपना मत दे कर उचित योग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की नीति अवैध शराब को रोकने में असफल रही है। यदि मैं यह कहूँ तो कोई अनुचित नहीं होगा। जो भी शराब आज बाज़ार में बिकती है या आज सरकार जिसे वैध रूप देती है, यदि वास्तव में देखा जावे तो शराब तो शरारत ही करती है। महात्मा गांधी ने बराबर यह कहा था कि शराब बन्द की जावे और इसके लिये उन्होंने आन्दोलन भी किये थे और कहा था कि शराब पीना समाज और देश के लिये अहितकर है और नुकसान कारी है इसलिये उनको रोकना चाहिये। सारे देश को यह आशा थी कि प्रजातन्त्र के बाद शायद शराब बन्दी देश में लागू हो जावेगी लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे हमारी सरकार कुछ ऐसे फेर में पड़ गई कि शराब बन्द करने में कुछ मजबूर सी दिखाई देती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटा सा ग्रामीण किस्सा याद आ गया। एक फालतू खर्च करने वाला था। उसके घर वालों ने उसको कहा कि एक एक रुपया जोड़ते जाओ इस तरह से जोड़ते जोड़ते उसके पास ६६) रुपये हो गये और बाद में १००) हो गये ऐसा करते करते वह ६६ निनान्वे के फेर में पड़ गया। आज हमारी सरकार भी इसी तरह से फेर में पड़ गई है। ३।। करोड़ रुपयों की वंचित बताते हैं। शराब को महंगी करके चाहे सरकार बेचे, उससे चाहे सक्युलेशन कम हो, मगर तेज करके बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा मगर समाज की स्थिति है वह दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। मैं यह कह रहा हूँ कि सरकार अवैध शराब को रोकने में असफल रही है। मैं यह कहूँगा कि जब तक सरकार पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू नहीं कर देगी तब तक अवैध शराब को नहीं रोक सकती है। इसके कई कारण हैं (१) हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति अलग है। हम जो कुछ कहना चाहते हैं वही अगर हम करेंगे तो पब्लिक हम पर विश्वास करेगी वरना धक्का देकर बाहर निकाल देगी। ऐसी हमारी परम्परा रही है। एक तरफ आप कई

(श्री सूबेदारसिंह)

स्टेजों से खड़े होकर स्पीचें दें कि शराब बन्द होनी चाहिये और लोगों को आप उपदेश देने की बातें करें और दूसरी तरफ ६० लाख का खर्चा करें और बजट में ३॥ लाख रुपया रखें। आपके इन उसूलों को पब्लिक मानने के लिये तैयार नहीं और न आपके नेतृत्व को लेने के लिये तैयार है। भारत वर्ष की जनता हमसे यह चाहती है कि जो नेता कहना चाहते हैं उनको हमारे सामने कार्यान्वित रूप में रखनी चाहिये। जब तक सरकार शराब को बिल्कुल बन्द नहीं करेगी इस प्रकार के विचार पब्लिक सुनने के लिये कभी भी तैयार नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जब हम शराब को महंगी करते जा रहे हैं तब यह सीधी सी बात है कि महंगी भी करेंगे तब भी जिनके पास ज्यादा पैसा है वे खरीद कर अवश्य पीयेंगे। शराब पीने की आदत आज से हमारे देश में शुरू नहीं हुई है, यह तो पुरानी आदत है। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंहजी ने कहा था कि जो इन्टेलीजेन्ट पोर्शन हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कम हो गई है उन्होंने सोच समझ कर शराब पीना कम किया है। जो हमारे देश का बहुत बड़ा पोर्शन है, मेजोरिटी में है, मजदूर, किसानों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे तो शराब में शुरू से ही फंसे हुए हैं और आज भी शराब पीते हैं, सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड भी खोले हैं लेकिन सरकार भी शराब को बन्द नहीं कर सकी। उनके घरों के काम काज हैं या विवाह शादी या एन्जॉयमेन्ट के जितने भी साधन हैं सब शराब से शुरू होते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि ठेकों की दूकानों से खरीद कर पीयें, इसलिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए घरों में ही डिसिलरी चला लेते हैं, जनता में भी उसको सप्लाई कर देते हैं और बेच भी देते हैं। जहां शराब हमारी तन्दुरुस्ती को खराब करती है, दिल और दिमाग को खराब करती है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती जाती है, हम शराब को और महंगी करते जा रहे हैं और दूकानें भी खोलते जा रहे हैं। उनके चित्र अखबारों में छपते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, सिनेमा स्लाइड्स के ज़रिये से सिनेमाओं में उसका एडवर्टाइज़मेन्ट किया जाता है। बड़ी [illegible] सोसाइटी में, क्लबों में लोग कहते हैं कि आज की सोसाइटीज़ में या क्लबों में शराब नहीं जाकर पीयेंगे तो लोग बुद्धू [illegible] निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि [illegible] बन्दी नहीं हुई है। ठीक है कुछ दूकानें [illegible] कर सकें, शराब को महंगी कर सकें लेकिन मैं कहता हूं कि इससे शराब बन्द नहीं होने वाली है, चौड़े रास्ते जैसी जगहों में, ट्रंक रोड्स, हाइवेज़ जैसी जगहों में जहां कि सब ट्रैफिक गुजरता है वहां दूकान खोल दी गई है [illegible] लगा हुआ है। यह तो छिपाने की [illegible] चीज़ है, गली कूचों में बेचने की [illegible] भारत सरकार ने नियम बनाया [illegible] विवाह करना मना है। जो [illegible] हैं यदि अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेगा तो सरकार उसको सर्विस से वंचित कर देगी। सरकार [illegible] आदेश ला सकती थी कि जो सरकारी कर्मचारी शराब पीते हुए पाये जायेंगे, यह साबित होने पर कि उन्होंने शराब पी है [illegible] सरकारी सेवा से वंचित [illegible] मुनासिब हो सकता था [illegible]

Page No.76

(श्री सूबेदारसिंह)

सरकारी मशीनरी शराब को और प्रोत्साहन दे रही है. सभ्य कहलाने वाले खरीददार हैं ; आज कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी है और उसके होने से उसकी सरकार है। यही मशीनरी सरकार का निश्चित रुख देख कर कानून बना कर देती है। यह प्रजातन्त्रीय प्रणाली है और किसी पार्टी का यह ठेका नहीं है कि उसी की सरकार आगे भी रहेगी, कोई दूसरी पार्टी भी पॉवर में आ सकती है। ये सरकारी कर्मचारी ही देश में प्रजातन्त्र को टीक रख सकते हैं। कांग्रेस भी कहती है कि शराब पीना बुरा है। हमारे जो माननीय वित्त मंत्रीजी हैं वे तो पूर्ण गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, यह उनकी रत्ती भर भी इच्छा नहीं हो सकती है कि शराब बन्दी न की जाये। उनका हृदय जानता होगा, उनकी आत्मा ही जानती होगी, सदन में जो बहस हो रही है माननीय सदस्य उन पर लांछन लगा रहे हैं कि गांधीवादी होते हुए भी वे शराब को प्रोत्साहन देते हैं, दूकानें खोलते हैं केवल ३ करोड़ ३॥ करोड़ की बचत के लिए, लेकिन वे मजबूर हैं, उनकी मशीनरी के ज़रीये उनको बाध्य कर दिया गया है कि वे उसको नहीं रोक सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह मशीनरी ही आपका रुख देख कर ही चलने वाली है। सख्ती से काम लेंगे तो जैसी आपकी नीति है, जो रास्ता है आपका, उसी के अनुसार काम करने लगेगी। जो कोई मशीनरी का पुर्जा खराब हो जाता है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाता है और यदि मशीनरी का पुर्जा टूट भी जाता है तो मैकेनिक दूसरा पुर्जा फिट करके उस मशीनरी को वापिस चालू कर देता है। गणतन्त्र आपने बनाया, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको यह सोचना होगा कि जब तक जो पॉलिसी हम टीक समझते हैं वह पॉलिसी चलेगी इससे हमारे देश का कल्याण होगा, इससे हमारे समाज का कल्याण होगा, सरकारी मशीनरी यदि बीच में रुकावट आती भी है तीन साढ़े तीन करोड़ की आमदनी उससे होती भी हो तो उस सरकार को उसको छोड़ देना चाहिये। यदि आप इसके दलदल में फंस गये तो जो कमाई आपने पिछले वर्षों में की हैं, कांग्रेस के जरिये जो देश को रास्ता दिखाया है, आप उसको खो बैठेंगे। आपको आगे आने वाली जेनरेशन आपको कलंकित करेगी, चिल्ला २ कर कहेगी कि एक इस प्रकार की सरकार आयी जिन्होंने जीवन भर इसको छोड़ देने के लिए जोर दिया, कुरीतियों को दूर करने के लिए गणतन्त्र को स्थापित किया लेकिन गणतन्त्र के बनते ही वे निष्क्रिय बन गये कि उस बीमारी को हटा नहीं सके और खुद ही तरजीह देने लग गये। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सोच लें, अगले साल भी बजट पेश होगा तब तक सोच लें। जब तक इसको बन्द नहीं कर देंगे तब तक इसका बुरा असर और इस सरकार पर भी लांछन लगेगा कि इस प्रजातन्त्रीय सरकार ने भी, जो बार बार कहा करते थे कि हम इसको बन्द करेंगे, यह बुरी चीज़ है, बन्द नहीं किया। सरकारी मशीनरी की एक बात और कहता चाहता हूं। प्रश्नोत्तर के समय मैंने सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन के समय कहा था कि धौलपुर के आबकारी इन्स्पेक्टर को इसी बात पर सस्पेन्ड किया गया कि चूंकि शराब का सर्कुलेशन कम हुआ। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा उसका शर्म से मस्तक नीचा हो जायगा कि

(श्री सूबेदारसिंह)

शराब का सर्कुलेशन कम होने से एक व्यक्ति को इस प्रकार सस्पेन्ड कर दिया जाता है। सरकारी मशीनरी को ही मैं गणतन्त्र की जिम्मेदार समझता हूं, वो इसको चलने देने के लिए, चलाने के लिए जिम्मेदार है, वह पार्टी बाजी में न पड़े, यदि भारतवर्ष के जनतंत्र के कल्याण की बात सोचनी है तो इस गण-तन्त्र को मशीनरी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज कांग्रेस की सरकार है, उसकी मेजोरिटी है, वह परेशानी में हो सकती है कुछ कामों की वजह से, सेक्रेटरी से चुपचाप रहती हो, उनकी बात मानती हो लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वित्त मंत्री का सवाल है,मैं समझता हूं इसको एक मिनिट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ वे मजबूर हैं यही कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोहिबिशन आज से नहीं इन्डीपेन्डेन्स के पहले से कांग्रेस अपनी पॉलिसी मानकर चली थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो देश का राज्य चलाते हैं फिर भी हम देखते हैं टोटल प्रोहिबिशन इम्पलीमेंट नहीं कर पाते। मेरे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है ? जिस चीज को हमारा नेशनल मूवमेंट का प्लान बनाया था उसमें शराब बन्दी भी एक चीज थी। शराब की दुकानों पर हमने पिकेटिंग किया था। आज हम शराब की दुकानें चलाते हैं ऐसा क्यों होता है इसकी वजह क्या है ? क्या कन्सीडरेशन्स सरकार के सामने हैं जिसकी वजह से प्रोहिबिशन को इम्पलीमेंट नहीं कर पाती। उसके लिये जो आॅग्युमेंट दिये जाते हैं वे यह कि अगर हम शराब बन्दी करते हैं तो हमारे स्टेट रेवेन्यू में कमी पड़ जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है उसको मैं इर्रेशनल और अन्-साइन्टिफिक मानता हूँ। मैं आपका ध्यान हमारी जो नेशनल इन्कम है, नेशनल डिविडेन्ड है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हम पिछले कुछ अर्से से प्लानिंग करते आ रहे हैं, हमारा जो आॅब्जेक्टिव है वह गवर्नमेन्ट की रेवेन्यू बढ़ाने का नहीं। आॅब्जेक्टिव है नेशनल इन्कम बढ़ाने का नेशनल डिविडेन्ड बढ़ाने का है। यही हमारा प्लान का भी उद्देश्य है। यानि नेशनल डिविडेन्ड और इन्कम का जहां तक सवाल है उसमें वे ही चीजें आती है जिसको हम अर्न्ड इन्कम कहते हैं। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है It is not part of the national in come. लेकिन जब हम प्लान बनाते हैं सैकिन्ड फाइव इयर प्लान बनाते हैं उसके अनुसार हम बीस पर्सेन्ट नेशनल इन्कम इन्क्रीज़ करेंगे लेकिन शराबबन्दी जो है उससे हम देखते हैं हमारी नेशनल इन्कम में मदद न होकर आॅब्स्टेकल्स है गवर्नमेन्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

का आॅग्युमेन्ट है. यह जो स्टेट रेवेन्यू है वह नेशनल इन्कम में शामिल नही है. It is not a part of the national income. इसलिये इस तरह की रेवेन्यू का लोस जो है वह नेशनल इन्कम का लोस नही माना जाता because it is not earned income. यह जो ख्याल है कि इससे स्टेट रेवेन्यू का लोस होता है, यह मिसकॉन्सिव्ड ख्याल है। लेकिन शराबबन्दी नहीं होने की वजह से नेशनल इन्कम में कितना घाटा होता है सरकार ने ख्याल नहीं रखा, है इसकी बनिस्बत तीन चार करोड़ का जो स्टेट रेवेन्यू का जरूर ख्याल रखा है। शराब बन्दी नहीं होने की वजह से नेशनल इन्कम और अर्निंग केपेसिटी में कितना घाटा होता है, इसका हिसाब नहीं रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, शराब पीने से यह कोई नहीं कह सकता कि केपेसिटी टू वर्क बढ़ती है बल्कि वह तो नवर्ज को एग्जास्ट कर देती है उससे वर्किंग केपेसिटी कम हो जाती है। वर्किंग क्लास में यह देखा गया है कि जिस दिन तनख्वाह मिलती है उसके दो तीन दिन बाद तक वे काम पर नहीं जाते हैं क्योंकि शराब पीकर एक दो तीन दिन तक घर में ही पड़े रहते हैं। लेबर क्लास में जाकर देखिये जिनको शराब से ज्यादा काम पड़ता है आपको पता चलेगा, उनके वर्किंग डेज में कमी होती है और उसका इफेक्ट जाकर नेशनल इन्कम और नेशनल डिविडेन्ड पर पड़ता है और सबसे ज्यादा नुकसान इस शराब की वजह से नेशनल इन्कम का होता है इसका असर नेशनल डिविडेन्ड पर होता है। प्लान का जो मेन आॅब्जेक्ट है नेशनल इन्कम बढ़ाना डिविडेन्ड बढाना है, न कि घटना। शराबबन्दी न करने की वजह से if we think in terms of money मोनिटरी टर्म्स का नुकसान होता है न कि फायदा। जो साढ़े तीन करोड़ रुपये की फायदे की बातें करते हैं। It is not a income, रोंग कन्सेप्शन आॅफ इन्कम है।

कई दफा हमने देखा है हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने शराबबन्दी की पॉलिसी को डिक्लेअर नहीं किया है हालांकि पार्लियामेंट ने डिक्लेअर किया है। वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में यह एक बार कहा था कि हम इसकी तरक्की को रोकने के लिये इसकी कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइसेज बढ़ने से इसका कन्जम्पशन कम होगा यह उनका ख्याल है। इस साल भी टैक्स इस पर बढ़ा दिया है उससे जाकर शराबबन्दी पर असर पड़ेगा। यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि शराब की जो डिमान्ड है वह इनइलास्टिक डिमान्ड है इलास्टिक डिमान्ड नहीं। जिस व्यक्ति को इकोनोमी का ज्ञान है, social forces किस ढंग से वर्क करना जानते हैं। इनइलास्टिक चीज़ की डिमान्ड है वह प्राइसेज के बढ़ने से उसकी डिमान्ड कम नहीं होती जिस चीज़ की डिमान्ड इलास्टिक होती है चाहे आप कितना ही टैक्स लगाइये उसका कंजम्पशन कम होता है। यही वजह है कि प्राइसेज शराब बढ़ने से शराब की डिमान्ड कम नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय इलास्टिक इनइलास्टिक डिमान्ड का क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अनाज है इसकी डिमान्ड को इनइलास्टिक डिमान्ड कहते हैं। चाहे आप अनाज का भाव कितना ही बढ़ा दें लेकिन जो जितना खायेगा वह उतना जरूर खायेंगे। लेकिन समझ लीजिये

Page No.79

(श्री पी० के० चौधरी)

अगर आप लक्स साबुन का भाव बढ़ाते हैं, साबुन जिसकी डिमान्ड इलास्टिक है, लक्स साबुन की कीमत बढ़ जाने से लोग दूसरा साबुन लेना शुरू कर देंगे। मिसाल की तौर पर बताऊं सिगरेट को ही मान लीजिये, सिगरेट की डिमान्ड्स भी इलास्टिक है। बिजनेस सरकल जो होते हैं या जो इसमें फंक्शन करते हैं वे बता सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोबैको टैक्स बढ़ाया था उसे दिनों सिगरेट का जो पैकेट पांच आने में मिलता था वह सादे पांच आने का होगया, जो दस आने में मिलता था वह ग्यारह आने का होगया। सिगरेट का मैन्युफेक्चर जहां से होता है उन्होंने देखा कि यदि इस प्रकार रेट बढ़ा दी गई तो लोग सिगरेट पीना कम कर देंगे इसलिये आज उन्हीं पुराने दामों में सिगरेट का पैकेट मिल रहा है। इसका डिमाण्ड भी इलास्टिक है। जहां तक शराब की बात है, आप उन घरों में जाकर देखिये जहां लोग शराब पीते हैं वे शराब के लिये घर के बरतन, औरतों के गहने तक बेच देते हैं और शराब पीते हैं अपने घर का अनाज तक बेच देते हैं किन्तु शराब खरीदते हैं। दुनियां के सब लोग मानते हैं कि मनुष्य की नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसमें चावल अनाज आदि आता है इसकी डिमाण्ड को इलास्टिक मानते हैं। शराब जो लोग पीते हैं वे चावल खाना छोड़ देंगे लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ेंगे इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सोशयोलोजी का जो फंक्शन है उसके स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करवाइये युनिवर्सिटी के ज़रिये इकट्ठे करवाइये, आया शराब की डिमान्ड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है।

३ म० प०

जो डिमाण्ड इन्इलास्टिक मानी जायेगी तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने से कन्ज़म्पशन कम नहीं होता है और यह गवर्नमेंट का मिस्-कन्सेप्शन है, गलत ख्याल है कि जो टैक्स बढ़ाकर शराब पीना कम कराती है। यह फन्डामेन्टली रॉंग है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि जो शराब की डिमाण्ड है वह अण्डर सर्टेन सर्कमस्टान्सेज़ इनइलास्टिक है और गवर्नमेन्ट की जो यह पॉलिसी है और जो दलील वित्त मन्त्रीजी देते हैं वह बिल्कुल गलत फाउन्डेशन पर देते हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा तो एक कन्सैप्शन हो गया है कि शराब बन्दी नहीं होती है The Government does not want to do it. The Government has not the will to do it.

आज सरकार चाहती है तो मैं नहीं समझता हूं कि ३।। करोड़ का कोई कन्सीडरेशन हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम प्लानिंग एडॉप्ट करने से पहले जब हिन्दुस्तान इन्डीपेन्डेन्ट हुआ नहीं था या प्लान्ड इकॉनोमी को हमने एक्सैप्ट नहीं किया था तब तक कोई योजना हम पास करते थे तो 'दी देन' सरकार जो थी उसकी तरफ से आर्गुमेन्ट आता था कि फाइनेन्सेज़ नहीं हैं और बगैर पैसे के प्लानिंग नहीं हो सकता है और हम इसको मानते थे। लेकिन आज हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम इस बात

(श्री पी० के० चौधरी)

को मानते हैं कि हमको प्लानिंग करना है तो 'फाइनेन्स हैज़ नो कन्सीडरेशन' हम डेफिसिट फाइनेन्सेज़ करते हैं। तो हमने मान लिया है कि finance is no consideration for a planned economy. और वह प्लान्ड इकोनॉमी वेलफेयर स्टेट के लिए है और जो शराबबन्दी के लिए ३ करोड़ रुपये की बात है उसका आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, यह मानने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है कि सरकार करना नहीं चाहती है, they are not serious about it. It is my charge against them that they are not serious about it and they have not the will to do it.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि एक दिन हम कुछ दोस्त, उनमें से एक मित्र यहां बैठे भी हैं, जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि 'वाट इज़ रॉंग विद दी गवर्नमेन्ट' तो मैंने जवाब दिया था....

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़) : The wrong is that you have been supporting these fellows.

श्री पी० के० चौधरी : "what is wrong with the Government ?" He posed that question to me. तो मैंने उनसे कहा कि गवर्नमेंट में खराबी तो यही नजर आती है कि Ministers have not the grip over the problems और ऑफिसर्स, their method is inefficient and they don't know their subject. तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जवाब जो है that only touches the fringe of the problem. सवाल यह है कि the Government do not have the will to do it. अगर सरकार करना चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। तो यही बात मुझे शराबबन्दी के लिए ज्यादा महसूस होती है। सरकार के जितने ऑर्ग्युमेन्ट्स हैं मैंने बताया कि उनका कोई फाउन्डेशन नहीं है और शराबबन्दी के लिए ओवरवेलमिंग ऑर्ग्युमेन्ट्स हैं पर इसके बजाय भी नहीं होता है। तो एक ही कन्क्लूज़न होता है that the Government does not want to do it. They have not the will to do it.

उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी के लिए, बम्बई में जो हमने शराबबन्दी लागू की तो बाम्बे स्टेट का ६ करोड़ रुपये का मुझे याद है कि एक्साइज़ ड्यूटी का शराब के लिए इन्कम था। तो स्टेट ने ६ करोड़ रुपये की इन्कम को हटा दिया था और यह करके, that is also still in the initial stage. यानी उन्होंने फर्स्ट फाइव इयर प्लान को एडॉप्ट करने के पहले ही इसको एडॉप्ट किया था। तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज जब हमने प्लान्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट किया है वहां पर हम शराब बन्दी नहीं कर सकते और उसके लिए गवर्नमेन्ट अपनी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर सकती है इसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं हूं और और मैं गवर्नमेन्ट को चार्ज करता हूं that the Government does not want to do it and their arguments are no arguments. They do not stand the scrutiny of reason.

Page No.81

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज शराबबंदी के सम्बंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और मैं भी इस विचार का हूं कि राजस्थान में जल्दी शराबबन्द होनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष जो इस शराब बन्दी के लिए कारण दिये गये हैं उनसे मुझे संतोष नहीं है । कई माननीय सदस्य तो यहां पर शास्त्रों के पूरे ग्रन्थों का विवरण दे गए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी ही बात है कि शास्त्रों का आधार लेकर ही शराब बन्द करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी वित्त मंत्रीजी को चाहिए कि भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे शास्त्रकारों को बुलाकर यह पूछा जाये कि हम सभी सदस्य चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी होनी चाहिए इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं । मैं कहता हूं कि जो शास्त्रों की दलील दी है उनसे शराब बन्द नहीं होगी, कोई कड़े कानून लगा दिये जायेंगे इससे भी शराब बन्दी नहीं होगी । मैं भी चाहता हूं कि हमारे राज्य में शराब बन्द होना चाहिए लेकिन वह बंद नहीं होने वाली है । यह तो दूसरे ही तरीकों से बन्द होगी । कड़े से कड़े कानून बना दिये जायें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी शराब पीयेगा तो उसको निकाल दिया जायेगा मैं कहता हूं कि यह भी पोसीबल नहीं है । ऐसी कानून कब तक चलेंगे ? इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने बराबर ५० वर्षों से यह प्रयत्न किया और इस विधान सभा में भी इस आधार पर आये थे कि हम गांधीवाद को चलायेंगे वह सदस्य जब अपने एरिया में जाते है तो बतायें कि वह कितने घंटे, कितने समय और कितने दिन इसके लिए प्रचार करते हैं । बो उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के जितने भी सदस्य लोग है, यहां पर जितने भी सदस्य हैं वह गांवों में जाते हैं तो प्रचार नहीं करते हैं । यही कारण है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय को इसके लिए एक अलग समिति बनानी पड़ रही है । अन्यथा उपाध्यक्ष महोदय, हम चुनावों के समय देखते हैं कि हम सब जो यहां आये हैं, मैं कहता हूं कि ८० फीसदी ऐसे सदस्य आये हैं जो हरिजनों को शराब पिला पिलाकर आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि क्योंकि आपका यह आरोप माननीय सदस्यों से सम्बंधित है ऐसी स्थिति में इस सम्बंध में कोई बात नहीं कहें ।

श्री मदनसिंह : आरोप तो जब होता कि जब कानून बन जाता । आज तो शराब पीना जायज़ है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है और आपका वक्तव्य माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है, इसलिये इस सम्बन्ध में आप कुछ न कहें ।

श्री मदनसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो शराबबन्दी शिक्षा से हो सकती है या माननीय सदस्य जो यह इच्छा रखते हैं कि वाकई में शराब बन्द होनी चाहिए तो वह अपने अपने क्षेत्र में जाकर, गांवों में जा जाकर इसके अवगुणों को बतायें । शास्त्रों में इस शराब की इतनी इतनी बातें देखीं फिर भी आज दुनिया के अन्दर शराब पीते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि एक दम से एक

(श्री मदनसिंह)

ही रात में कानून बनाकर शराब का रख दें तो मैं कहता हूं कि शराब जिस लक्ष्य को लेकर हम बन्द करना चाहते हैं वह शराब बन्द नहीं होगी और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बाम्बे, मद्रास में शराब बन्दी का कानून हो गया तो वहां पर कोई अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि उनको अनुभव नहीं है। आज बाम्बे में पहले से भी तिगुनी शराब पी जा रही है। जंगलों में जाकर शराब पी जाती है। अच्छे से अच्छे पुलिस कर्मचारी हैं जिनके जरिये से शराब दी जा रही है। ऐसे ऐसे पीयेंगे तो फिर शराबबन्दी के लिए एक नया डिपार्टमेन्ट बनेगा और वह भी करप्ट हो जायेगा। इसलिए किस तरह से यह बन्द हो सकती है उसके लिए शायद मैंने सुझाव माननीय वित्त मंत्रीजी को दिये थे। यह शराब की आदत बहुत बुरी है। घर में भी छुड़ाना चाहते हैं तो भी नहीं छूटती। किस का बाप चाहता है, किस की मां चाहती है कि मेरा लड़का शराब पीये। तो इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी चीज है जिसको मामूली तरीके से नहीं छुड़ाई जा सकती। उसके तरीके होते हैं, छुड़ाने के। मैंने निवेदन किया था कि उसका तरीका ऐसा है कि शराब को शराबी भी देखे कि वह शराब है और उसका असर भी न हो। इसलिए मैं यह कहूंगा कि नहीं पीने वाला ऐसी बात कहता है। जब सारे सदस्य चाहते हैं कि शराब बन्द होनी चाहिए अगर आप सच्चाई से शराब बन्द करना चाहते हैं तो इसमें ढिले होनी चाहिए। अगर आप सच्चाई से चाहते हैं तो उसके पीछे एक ऐसा अच्छा ढंग है कि उसको रिप्लेस किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि ठेका आप चाहे चौराहे पर न रखें, ६० मील की दूरी पर रखें जिसकी आदत शराब पीने की है तो वह वहां जाकर पीयेगा। डूंगर की चोटी पर रख दिया जाये, पीने वाले पीयेंगे। जोधपुर के अन्दर अमलदारों का अमल छुड़ाने का एक ढंग हुआ करता था कि वे तोल से अमल लिया करते थे। तोल से अमल कैसे कम होती है? वह ठीकरो से तोली जाती थी। उसको उनकी स्त्री घिस दिया करती थी और वह रोज़ घिसते घिसते तुलते तुलते इतनी कम हो जाया करती थी कि उनको केवल यह असर रहता था कि उन्होंने अमल खाया है। इसी तरह से मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि एक ही शराब रखें और सब शराबों पर प्रतिबन्ध लगा दें। राजस्थान में केवल एक ही ढंग की शराब रहेगी। वह इतनी कम नशीली हो कि २० बोतल भी एक मज़दूर पी जाय तो उसको नशा नहीं आये। उसकी शराब की आदत हो गई है तो वह पीयेगा जरूर, रुकेगा नहीं। चोरी करके पियेगा। अभी दो रुपये की बोतल लायेगा और आपने बन्द कर दी तो ८) रु० की खरीदेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो जेवर बेचेगा। सारी हरकतें करेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। बच्चों की आदत पड़ जाती है तो शिक्षा से छूट सकती है लेकिन पुरानी जो आदत पड़ गई है उनकी आदत किसी न किसी तरह से छूटना मुश्किल है। इसलिए एक शराब आप यह ले लें जिसके लिए डॉक्टर्स यह कह सकते हैं कि इस शराब में कम से कम नशा होगा और २० बोतल भी पी जाय तो कुछ नहीं होगा। उसका ठेका दीजिये। ठेकेदार ठेका लेगा।

(श्री मदनसिंह)

आप बोतल की कीमत चार आना कर दें। आप कहेंगे कि कैसी व्यवस्था दे रहा हूं मैं। आज फ्रांस के अन्दर बियर एक शराब है वह वाटर की जगह दी जाती है, खाने के साथ दी जाती है। उसकी ५,६ बोतलें पीने पर भी मरता नहीं है आदमी। बल्कि उससे भूख खूब लगती है। मजदूर पियेगा तो १० रोटी ज्यादा खायेगा। यह जरूर है कि आपकी इस व्यवस्था में कमी आयेगी क्योंकि बियर पीनेवाले १०,१५ रोटी खायेगा, पर मरेगा नहीं। दिमाग के अन्दर एक चीज़ बैठ गई है तो उसके दिमाग का खुमार उतर जायगा, क्यों कि दूसरे दारू पर दूसरी शराब पर प्रतिबन्ध होगा। कुछ न कुछ एक आदत को मिटाने के लिए चाहे चार बोतल पियें। वह तो पानी है। एक खराब चीज़ के द्वारा खराब चीज की तरह जायगा इससे मैं समझता हूं कि ऐसा आवश्यक है। आज फ्रांस के अन्दर बियर को शराब नहीं मानते हैं। बियर एक नीरे जैसी शराब है। अगर उसका तेज नशा है तो कम किया जा सकता है। दूसरी शराब चाहे वह कैसी ही शराब हो वह बन्द हो जाय। अन्यथा शास्त्रों की जो चीजें कहते हैं वह जंचेगी नहीं। मैं कहता हूं, सदन में आप साफ इसलिए नहीं कह सकते हैं, पीने वाला भी यहां यही कहेगा कि यह तो बड़ी खराब है। राक्षसों के पीने की चीज़ रही है, लेकिन आप रोज़ शाम को पीते हैं और यहां आकर ऐसी बात कहते हैं। खुद पीते हैं और सदन में कहेगें कि यह बड़े अन्याय की बात है। इसको राक्षस होकर करते हैं। मेरी अपनी आंखों से देखे हुए पीने वाले यह कहे तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। अगर इसको जड़ से मिटाना है शराब को तो उसका तरीका है। वह तरीके से होगी। आपको और ज्यादा मिलेगें क्यों कि ब्राह्मण मोहल्ले में ज्यादा रहते हैं यदि हम असेम्बली में यह कह दें कि शराब बन्द हो जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इससे न तो शराब बन्द होगी और ज्यादा शराब पी जाती है। एक एरिया के अन्दर शराबबन्दी का कानून लागू होता है तो बड़ा अनर्थ होता है। आदमी तक मर गये हैं। किसी छोटे तरीके से शराब लाने के टाइम पर किसी ने देख लिया तो उसको खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे प्रान्तों में आदमी खत्म किये गये हैं। बड़े बड़े ऑफिसरों को अच्छा पैसा देकर हजारों बोतलें खराब शराब को जो जंगलों के अन्दर शराब बनती है, लाई जाती है। उसकी खुशबु मिटाने के लिए लेमनेड और कोकोकोला मिलाकर लाया जाता है, ऐसी बम्बई में मैंने कई हरकतें देखी हैं। वहां कोई डिटेल में जाता नहीं है, गांवों में घूमता नहीं, जंगल को देखता नहीं है, वहां आज भी शराब निकलती है। मैं समझता हूं कि कानून बनाकर ज्यादा अन्याय सिखाना कहां तक जायज़ होगा, ज्यादा भ्रष्टाचार सिखाना कहां तक जायज़ होगा ? मैं यह कहता हूं कि सबों से कहिये कि खूब निकालो और पियो तो मैं कहूंगा कि वे कम पियेगें। खुद निकालने में कितनी मेहनत चाहिए। आप जितना प्रतिबन्ध लगायेगें उतनी ज्यादा यह चीज़ बढ़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि न तो पैसा है और न इन्डीविजुअल निकाल कर पी सकता है। वह तरीका एक है। मैं समझता हूं कि दुनिया कहेगी कि सबको इजाज़त दे दी है। इतना रिस्क लेना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। इसके साथ ही है, मैं यह कहता हूं कि एक ढंग की शराब

(श्री मदनसिंह)

निकालें वह इतने कम नशे की निकालें कि कोई एक घड़ा पीने को तैयार हो जाय तो भी वह आदमी मरे नहीं। डाक्टर्स को आप पूछ लें। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेलेस-मेंट है। तो मैं समझता हूं कि यह टीक है। अन्यथा उपाध्यक्ष महोदय, शराब के लिए तो इतनी बात कही जाती है परन्तु भंग घोट घोट कर खाकर दुनिया का नाश कर दिया उसके लिए कुछ नहीं कहते। मैं यह कह सकता हूं कि शराब से खराब ज्यादा भंग है, लेकिन उसको हिन्दुस्तान का ९९ फीसदी आदमी लेने को तैयार हो जाता है। शराब को टीक है वैसा नहीं लेते हैं....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने ९९ पर्सेन्ट कहां से निकाला है ?

श्री मदनसिंह : उसके लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा है। वह शिवजी के चढ़ती है। उसके ऊपर कलाकन्द खाया जाता है, दारू के साथ मांस का नाम लगाकर उसको बदनाम करते हैं लेकिन कलाकन्द खाकर लोग ज्यादा बदमाशियां करते हैं। ऐसे भी आदमी बता सकता हूं जो कि शराब पीकर भी नेक और ठीक चाल चलन के हैं। इसलिए ऐसी बातें करते हैं, ऐसे तर्क देते हैं तो ऐसे तर्कों से दबने वाले नहीं हैं। न यह तर्क मानेंगे। अगर वाकई में आपको शराब बन्द करना है तो शिक्षा इस ढंग की दें कि वह छूट जाय। कम से कम मैं अपने समाज की कह सकता हूं कि उसमें शराब कानून से नहीं छूट सकी है। राजपूतों के जितने लड़के हैं मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि वे सौ में से सौ फी सदी नहीं पीते हैं। सौ में से एक भी नहीं मिलेगा जो कि पीता हो। उसका कारण क्या है ? इसका कारण प्रचार है। घर में प्रचार करने से उनको अनुभव हुआ। अगर कानून बनाया जाता तो मैं समझता हूं कि कानून बना और उसमें चोरियां आ गई। इसलिए मैं समझता हूं कि कानून बनाने की जरूरत उस स्थिति में है जब कि कानून का पूरा पालन हो, नहीं तो यह भाषण रोज होते रहेंगे। कानून बनेगा तो भी शराब तो निकलेगी और विधान सभा में वित्त मंत्री महोदय पर दोष लगेगा कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। राज्य में नाजायज शराब निकलती है। वह निकलेगी क्योंकि लोगों की आदत है पीने की। लोगों की आदत किस तरह से छूटे, इस पर जोर दें। वह आदत छुड़ाने वाले हैं हम। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विधान सभा में जब हम चुनाव के लिए खड़े होते हैं तब हम अपने अपने देवताओं की सौगन्ध खायें कि शराबी वोटरों से वोट नहीं लेंगे। विधान सभा में शराबियों के जरिये से आप वोट लें। शराबियों के जरिये वोट दिये जाते हैं वह खराब है, इस तरह से कह दें। अगर विधान सभा के चुनाव के लिए वोट देने वाले अगर १० हजार शराबी आगये हैं तो उनको कह देना चाहिए कि यह नाजायज़ है। तुम्हारा दिमाग इस वक्त शराब का है। इस ढंग से वोट नहीं ले सकता हूं।

३.१५ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

शराब आपके दिमाग में है बहुत सारों के तो आपके वोट नाजायज़ होंगे। आप एक बात कहते हैं कि शराब का एक बहुत बुरा तरीका

(श्री मदनसिंह)

है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो उनसे कहते हैं कि इस ढंग से वोट देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जी छोड़कर किसी चीज को बन्द कर सकते हैं। इस चीज़ का विचार करें कि शराब किस ढंग से बन्द हो सकती है तो उसके पहले आपको जिन्दगी लगानी पड़ेगी। आप गावों में जाकर प्रचार करें और शराब को बन्द करें। आज तक मैं जिन जिन गावों में गया हूं तो मैंने देखा है कि कोई भी नेता इस तरह से जाकर प्रचार नहीं करता है। शादियों में शराब चलती है। नेता लोग शादी में बैठते हैं तो वहां बड़े जोरों से रम ब्राण्डी चलती है वहीं वे जाते हैं हरिजनों की बातें यहां होती हैं। उनके नेता जाते हैं तो हजारों रुपये की बोतलें वे पी जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर शराब को इतनी बुरी चीज़ समझते हैं तो इसके लिए कानून के जरिये बन्द करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति बना देना चाहिए कि जिस रोज़ से कानून लागू हो उसके बाद में कम से कम ऐसा हो जाना चाहिए कि ८० पर्सेन्ट या ६० पर्सेन्ट उस कानून का पालन करें, अन्यथा मैं तो ऐसा समझता हूं कि आज भी पास करते हैं कानून तो कर लें, लेकिन शाम को घर जा जाकर पीयेंगें, इसलिये कानून भंग नही होगा। हमारे नेताओं को इस तरह का काम करते देख कर पब्लिक कैसे बंद होगी। हम उनको बताते हैं कि किस तरह से शराब निकालते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन के सामने जब जनता का नाम और गरीबों के लिये ऐसी चीज़ बनावें तो मैं मानता हूं कि जल्दी से जल्दी कानून बनावें और उसका पालन होते हुए गवर्नमेंट को साथ ही लोस नहीं होना चाहिये। लेकिन क्योंकि गवर्नमेन्ट को लोस जरूर है। आज ढाई तीन करोड़ रुपयों का लोस होता है तो यह बहुत बड़ी चीज है। मैं यह निवेदन करूंगा कि तीन साल के लिये विधान सभा के सदस्य अपनी अपनी पे सरेन्डर कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सत्याग्रह करूंगा और भूख हड़ताल करूंगा और सारे कानून को खत्म कराऊंगा। आप अपनी पे सरेन्डर कर दें ताकि जल्दी से जल्दी कानून बन्द हो। तीन साल में आपकी जितनी पे है उसको सरेन्डर करदें। मैं तो यहां तक कहता हूँ सभापति महोदय, कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे अभी खड़े होकर अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लेंगे और वे कहेंगे कि मैं विड्रा करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि शराब पीना बंद हो जायगा। आप बात तो बड़े ऊंचे ढंग की शास्त्रों की करते है, अभी अभी मालूम हो जायगा २ मिनिट में। जिस समय वित्त मंत्रीजी भाषण देंगे उस समय पूरी लाइन खड़ी होकर कहेगी कि मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ। विरोधी दल से पहले शुरू दिन एसेम्बली के शुरू में मैंने वित्त मंत्री जी से कटु शब्द कहे थे। एक समिति बनी और शराब बंदी की कोशिश की गई। मैं मानता हूँ कि शराब बंदी जल्दी से जल्दी होनी चाहिये, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। लेकिन केवल शास्त्रों के आधार पर लोगों से कहते रहें और रात को खुद जाकर पीते रहें यह उचित नहीं है। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिये भी कानून बनें और जो एम. एल. एज़. हैं उनके लिये भी कानून बनें कि किसी भी एम. एल. ए. के मुंह से शराब की बदबू आई तो उसको पार्टी से निकाल दिया जायगा और यही बात

Page No.86

(श्री मदनसिंह)

राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिये पुराने ५०,६० वर्ष के अधिकारी हैं उन पर भी लागू होना चाहिये। सबके लिये बराबर का कानून होना चाहिये। कोई एम. एल. ए. कहीं भी शराब पिया हुआ मिल गया तो उसको विधान सभा से अलग कर दिया जायगा तो इसमें हर्ज क्या है. जब एक नौकरी पेशा को अलग किया जा सकता है तो एक एम. एल. ए. को भी अलग किया जा सकता है। आप घर घर जाकर, सच्ची पद यात्रा करके जनतंत्र में मैजोरिटी को विश्वास दिलादें कि राज्य में कानून पास होगा उसका पालन होगा, इसलिये मैं कहता हूं, वित्त मंत्रीजी से कई बार बातें हुई हैं। बहुत जल्दी ही शराब बंद करने की नीति है सरकार की और यदि नीति नहीं है तो आप नीति बना सकते हैं। आप यह भी कहते हैं कि यह गवर्नमेंट बहुत खराब है, इसमें बहुत खराबियां आ गई हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट को कायम करने वाले कौन हैं ? इसको कायम करने वाले भी वे ही सदस्य हैं जो आज विरोध में बोलते हैं। आप यह चाहते हैं कि हम सतर्क हैं तो इस तरह से सुधार नहीं होगा। मैं सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि एसेम्बली में कम से कम ऊंचे पैमाने की बात होती है तो ऊंचे पैमाने से सोचना चाहिये। गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी बन्द करने का तय किया है। मैं भी यह समझता हूं कि इससे गरीबों को नुक्सान होता है इसलिये शराब का ठेका बन्द होना चाहिये और बाहर की शराब की बड़ी बड़ी कीमत होती है उसको गरीब न दे सकते हैं और न वे पी सकते हैं। मैं अभी दो चार सदस्यों से मिला था उनकी यह मंशा है कि ऐसे ठेके तो जारी रहें लेकिन विदेशी शराब बन्द हो जाय। इसका मतलब यह है कि इन ठेकों से उनको कुछ प्राप्ति होती होगी। आज गरीब आदमी २०० रु० एक बोतल के खर्च करके स्कॉच व्हिस्की नहीं खरीद सकते इसलिये छोटे छोटे ठेके बन्द करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पार्टी का प्रोग्राम क्या है यह जानना न तो जन संघ का सिद्धान्त है न जानने की आवश्यकता है। राष्ट्र में हजारों नेता होते हैं और हजारों तरह के सिद्धान्त होते हैं इसलिये मैं गांधीजी के सिद्धान्त की बात नहीं कहता। जन संघ भी यह चाहता है कि सब चीजों को सोच समझ कर एक्शन लिया जाय।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या २ पर जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय इस नशाबंदी और खास तौर से शराब बन्दी के सिलसिले में हम लोग बहुत अर्से से प्रयत्नशील रहे हैं। हमारे भारत के संविधान में यह डाइरेक्टिव है कि नशा बंदी, न केवल शराब बंदी बल्कि नशा बंदी होनी चाहिये और नशा मात्र को मिटाना चाहिये....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Drinks which are injurious to health.

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़।

श्री अमृतलाल यादव : मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूँ सभापति महोदय, संविधान में कोई देख सकता है। खैर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे संविधान

Page No.87

(श्री अमृतलाल यादव)

में इसका डाइरेक्टिव है और इतना ही नहीं इसके आधार पर हमारी भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार ने भी शराब बंदी को एक नीति के तौर पर अपनाया हुआ है शराब बंदी के सिलसिले में सबसे बड़ा कदम हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी मुकर्रर की थी और इस कमेटी ने सन् १९५५ में एक रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट बड़ी छान-बीन और बड़ी जानकारी करने के बाद दी और उसके जो सुझाव थे वे टेक्निकल पॉइन्ट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि-कोण से भी बड़े उपयोगी सुझाव थे, उनको सदन के सामने रख कर अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक काम की बात कही गई थी जैसा कि हमारे सदन में मेरे से पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था मैं उसका बहुत वजन मानता हूं और वह यह है कि यहां भी सम्पूर्ण शराब बंदी होनी चाहिए। इस शराब बंदी से व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ऊंची उठेगी, इससे क्रय शक्ति जिसको पर्चेजिंग पॉवर कहते हैं वह बढ़ेगी और इसके साथ साथ उसकी अपनी आमदनी का जो नुक्सान होता है वह बचेगा। यह एक बहुत बड़ी दलील है। जैसा कि कहा गया कि हमें वैलफेअर स्टेट, या एक कल्याण-कारी राज्य की स्थापना करनी है। इस लक्ष्य की पूर्ति न केवल आमदनी और ऐसे तरीकों से की जा सकती है जिनका राष्ट्र के नाग-रिकों पर उल्टा असर पड़ता हो, उल्टा असर पड़नेवाले तरीकों से आमदनी करना वेलफेअर स्टेट का लक्ष्य नहीं हो सकता और वह लक्ष्य नहीं है। इस वजह से यह नीति मंजूर की गई। जब भारत सरकार ने यह नीति मंजूर करली है कि नशा बंदी होनी चाहिये तो फिर सरकार का इरादा इससे आमदनी बढ़ाने का नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण माना जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह बात कही जाती है कि सरकार का इरादा आमदनी बढ़ाने का है इस तरह से, मैं समझता हूँ वह इरादा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कठिनाई है जिसकी वजह से इस देश को जिस हद तक आगे बढ़ाना चाहिये, नहीं बढ़ पाया। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस समिति ने एक महत्वपूर्ण जानकारी परिश्रम और विद्वता के साथ, देश के नागरिकों के जीवन स्तर का अध्ययन करके खास तौर से जो इस शराब के नशे में जो जातियां डूबी रहती है, उनके जीवन का अध्ययन करके उन्होने सुझाव दिये, उनमें खास बात यह थी कि उनकी शारीरिक कार्य करने की क्षमता है, जिस क्षमता की राष्ट्र निर्माण में ज्यादा जरूरत है, वह बढ़ती है शराब के न पीने से, उनकी जो आमदनी है, वह बचती है। आज अल्प बचत योजना का हमारे देश में बहुत नारा है, यह नारा नहीं, यह देश की आवश्यकता है। देश का हर समझदार नागरिक इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जहां हमारे देश के विकास के लिए अर्थ व्यवस्था की जरूरत है, वहां एक एक पाई को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह नशा बन्दी एक एक पाई को बचाने में बड़ी उपयोगी और लाभदायक है जिसका संकेत उस समिति ने हमारे सामने किया है। यह एक बात उन्होने कही और उसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में आप इसके स्थान पर कोई सस्ता पेय दे सकें जिससे उनकी आदत बदली जा सके, यह एक

Page No.88

(श्री अमृतलाल यादव)

महत्वपूर्ण बात है। तो लक्ष्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का है, उस लक्ष्य की तरफ पहुँचने का कदम उठा है, लेकिन वह किस हद तक उठा है, यह देखने का प्रश्न है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने विचार किया और प्लानिंग कमीशन ने इसको, मैं समझता हूँ, जनवरी १९५६ में मान लिया। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इसके बाद हमारी संसद ने एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के अन्दर उन्होंने यह स्वीकार किया कि नशा बन्दी जितनी जल्दी हो सके, शराब बन्दी को कायम करने के लिए कुछ ऐसे सार्वजनिक अर्थात् यूनीवर्सल बेसिस को स्वीकार किया जाय, जिसका सब स्टेट, सब राज्य समान रूप से पालन करें। उन्होंने एक टार्गेट फिक्स करने की बात कही और वह लक्ष्य निर्धारित किया गया, अप्रेल १९५८। उन्होंने यह लक्ष्य निर्धारित किया है और नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने उसे मान लिया था। उसके अनुसार राज्य सरकारों ने कदम उठाये और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने जो इस दिशा में कदम उठाये मैं इस बात को कह सकता हूँ कि एक साउन्ड फुटिंग पर, एक व्यवस्थित आधार पर इस दिशा में कदम उठाये हैं वे इस मायने में कि हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि यह एक सामाजिक बुराई है और इस समाजिक बुराई को दूर करने के लिए मैं यह तो नहीं कहूंगा कि कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं यह कहूँगा कि कानून ही केवल काफी नहीं हो सकता। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए गैर सरकारी प्रयत्न भी इस तरफ होने चाहिए कि जिसकी वजह से यह सामाजिक बुराई दूर हो और उसमें सबसे पहला कदम यह हो कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि इसको अभी तक सोशल रिकग्नीशन मिला हुआ है, सामाजिक मान्यता इसे मिली हुई है, सभ्य जनों की पार्टी के अन्दर इसे सभ्यता का अंग मान लिया गया है, यही वजह है कि दूसरे लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वे समझते हैं कि अगर इनकी श्रेणी में आना है तो हमें यह गुरु मंत्र सीखना पड़ेगा। इस तरह की लोगों के दिलों में भावना होती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सोशल रिकग्नीशन है, जो इसकी सामाजिक मान्यता है, यह मिटनी चाहिए और इसे सोशल इवील रिकग्नाइज़ करना चाहिए, यह सामाजिक बुराई मानी जाय और जो व्यक्ति शराब पीता है, वह समाज की दृष्टि से हेय है, यह भावना ठेठ पहुँचनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह भावना ठेठ देहातों और गांवों में है और जिन जातियों की ओर संकेत किया गया, उनमें यह भावना मृतप्राय: नहीं है, उनमें यह भावना मौजूद है लेकिन दूर देहातों में जो अशिक्षित लोग हैं, या गरीब लोग हैं, उनमें यह भावना है कि जो व्यक्ति शराब पी लेता है, उसको वे बुरा कहते हैं लेकिन जो सभ्य गिने जाते हैं, जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, जो आज बड़े हुए गिने जाते हैं, उनमें यह भावना नहीं है। इस ओर सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न होने चाहिए कि इसको सोशल इविल रिकग्नाइज़ किया जाय, इसको मान्यता मिले कि यह सामाजिक बुराई है और जो आदमी शराब पीता है, उसका समाज में कोई सम्मान न हो। यह मैंने आपसे एक बात कही। इसके साथ ही इसके बारे में बताया गया कि इस शराब बन्दी से आर्थिक

(श्री अमृतलाल यादव)

सवाल जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ यह दलील भी दी गई कि हमारे यहां अगर, भारतवर्ष में, किन्हीं प्रान्तों में देखा जाय तो शराब बन्दी का बम्बई स्टेट का अनुकरणीय कदम मान सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बम्बई में शराब बन्दी फेल हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह सकता हूं कि बम्बई प्रान्त में शराब बन्दी फेल नहीं हुई लेकिन अच्छी तरह सफल हुई है और उससे लोगों के जीवन में सबसे बड़ा असर आया है, लोगों का जीवन स्तर उससे बढ़ा है। मेरा सम्बन्ध जिन जातियों से है, माननीय सभापति महोदय, मुझे उत्सुकता थी इस बात की कि बम्बई में शराब बन्दी हुई है, उसको जाकर देखूं। मैं उस समय राजस्थान राज्य में इस विभाग का मंत्री था, तो सबसे पहले, राज्य में कदम उठाने के पहले, मैं वहां देखने के लिए गया। मुझे यह देख कर खुशी हुई कि वहां हरिजनों के मोहल्लों में, वहां के मजदूरों के मोहल्लों में, जो रात दिन रौरव नरक का वातावरण रहता था, स्त्री और पुरुष में मार पीट होती थी, रोज सिर फुटौवल होती थी, खून खच्चर होता रहता था, जहां मुकद्दमेबाजी, लड़ाई झगड़े के सिवाय और बात नहीं थी, जहां आमदनी का यह हाल था कि एक आदमी पहली तारीख को तनख्वाह लाता है, उससे सारी तनख्वाह रास्ते में कलाल और पठान छीन लेते थे, उसके बच्चे और स्त्री रोटी के लिए तरसते रहते थे, जो किराये की खोली थी, उस खोली का किराया देना मुश्किल हो जाता था...

श्री मदनसिंह : वे पीते नहीं हैं, आज कल बेचते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : उन मोहल्लों में मैंने देखा, उनकी झोंपड़ियों में मैं गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद ने वहां जाकर देखा है कि वहां मुकद्दमेबाजी के अन्दर कमी हुई है, वहां झगड़े घटे हैं, लोगों में प्रेम भावना ज्यादा हुई है और वहां पर जो झोंपड़ियां थी, उनकी जगह लोगों ने ज़मीन खरीद ली और झोंपड़ियों की जगह पक्के मकान खड़े हुए हैं और उनकी औरतों के पास अच्छे कपड़े और कहीं कहीं जेवरात भी, चांदी के तो हैं आम तौर से, पर कहीं कहीं सोने के जेवर भी नज़र आते हैं और इतना ही नहीं उन लोगों का अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, पर आज उनके लड़के ही नहीं लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लड़के हाई स्कूल से ऊपर बी. ए. और एम. ए. में मिलेंगे ही, पर लड़कियां भी बी. ए. और एम. ए. में मिलेंगी। पहले जो उनका पैसा शराब में खर्च होता था आज उनका पैसा अपने लड़के लड़कियों की शिक्षा में खर्च हो रहा है और इस सब का श्रेय बम्बई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मुरारजी देसाई को है, इसके लिये मैंने स्वयं वहां जा कर उनको धन्यवाद दिया है। इस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने वहां इस शराबबन्दी को लागू किया, लागू करना बड़ी बात नहीं लागू करके इम्प्लीमेंट करना और मज़बूत रहना यह ऐतिहासिक घटना है और यह हिन्दुस्तान के इतिहास में अमर रहेगी और हज़ारों लाखों मज़दूरों की आत्माएं, खास तौर से उनके बीबी बच्चों की आत्माएं उनकी कृतज्ञ रहेंगी कि उन्होंने इन लोगों को सुधारा।

मुझे खादी कमिशन के एक सदस्य के

(श्री अमृतलाल यादव)

नाते बोम्बे जाने का काम रहता है वहां अब भी जो मौजूदा मुख्य मन्त्री श्री चौहान हैं, इसी नीति पर अमल कर रहे हैं और वहां यह नीति सफल रही है और मैं तो यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिये सदन को सुझाव दूंगा कि सदन के कुछ सदस्यों की कमेटी बनायें और वह बम्बई में जा कर देखें कि किस तरह प्रोहिबिशन इन्ट्रोड्यूस किया और आज कितना अर्सा प्रोहिबिशन इन्ट्रोड्यूस हुए हो गया है और इसमें कितनी सफलता मिली है, तो हमको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अध्ययन करने को मिलेगी ।

श्री मदनसिंह : अगर गवर्नमेंट सज़ा नहीं दे तो मैं एक रात में वहां एक लाख बोतलें हाज़िर कर सकता हूं ।

श्री अमृतलाल यादव : यह सूचना तो उनके पास होगी, मैं इसको कतई नहीं मानता । यह बिल्कुल गलत है ।

श्री सभापति : यह तो अपने अपने अनुभव की बात है, आपको मिली नहीं वहां पर ।

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव : तो मेरा सुझाव है कि सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बनाई जाय जो बम्बई शहर में ही नहीं बल्कि बोम्बे प्रेसिडेन्सी में, गांवों में, कस्बों में, सारे प्रदेश में जाकर देखे तो इसके सुन्दर परिणाम सामने आयेंगे और आपको यह अनुभव होगा कि इसका अनुकरण अन्य प्रान्तों को भी करना चाहिये । राजस्थान, बम्बई प्रान्त के नज़दीक पड़ता है, हमें तो इसका जल्दी ही अनुकरण करना चाहिये । मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आबू हमारे राजस्थान में मिला, वह पहले बम्बई में था और बम्बई में होने के कारण वहां शराब बन्दी थी, राजस्थान में आबू के मिल जाने के उपरान्त भी राजस्थान सरकार ने वहां पर शराब बन्दी को कायम रखा है और वहां शराब शुरू नहीं की है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक सामाजिक बुराई है, राजस्थान सरकार ने इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिये पहला कदम उठाया और यह बात कही कि पब्लिक ड्रिंकिंग यानि सार्वजनिक तौर से शराब नहीं पी जाय, यह एक बहुत अच्छा कदम है, इस कारण होटलों में, रेस्टोरेंट्स में और पब्लिक प्लेसेज़ में शराब पीना बन्द हुआ है और इस तरह का कदम उठाने के कारण जिन जातियों में सैकड़ों रुपयों की शराब विवाह शादियों के मौकों पर आती थी, वह बचत हुई है और इस कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, उनका जीवन आगे बढ़ा है । दूसरी बात यह है कि पहले ऑफिसरों की तरक्की या ट्रान्स्फर होती थी तो उनकी पार्टियों में शराब आती थी, जो ऑफिसर शराब नहीं पिला सकता था, उसको अच्छा नहीं मानते थे, पर सरकार के इस तरह के कदम के कारण उन ऑफिसरों को भी यह कहने का मौका मिल गया है कि राजस्थान सरकार की तरफ से निषेध है, तो इसका यह असर भी पड़ा है ।

इसके अलावा मैं इस बात को अच्छी

(श्री अमृतलाल यादव)

तरह जानता हूं कि राजस्थान सरकार ने क्रमश: शराब की दुकानों की संख्या निरन्तर कम की है इतना ही नहीं इसके लिये शराब निषेध के लिये एडवरटाइज़मेंट और विज्ञापन की तरफ भी कदम उठाये हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कदम काफी है, पर जो यह कदम उठा है साउन्ड बेसिस पर है और शराब बन्दी के लिये एक एडवाइज़री कमेटी भी स्टेट लेवल पर सरकार ने बनाई है पर मुझे यह देख कर अचम्भा हुआ कि उसने यह सजेस्ट किया कि २५,००० रुपया शराब बन्दी का प्रोपेगेन्डा करने के लिये रखा जावे। मैं इसको नाकाफी समझता हूं, यह काफी नहीं है।

श्री हरीभाऊ उपाध्याय (आबकारी-मन्त्री) : और भी सुझाव हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे नोटिस में तो यही एक सुझाव आया था और भी सुझाव हैं तो बड़ी खुशी की बात है। वे अवश्य अपनाये जायं और आज इस वक्त निश्चित बात है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना आ रही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इन्टग्रल पार्ट है कि शराब बन्दी हो तो मुझे आशा थी कि सरकार इस तरफ और कड़ा कदम ज्यादा पैमाने पर और ज्यादा स्केल पर उठा कर शराब बन्दी को लागू करेगी, पर यह नहीं देख कर मुझे निराशा हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राष्ट्र को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ायें। चीन ने अफीम को एक दम बन्द करके राष्ट्र को आगे बढ़ाया है और हमारी सरकार भी यही करने जा रही है, सभी को मालूम है कि हमारी सरकार ने अफीम को बन्द करने की तारीख निश्चित कर दी है और अब डॉक्टरी सर्टिफिकेट के अलावा अफीम नहीं मिलेगी। तो यह बात नहीं है कि ग्रेज्युअली शराब बन्द नहीं हो सकती।

अब रहता है आमदनी का सवाल। यह एक बड़ा विचारणीय सवाल है। साढ़े तीन करोड़ रुपयों की आमदनी का सवाल है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस आमदनी के सवाल को आसानी से नहीं टाला जा सकता। हमारे विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन सबको क्रियान्वित करना है और इनको क्रियान्वित करने के लिए पैसा चाहिए तो यह बड़ा मुश्किल होता है कि जो आमदनी के सोर्सेज़ हैं, उनमें से एक पाई भी कम करें। पर यह एक ऐसा मसला है कि इस ओर कदम उठाना आवश्यक हो जाता है, इस ओर कदम उठाना लाज़िमी हो जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो तीन सुझाव देना चाहता हूं, ये सुझाव मेरे अपने नहीं, टेक्सेशन कमेटी ने सुझाव रखे हैं, उन सुझावों के सम्बन्ध में अमल नहीं देख कर मुझे दुख हुआ है, वह टैक्सेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने बैठाई थी उसके सुझाव हमारे लिए प्रेक्टिकेबल हो सकते हैं, उन्होंने दो तीन बातें कही हैं, उनमें से एक बात तो यह है कि: स्टेट ड्यूटीज़ में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरी यह है कि : Rationalisation of the rate structure. और तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि tightening up of the machinery for tax collection.

(श्री अमृतलाल यादव)

यह तीनों बातें हैं जिनकी तरफ देखने की आवश्यकता हो जाती है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लरिफिकेशन, सर, इन तीनों चीज़ों का अर्थ करें।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): अभी टाइम नहीं है, कल समझा देना घर पर।

श्री अमृतलाल यादव : हमारे टैक्सेशन में जो एरियर्स बाकी हैं उनकी वसूली की तरफ ध्यान दें, ध्यान तो दिया है पर सख्ती करें तो निश्चय ही हमारी आय की जो वसूली बहुत दिनों से पड़ी हुई है, वह वसूल हो तो इससे हमें एक बड़ी रकम मिल सकती है।

इसी तरह रेंटस के बारे में भी मैं समझता हू कि रेटस बढ़ाये पर रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ, इसके कारण यह आशंका हो सकती है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन बढ़े, इसके साथ ही खपत भी कम हो सकती है। तो यह करने की आवश्यकता है। टैक्सेशन कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं उस तरफ कदम उठाना चाहिए था, पर यह नहीं देख कर मुझे निराशा हुई है, दुख हुआ है।

इसके बाद एक सुझाव और दूंगा, वह यह है कि आज तक तो शराब को पीने के काम में लिया जाता है लेकिन और भी कई ऐसे ज़रिये हैं कि उन ज़रियों में शराब का उपयोग हो सकता है। इन्डस्ट्रियल यूज इसका हो सकता है, पेन्टिंग्स और दूसरी चीजें हैं उनमें इसे काम में लिया जा सकता है। इस तरह के सुझाव विशेषज्ञों ने दिये हैं, हम भी इसी तरह सोच सकते हैं कि इसके दूसरे उपयोग क्या हो सकते हैं ?

यह सब सोचने के बाद भी अगर कुछ आमदनी फोरगो भी करनी पड़े, छोड़नी भी पड़े तो जनता के बड़े हित में इस आमदनी को छोड़ने के लिये भी हमें तैयार होना चाहिये। आज कोई वजह नहीं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर हमें रिटर्न्स अच्छे मिलने लगेंगे और इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। जहां ये कार्य चल रहे हैं और जहां हमारे यहां कार्य चल रहे हैं हम मनुष्यों में कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभापति महोदय, आपके ज़रिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि शराब बन्दी एक अहम चीज़ हो गई है इसलिये हमें धीरे धीरे इसे बन्द करने की नीति को नहीं अपनाना चाहिये और दर असल में जरूरत इसके लिये है जल्दी से जल्दी बन्द करने और सख्त से सख्त कदम उठाने की। तीसरी पंच वर्षीय योजना में तो इसको समाप्त करने के लिये (फेज्ड प्रोग्राम) निश्चित योजना होनी चाहिये। इसके लिये यह कहा जावे कि इसको बन्द करना प्रेक्टिकेबल नहीं है इस चीज़ को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। दूसरी पंच वर्षीय योजना में अभी २॥ साल बाकी हैं और ५ साल तीसरी के वे हो जावेंगे। इस तरह से ७॥ साल का तीसरी योजना की समाप्ति के समय तक समय मिल जावेगा, इतने समय में अगर शराब को बन्द नहीं कर सकते हैं तो यह एक बहुत गलत चीज होगी और इसका भयंकर परिणाम हमको उठाना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि हमने अभी कोऑपरेटिव

Page No.93

(श्री अमृतलाल यादव)

कॉमनवेल्थ का लक्ष्य निर्धारित किया है उसी तरह से हमें इसके लिए भी निश्चित रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिये, ताकि हम हमारे राजस्थान में इस शराबखोरी को पूर्णतया रोक सकें । जिस तरह से बम्बई सरकार ने किया है उसी तरह से हम भी करें । इसमें हमको असफलता होती है तो उसका कारण यह है कि आस पास के प्रान्तों में शराब बन्दी कानून नहीं है । अगर भारत सरकार या प्लानिंग कमिशन ने, जिस किसी ने ऐसा किया है उसके लिये होना तो यह चाहिये था कि सभी राज्यों में समान नीति लागू होती और वह भी सब में एक साथ ही । लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इसमें अग्रसर हो कर और आगे कम बढ़ा कर श्रेय प्राप्त कर सकती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जिनके हाथ में यह काम है, उनको यह श्रेय लेना चाहिये और वे लेंगे । उनको मुरारजी भाई की तरह इसका श्रेय लेना चाहिये । क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियें भी उनके अनुकूल होती जा रही हैं । जब आपको सदन के एक एक सदस्य का और बाहर के काफी लोगों का समर्थन प्राप्त है और इसके लिये जनमत तैयार है तो आपको इसमें अवश्य कदम उठाना चाहिये । जब जनमत तैयार है तो आपको केवल कदम उठाने की ही जरूरत है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत कटु अनुभव है, मैंने हज़ारों घर शराब से बरबाद होते हुए देखें हैं और यह कहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस शराब ने झोंपड़ी से लेकर महलों तक को बरबाद किया है । यदि देश के स्तर और एकता को अगर किसी ने गिराया तो शराब ने । इसलिये अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो, हमारे देश का वही पुराना गौरव हो, हमारे देश के गरीब आदमियों का स्तर ऊंचा उठे, हमारी योजनाएं पूरी हों तो सभापति महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है कि शराबबन्दी को तेजी से अपनाया जावे । मैं तो यह कहूँगा कि शराब के साथ साथ नशा बन्दी भी समाप्त हो । जिस तरह से अफीम बन्द हो रही है उसी तरह से बीड़ी आदि भी बन्द होनी चाहिये । मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं बाजार में एक आदमी को बन्दर की शक्ल में ढोलक लेकर बीड़ियों का एड्वरटाइज़मेंट करता देखता हूँ । उस समय हज़ारों बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं । सरकार कम से कम इसको तो रोक ही सकती है । मैं समझता हूँ कि इसके लिये सिनेमा में स्लाइड, अखबारों में प्रोपेगेन्डा इत्यादि को बन्द किया जा सकता है ।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि दूध के सिवाय कुछ पीना ही नहीं चाहिये, सब खराब है ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं इस राय से भी सहमत हूं कि हम लोग जो सदस्य हैं उनका भी फर्ज है कि इसमें पूरा पूरा सहयोग दें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हम लोगों को जो कदम उठाने चाहिये उठाये जावें । मेरे जीवन का यह मिशन रहा है और मेरे जीवन का यही मिशन रखना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां पर शराबबन्दी के लिये प्रचार करता हूं और दो-चार को शराब छुड़ाता ही हूं ।

(थपथपाहट)

(श्री अमृतलाल यादव)

इसके अलावा हम लोगों पर यह आरोप लगाये जाते हैं तो इसके लिये हमारी कांग्रेस पार्टी को कदम उठाना चाहिये। जहां पर इस तरफ इशारा होता है कि कांग्रेस मेन भी इस आदत की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और ऐसा है तो मैं यह कहूंगा कि कोई अच्छी बात नहीं है। किसी तरह भी शराब अच्छी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति के लिये, हर समाज के लिये यह बुरी चीज़ है। इसलिये मैं आपका अधिक समय न लेकर इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि अभी यह समय है और इस दिशा में मजबूती और शक्ति के साथ कदम उठाया जाना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री अर्जनदास।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन आप आबकारी मंत्री रह चुके हैं, उस समय आपने इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया। कम से कम इस बात का स्पष्टिकरण तो कर दें।

श्री अमृतलाल यादव : शराब बन्दी सबसे पहिले मैंने ही तो अपने मन्त्रित्वकाल में जारी की, जो सब जानते हैं।

श्री सभापति : अब मौका लगेगा तो लगा देंगे।

I would request the Hon'ble Member to be a bit brief.

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : मैंने माननीय सदस्य का भाषण सुना। परन्तु मेरे सामने यह विषय ऐसा है जिस पर सैद्धान्तिक रूप से सोचने की आवश्यकता नही है हमें तो उसकी प्रेक्टिकल साइड को देखना है। अभी अभी आपने शराब बन्दी के सम्बन्ध में एक लम्बा सा भाषण दिया लेकिन जब आप खुद मंत्री थे उस समय आपने कभी प्रोहिबिशन के लिये कदम नहीं उठाये।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने प्रोहिबिशन के लिये किया था....

श्री अर्जनदास : आपने किया होगा। लेकिन हमने उसको नहीं देखा। ऐसा लम्बा चौड़ा भाषण देना और कोई प्रेक्टिकल कदम न उठाना, इससे अच्छा तो यह होता कि आप भाषण ही नहीं देते। इस विषय में बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि जब हम प्रेक्टिकल साइड देखते हैं तो राजस्थान सरकार में अगर कोई विभाग सबसे खराब है, दो–चार उनमें से, अगर मैं यह कहूं कि सारे के सारे खराब हैं, मगर एक बात कहनी पड़ेगी कि सबों की अपेक्षा आपका यह आबकारी विभाग सबसे खराब है। जिस तरह से आज ५७ लाख रुपयों के बजट में से अगर एक पाई भी इसमें नहीं दें तो भी कार्य इसी ढंग से चलेगा जिस तरह से चल रहा है। यह इस तरह से खराब है कि इससे बढ़ कर खराब कोई विभाग हो नहीं सकता और मुझे अफसोस तो यह होता है कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं उनको प्रोत्साहन देते हैं और

(श्री अर्जुनदास)

कभी नहीं कहते कि इस तरीके को उन्हें बदलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने कुछ मिसालें देकर कहा था कि माननीय मंत्री खेतों पर चलें तो उनको पता लगेगा कि वह शराब नहीं है वह पोइज़न है जिसकी बिक्री करके लोगों को पिलाई जाती है और राजस्थान के लोगों को मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। आपने मंजूर किया था मेरे साथ चलने को। आपको याद होगा कि आपने चलने के लिये कहा था, लेकिन अभी तक नहीं चले।

श्री सभापति : आपने कब कहा नहीं।

श्री अर्जुनदास : मेरा तो यह चैलेंज था और इसलिये आपका काम था मेरे साथ चलना। उनको टी. ए. मिलेगा मेरे को तो टी. ए. नहीं मिलता। लेकिन आप अभी तक नहीं चले और मुझे विश्वास है कि जब तक आप इस स्थान पर हैं नहीं चलेंगे। मुझे विश्वास है। अगर आप मेरे साथ चलते तो आपको मालूम हो जाता कि वास्तव में क्या बात है? वैसे मालूम तो आपको अभी भी है ही कि क्या क्या हो रहा है। जिस समय आप मेरे साथ चलते और आप खुद यह देखते तो आपको वहां के कर्मचारियों को कान पकड़ कर कहना पड़ता कि यह बात नहीं चलेगी, ऐसा घोटाला नहीं चलेगा। यह रिकॉर्ड पर है, आप नहीं कह सकते। यह तो आप खुद ही जान सकते हैं इन्फ़रेन्स ड्रा करने के लिए नहीं। लेकिन बात यह है कि किसी कर्मचारी को तनख्वाह मत दो और बोलो तुमको बगैर तनख्वाह काम करना है, आपको विश्वास होना चाहिये कि ६६ पर्सेन्ट कर्मचारी भाग नहीं जावेंगे वे तो बगैर तनख्वाह के ही काम करेंगे क्यों कि भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि जितनी उनको तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के ज़रीये मिलता है। हम देखें तो हमें शराब के ठेकों से मालूम पड़ सकता है कि एक ठेके पर गवर्नमेन्ट शराब कितना देती है, मुनाफा लेकर कितना दिया गया, यह रिकॉर्ड की बात है। जब ठेके का नीलाम होता है तो दाम जाता है दस गुना। जब दस गुना दाम देते हैं तो फिर कौन पागल होगा कि मुनाफा न लेगा, नहीं तो दिवाला नहीं निकाल देते! कोई ऐसा नहीं मिला होगा। इसका कारण है, अच्छी शराब नहीं बेचते, मलौल करते हैं। कागज़ को हटाया, उसको खोल कर शराब की जगह दूसरी चीज़ डालते हैं वे ऐसा काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं। आपने इतने कदम उठाये कि होटलों पर शराब नहीं पी जा सकती, ठेकों पर नहीं पी जा सकती, आपने ऑर्डर्स निकाले कि इस तारीख को नहीं बेचा जावेगा, ये ऑर्डर्स आपके कागज़ों तक ही महदूद हैं। होटलों में चलिये, ६० पर्सेन्ट शराब की बिक्री होती है और उसमें ६६ पर्सेन्ट इल्लीसिट मिला होता है।

४.१ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपको होटलों में मिलता है?

श्री अर्जुनदास : मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : किस होटल पर मिलता है।

श्री अर्जुनदास : ६६ पर्सेन्ट पर मिलता है।

Page No.96

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आप किस होटल पर जाते हैं ?

श्री अर्जनदास : जिसी होटल पर जिस शहर, गांव में मिलता हो। मुझे पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन देखता हूं कि और लोग तो पीते ही हैं।

४.२ म० प०

तो जो आदेश आपने निकाले हैं वे वास्तव में आपके दिमाग में आदेश हैं जनता में नहीं। आप इसको खुला कर दें इल्लीसिट लीकर तो नहीं मिलेगा। ऑर्डर निकालने से और नाजायज़ शराब मिलती है। आपके आदेश का पालन क्या कर्मचारी करेंगे ? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेक अप हमारे पास है या कोई आदेश एक ज्यादा निकालेंगे उसका मतलब उसके विपरीत ही होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी होटल पर चले जाइये वहां शराब मिलेगी। गवर्नमेन्ट होस्टल के लिए नहीं कह सकता हूँ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वहां भी मिलती है।

श्री अर्जनदास : मुझे मालूम नहीं। शुक्रिया अदा करता हूँ दादी चन्द्रकलाजी का। एक आध दफा कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिली...

I talk from my personal knowledge. I don't know whether she is talking from her personal knowledge or varying knowledge.

अभी अभी मैं कह रहा था कि हमारे कर्मचारी वाकई न सिर्फ आंख बंद करके चलते हैं ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, उसको किस कारण किया है। अभी अभी एक उदाहरण दूंगा जिससे मालूम पड़ता है कि सत्ताधारी दल, यानी टी. बी वाले, ट्रेजरी बेन्चेज़ पर बैठने वाले, वे और उनके सेक्रेटरी....

श्री सभापति : ट्रेजरी बेन्चेज़ का एब्रिवियेशन टी. बी. नहीं है।

श्री अर्जनदास : I think Treasury Benches can mean T. B.

टी. बी. वाले खुद प्रोत्साहन देते हैं। उसका उदाहरण छोटा सा दे दूँ कि अभी अभी १६ तारीख के बाद, यकीनन तो नहीं है, कहा गया है, अलवर शहर में कांग्रेस मंडल कमेटी की ओर से कॉन्फ्रेन्स हो रही है। I hope I am correct on that information. और खर्चा इकट्ठा करने के लिए जो तरीका निकाला है, क्या ? मैं तो अजमेर शहर के लिए कह सकता हूं, यह तो वहां के एम. एल. ए. बता सकते हैं, अजमेर शहर से क्या हुआ, डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट और डिप्टी मिनिस्टर स्वयम् खुद, तीसरे सेक्रेटरी कांग्रेस असेम्बली पार्टी चार और छोटे मोटे एक्साइज़ के कर्मचारी अजमेर में पहुँचे और एक एक ठेकेदार को उन्होंने बुलाया और प्रत्येक ठेकेदार को उन्होंने कहा कि तुम्हें चन्दा देना पड़ेगा। कितना ? ५०१) रु०। किसी से कम नहीं लिया, प्रत्येक ठेकेदार से ५०१) रु० लिया और उन्होंने छपी हुई रसीदें जो बड़े नोट के माफिक होती हैं। ५०१) रु० चन्दा और पीछे नाम लिख कर दिया। इस चीज़ का मुझे विश्वास है।

एक माननीय सदस्य : वह क्या है ?

श्री अर्जनदास : ज़रा ज़ोर से बोलिये, आपकी भाषा तो समझ में नहीं आयी।

कांग्रेस के सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर खुद ऐसी बात करके. ५,०१) का चन्दा लेते हैं, कांग्रेस का काम करना है, जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, उनके लिए❀ और जो गवर्नमेंट है ऐसों को प्रोत्साहन करती है।

श्री सभापति : The Hon'ble member should be very cautious about the language. He is making some charges...

श्री अर्जनदास : I do mean to level this charge with all force at my command and I am prepared to give this challenge that either they resign or I resign. It is a challenge. Take it or leave it.

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि एवं शेम'शेम की आवाज़)

मैं आगे होकर यह भी कह देता हूं कि जो गवर्नमेंट ऐसी बातें बर्दाश्त करती है❀ जो कहूं छोटा है। क्या बात है? शासन करते हैं या मखौल करते हैं। एक एक ठेकेदार को कहते हैं कि पार्टी को चन्दा दो, कहां लावेंगे?

श्री सभापति : The Hon. Member should be very cautious about the use of words. The Hon. member has used the word 'Thug'.

श्री अर्जनदास : As I understand from the word 'Thug' Sir, it means a man who forcibly takes money form others and I mean what, said, Sir.

❀अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

ठगी वह है जो जबरन किसी की जेब में हाथ डाल कर पैसा लेना।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब है जबरन ठेकेदारों से पैसा लिया?

श्री अर्जनदास : जी हां। इसलिए कहा जाता है कि जबरन पैसा लिया गया।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने आपसे शिकायत की थी क्या?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य उसका नाम नहीं ले रहे हैं। उनका क्या नाम है?

श्री अर्जनदास : मैंने कहा प्रत्येक ठेकेदार से। मैंने यह नहीं कहा कि एक से या दो से...

I used the words 'on all' and I mean 'all'. If you cannot understand me, it is no fault of mine.
ठीक मैं तो यह कह रहा था....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने डिप्टी मिनिस्टर या डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज़ का नाम लिया?

श्री अर्जनदास : आप स्वयं खुद थे, मुझे जो मालूम है वह आपको भी मालूम है और मुझे जहां तक जानकारी

(श्री अर्जुनदास)

है वे आपके आदेश से गये थे आपने उनको आशीर्वाद दे दिया था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे आज पता लगा है कि माननीय सदस्य *

श्री अर्जुनदास (जारी) : आपका ख्याल है कि आपके डराने से मैं डर जाऊंगा। आपको * उन बातों को मुझे कहने में शर्म क्यों आने लगी। उन बातों को कहने में मुझे डर नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य मुझे मजबूर करते हैं सख्त से सख्त शब्द इस्तेमाल करने के लिये। जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं मैं खुद जब कि कह रहा हूं मेरा कोई आदेश या आशीर्वाद किसी को नहीं था। यह मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूं। मैं समझता हूं इससे बढ़कर मेरा अपमान नहीं हो सकता।

श्री अर्जुनदास : आप अपमान मानते हैं तो उसके लिये शुक्रिया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप अपमान कर सकते हैं लेकिन *

श्री अर्जुनदास : इसका एक ही आसान तरीका है। आप यह सदन में कहें कि जो भी अधिकारी इसमें साथ थे उनकी आप जांच करें और सात दिन के अन्दर आप जानकारी करके सदन में बतायें और जो इसमें इनवोल्व्ड हैं उनको आप हटा देंगे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर आप यह साबित कर सकें तो सख्त से सख्त कार्यवाही जो होगी वह की जायगी।

श्री अर्जुनदास : अगर यही बात है तो एक मर्तबा सेल्यूट करके शुक्रिया ...

श्री सोहनलाल भटनागर : He is speaking in a certain way and he is behaving in a manner as a layman in the street.

श्री सभापति : I would request the Hon'ble member to be very serious. The Hon'ble member should be very serious. He is alleging certain charges against the Hon'ble Deputy Minister and the Hon'ble Minister wants certain information. He should be serious about giving the information and I would request the Hon'ble Member not to make poses and all that. It is against the decorum of the House.

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification. Sir, माननीय मंत्री महोदय ने यह तो इन्कार कर दिया कि उनका आशीर्वाद नहीं था। क्या वे यह भी बता सकते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर ठेकेदारों से चन्दा इकट्ठा करने गये थे या नहीं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह पहली दफा मालूम हुआ है। इसलिये मुझसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं इस बारे में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

डेफीनेट जवाब दूं और चूंकि डिप्टी मिनिस्टर साहब भी यहां मौजूद नहीं है जो उनसे पूछ कर जवाब दे सकूं। जब तक मैं इस बारे में छानबीन न कर लूं डेफीनेट जवाब देना मुनासिब नहीं होगा।

श्री सभापति : Don't go on presumptions that every body reads 'Rashtradoot.'

श्री अर्जुनदास : I thank the Hon'ble Minister that he is prepared to accept the challenge. I am not very definite about the Hon'ble Deputy Minister. That information was imparted to me while I was on my legs on the floor of the House. But I am positive about the Deputy Secretary and the Secretary of the Congress Party who happens to be an M. L. A. of this House also.

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी सेक्रेटरी कौन थे ?

श्री अर्जुनदास : If the Hon'ble Minister suggests that he will hold an enquiry, I am prepared to give all the assistance and I expect him to finish the enquiry within a few days and disclose the decision on the floor of the House. If he is prepared to accept it, I will thank him. But I am afraid that he will not do it because last year he promised that he will accompany me to Thekas but he did not do so.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of information. Sir please name the Deputy Secretary.

श्री अर्जुनदास : नाम तो मुझे याद नहीं है, I can let you know later on.

श्री सभापति : Which Hon'ble Member of this House ? you have named an Hon'ble member.

श्री अर्जुनदास : Hon'ble member from Nasirabad.

I mean Shri Jwala Prasad, Nasirabadi, who is the Congress Secretary.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां तक किसी माननीय सदस्य द्वारा चन्दा वसूल करने का सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता वे स्वतंत्र हैं चाहे जहां जा सकते है और चन्दा ला सकते हैं। जहां तक एक्साइज़ विभाग के कर्मचारी का सवाल है वह आपत्ति जनक बात है। श्री ज्वाला प्रसाद जी किसी पार्टी के सेक्रेटरी है तो मैं समझता हूं उनसे जवाब तलब करने की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है।

(विराम)

डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज़ के जाने की जो बात कही उसके लिये मुझे ऑफिशियल जानकारी मिली हैं कि वे नहीं गये थे। डिप्टी मिनिस्टर मौजूद नहीं है उनके बारे में मैं कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर साहब अजमेर नहीं गये क्या इन दिनों में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे इस बात की जानकारी ही पहली दफा मिली है और वह माननीय सदस्य द्वारा कि वे वहां गये और उन्होंने चन्दा किया ।

श्री भैरोंसिंह : आप इसकी जानकारी डिप्टी मिनिस्टर से कर लें कि आया वे गये या नहीं और इस प्रकार से चन्दा इकट्ठा किया या नहीं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अभी बता देते तो क्लेरिफिकेशन हो जायगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जरूरी नहीं, हाउस किसी की इन्क्वायरी के लिये तो नहीं बैठा है ।

श्री अर्जनदास : डिप्टी मिनिस्टर गये या नहीं, इसका सर्किट हाउस में रिकॉर्ड मौजूद है । मैं आशा करता हूं कि इस बारे में तसल्ली कर लेंगे । डिप्टी सेक्रेटरी और....

श्री सभापति : Is the Hon'ble member referring about the Deputy Secretary or the Dy. Commissioner ? Make sure of it.

श्री अर्जनदास : I will consult the name and then I will give it to you.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इससे यह पता लगता है कि माननीय सदस्य सुनी सुनायी कह रहे हैं और उस पर स्टेटमेंट दे देते हैं ।

श्री अर्जनदास : गोलमाल बोलने के लिये तैयार हूं, इतनी हिन्दी आती नहीं मैं भी गोलमाल बोल सकता हूं ।

आज जिस स्थिति में राजस्थान है, उसके अन्दर जो शराब मिलती है वह शराब न होकर जहर है, विष है । इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम जल्दी से जल्दी प्रोहिबिशन लागू करें । प्रोहिबिशन नहीं लागू करते हैं तो यह दिक्कत होगी ।

श्री सभापति : Except the Hon'ble Member.

श्री अर्जनदास : लेकिन प्रोहिबिशन लाने से पहले आपका जो सरकारी ढांचा है उसको ठीक करना पड़ेगा । मेरे ख्याल में कभी आपने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की है और मैं आशा यह भी रखता हूं कि आप करेंगे भी नहीं । फिर भी मैं निवेदन कर देता हूं अगर आपको प्रोहिबिशन लागू करना है तो पहले पहले आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप है उसको झाडू लगाकर साफ कर दें वहां पर जो बेईमानी होती है वह बन्द हो जायगी । आपके शहरों में जो शॉप्स खुली हैं उन ठेकों पर शराब नहीं मिलती सब देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है । मेरे ख्याल में यह जो ५७ लाख का खर्चा आप कर रहे हैं वह खर्चा न करें तो पोज़ीशन वही होगी जो आज तक है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : माननीन सभापति महोदय, मांग संख्या २—मद्य निषेध के कटौती प्रस्ताव पर

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जो बहस चल रही है उस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता महोदयों ने काफी जोशीले भाषण दिये हैं, उस सम्बन्ध में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं ? वह यह है कि हमारी सरकार ने आज से ग्यारह साल तक जो जो इस सम्बन्ध में कार्य किया उसके आंकड़े मौजूद हैं । हमारी राजस्थान सरकार के भूतपूर्व एक्साइज़ मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यही संकेत किया, मैं बम्बई राज्य का उदाहरण रखता हूं, माउन्ट आबू का उदाहरण रखता हूं मैं सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि माउन्ट आबू के राजस्थान में मिलने का प्रोग्राम जिस समय मनाया जा रहा था उसमें मैं भी शामिल हुआ था मैंने वहां देखा, दो रोज तक आंखों से देखा वहां शराब की बोतलों की पार्टियां दी गई थी। एक तरफ तो मद्य निषेध नाम का ढोल पीटते हैं एक तरफ मद्य निषेध की जो समितियां बना रखी है वह सवर्णों के हाथ में दे रखी है । पचास लाख हरिजन आदिवासी जो मद्य सेवन करते हैं उनके अन्दर कमेटियां बननी चाहिये थी। वह नहीं बनाकर उन मठाधीशों को जनता के हाथों की हमारी सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा किसानों और मजदूरों के ऊपर टैक्स लगा कर हमारी सरकार पैसा वसूल करती हैं वह पैसा उन मठ चलाने वाले मठाधीशों को दे दिया जाता है...

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : यह मठाधीशों से क्या मतलब है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : सभापति महोदय, मद्यनिषेध के प्रचार के लिए जो हमारे राजस्थान में कमेटियां बनी हैं वह मेरे जिले में भी एक है और उसका मैं भी दो रुपये देकर सदस्य बना किन्तु आज तक उस कमेटी ने मुझे नही बुलाया । तो मैं राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय जो कि एक्साइज मंत्री भी हैं उनका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा सभापति महोदय, कि यह २५,००० रुपया कुएं में डाल दिया जायें जो उसका धमाका तो होगा ।

(हंसी)

अभी हमारे उधर से बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि डिप्टी मिनिस्टर एक्साइज ने रिश्वत ली, चन्दा लिया तो मैंने अभी उन माननीय सदस्य की ओर इशारा किया कि उनका क्या नाम है, वह भाई नाम नहीं जानते हैं । मैं सभापति महोदय, इस मद्यनिषेध प्रचार के सम्बंध में अब थोड़ा विवरण डालूंगा

(हंसी)

वह यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर पचास लाख हरिजन, चमार, भंगी, रैगर, कंजर और सांसी सभी प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं । अभी हमारे राजस्थान के संत विनोबाभावे के दौरे के समय में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप के वीर सैनिक जहां कि मेवाड़ की मंगलियों में निवास करते हैं वहां एक साथी ने विनोबाजी की मीटिंग में कहा कि १६८ ग्रामदान करने हैं मैंने उस भाई को कहा कि १६८ घर ग्रामदान कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ग्राम । मैंने कहा कि मेरे भूपालसागर को भी ग्रामदान में दे दो तब तमाशा आयेगा कि वहां की जमीन

(श्री हरिप्रसाद यादव)

का और तालाब का बंटवारा किस प्रकार से होता है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर डींग मारने से और सदन का अनमोल समय लेने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि पूर्व वक्ता जो कि उधर बैठने वाले हैं उन्होंने एक उदाहरण में कहा कि अपने अपने क्षेत्र में मद्यनिषेध का प्रचार करें तो यह समस्या हल हो सकती है न कि भाषण देने से। आज २५,००० रुपये उन कमेटियों को, उन मठाधीशों को जो कि अपने अपने जिलो में मद्यनिषेध समिति का साइनबोर्ड लगाये बैठे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि यह काम बातों से निभने वाला नहीं है, यह तो काम करने से होगा। माननीय सदस्य जिस निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं वह सभी माननीय सदस्य प्रतिज्ञा करें कि हम अपने क्षेत्र में मद्यनिषेध के लिए प्रचार करेंगे। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक बात रखूंगा। भारत सरकार से अजमेर के श्री हरविलासजी शारदा जो कि आर्यसमाजी थे उन्होंने पार्लियामेन्ट में एक बाल विवाह नाम का कानून शारदा एक्ट के नाम से पास कराया और वह सारे प्रान्तों में लागू किया। तो उससे हमारे गरीब भाइयों को कठिनाइयां हुई। जब कि मजदूरी करने वाले लोगों में अमूमन यह प्रथा है कि सुबह से शाम तक ८ घंटे काम करने और पत्थर तोड़ कर मजदूरी करते हैं और शराब शाम को पीकर पड़े रहते हैं। मैंने राजस्थान के मजदूरों को देखा है और मैंने खुद भी मजदूरी की है इसलिए सभापति महोदय, मुझे अनुभव है कि प्रचार किया नहीं, कुछ किया नहीं और सदन के सामने कानून मद्यनिषेध का पास कराने के लिए ले आये...

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : यहां कोई मद्यनिषेध कानून पास करने नहीं जा रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो सभापति महोदय, इस प्रकार के प्रचार के लिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ३ करोड़ की आमदनी मिट जायेगी। होटलों में रहना चाहिए। एक तरफ आप बड़ी बड़ी होटलों में रहने के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने अभिभाषण में यह बता रहे हैं कि होटलों में रहना चाहिए, जैसा कि बम्बई में होता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे शब्द ही इस्तेमाल नहीं होने चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसका असर सुनने वाली जनता के ऊपर क्या पड़ेगा। सभापति महोदय, ऐसे ठोस कदम उठायें जायें जिससे राजस्थान में १॥ करोड़ व्यक्तियों पर उसका असर हो और यह मद्यनिषेध का जो प्रभाव हम जनता पर डालना चाहते हैं हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि अपने इलाके में जायें और जो भी वहां शराब पीने वाले हों उनको प्रतिज्ञा करायें इसी से हमारी राजस्थान सरकार की भलाई है न कि प्रचार के लिए २५,००० रुपया लगा दे। क्या यह कोई तथ्य की बात है। मेवाड़ में एक कहावत है 'गुरुजी खायें काकड़ी और दूसरों को दें आकड़ी' नाना प्रकार के किस्से कहानी कहते हैं कि भुट्टे मत खाना और आखिर में वहीं बीबी के यहां भुट्टे बन रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मैं शराब पीता हूं तो माननीय सदस्य यह शराब पीने की शिक्षा क्यों देते हैं। कहीं हमारे माननीय सदस्यों पर यह बात लागू नहीं हो जाये। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों को कहता हूं कि सदन में कोई बात कही जाये तो सच्ची बात कही

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जाये । तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर जो कि एक्साइज मंत्री महोदय भी हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि यह मद्यनिषेध के प्रचार के लिए रुपया दिया जाये वह किसी ऐसी एजेन्सी को दिया जाये जो कि सार्वजनिक संस्था हो और ठीक ढंग से कार्य कर रही हो । आपके समाज कल्याण विभाग के आॅफिसर्स हैं उनको रिमाइन्ड किया जाये, पंचायतों के सरपंच हैं उनको पंचायत आॅफिसरों द्वारा एक रिमाइन्डर निकलवाया जाये, सारे राजस्थान में इस प्रकार का प्रचार किया जाये । आज हमारी गवर्नमेन्ट की सभी जगह शालायें हैं, ग्राम पंचायतें हैं और उनके जरिये से प्रचार करवाया जाये । यह २५,००० रुपये फालतू नहीं दिये जायें । इतना ही कह कर मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सरकारी आॅफिसरों द्वारा यह कार्य कराया जाये जिससे कि हमारा राजस्थान सुखी हो सके ।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर सिटी-पूर्व) : सभापति महोदय, मद्यनिषेध की नीति पर पूर्ण रूप से उसको लागू करने अथवा धीरे धीरे उसको लागू करने, इस पर काफी वाद विवाद सदन में हुआ । मैं समझता हूं कि इस विषय में एक दो विचार अपने भी सदन के समक्ष रखूं और अगर वे विचारार्थ उपयोगी समझे जायें तो काम में ले लिये जायें । माननीय वित्त मंत्रीजी से बात कर रहा हूँ, ऐसे ढीले ढाले शब्दों में ही कहूं ताकि मैं भी गांधीवादी माना जाऊं । इससे बात का असर पड़ता है तो अच्छा है । श्रीमान् पहले इसके कि हम मद्यनिषेध की नीति के बारे में कुछ निर्णय करें हमें जो मौजूदा व्यवस्था इस आबकारी विभाग की चल रही है उसके बारे में सोच लेना आवश्यक है । क्योंकि किसी भी रूप से वह कार्य करेगा, चाहे धीरे धीरे करे या एकदम, हमें काम तो इसी महकमे से लेना है । अब तक भी इस महकमे का कार्य है उसके बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ उन पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है लेकिन इस दृष्टि से नहीं डाला अतः मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं । यह तो निर्विवाद है कि आबकारी विभाग में जो देशी शराब के ठेके दिये जाते हैं वह खाली नीलामी की बोली लगाई जाती है और काफी बड़ी रकम में वह ठेके जाते हैं । जितनी भी तादाद में वहां शराब बिकती है और जिस कीमत में शराब दी जाती है और आमतौर से जिस भाव से वह शराब बिकती है उससे आंकड़े आप लगा लीजिए तो साल भर में जितनी भी आमदनी शराब के बिकने से होती है उससे कम नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रकम ठेकेदार ठेके की देते हैं दुगनी, तिगुनी और चौगुनी तक रकम ठेके में दी जाती है । यहां तक कि आठ आठ गुना तक रकम लोगों ने ठेके में दी हैं । तो आमदनी की तो उम्मीद है एक की और खर्च है आठ । इसका कुछ माननीय सदस्यों ने विचार किया कि वह पानी मिलाकर घाटे को पूरा कर लेते हैं ? मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य उस चीज को नहीं समझते । एक बोतल शराब के अन्दर कितना पानी मिलाया जा सकता है उसकी मिकदार हो सकती है एक बोतल शराब के अन्दर एक बोतल पानी मिलाकर नहीं बेचा जा सकता है अगर ऐसा होगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, वह काफी हलकी हो जायेगी।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

तो उसमें पानी मिलाकर बेचने से घाटा पूरा नहीं होता है। आपको ताज्जुब होगा, इस चीज़ का अन्वेषण करें, आप इन्वेस्टीगेशन करें, काफी छानबीन करें, होता क्या है कि बाकायदा आज शहरों में नाजायज शराब बनाने के कारखाने खुले हुए हैं। शराब में पानी मिलाकर वे नहीं बेचते हैं, लेकिन नाजायज रूप से बनी हुई शराब की एक्शेशिनल क्वान्टिटी बेचते हैं, बिना एक्साइज़ ड्यूटी दी हुई बेचते हैं। इल्लीसिट तरीके से बनाते हैं। इतना बड़ा काम महकमे से बचकर नहीं कर सकते हैं। महकमे के संरक्षण में इल्लीसिट शराब बनाने के कारखाने खुले हुए हैं। इसकी छानबीन करें तो इसकी जड़ में यह चीज़ मिलेगी। मेरे कान में यह चीज़ सुनने में आई है शराब की जो डिस्टिलरीज़ है सरकारी उसमें शराब बनाकर बिना एक्साइज़ ड्यूटी दिये हुए लाकर बेचते हैं। एक्साइज़ डिपार्टमेंट की मिली भगत से यह चीज़ चलती है वर्ना घाटा किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता है। इस बड़े रूप में यह चीज़ चलती है। अभी एक माननीय सदस्य जो दूसरे माननीय सदस्य अजमेर से आये हैं उन्होंने शिकायत की है कि जयपुर के प्रत्येक होटल में खुली शराब बिकती है। जयपुर और अजमेर इन दो शहरों का मेरा भी अनुभव है कि हर दुकानों पर मिलती है। कहीं तकलीफ कोई नहीं होने वाली है। यदि किसी के यहां पर नहीं मिलती है तो कहीं से दो मिनिट में आजाती है। हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी भेष बदलकर चलें, आजकल तो भेष बदलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस भेष के लोग बहुत पीते हैं। इस चीज़ की बाल की खाल निकालने की या अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। हमारी नाक के नीचे होता है। कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्यों बिकती है इसको प्रत्येक जानता है? इसका कारण आपको देखना है। क्या आपका महकमा इसको रोक नहीं सकता है? अगर वह रोकना चाहता तो जरूर रोक सकता क्योंकि एक दो लोगों का चालान करने में उनको रिश्वत मिल जाती है, तो रिश्वत के लालच से भी वे पकड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि इल्लीसिट शराब निकालकर खुद बिकवाते हैं। उसकी बिक्री नहीं होगी तो बनाने की रिश्वत कौन देगा? मैन्युफेक्चरिंग की रिश्वत कौन देता है। तो इन्डाइरेक्टली एक्साइज़ महकमे का यह फर्ज बन जाता है कि बिक्री को नहीं रोके। मैन्युफेक्चर्र इनको रिश्वत देता है इसलिए रोकते नहीं है। दूसरे सोर्स से इन्कम होती है। यह बहुत मोटी चीज़ है। एक मोटी बुद्धि से सोचने पर इस पर प्रकाश पड़ सकता है। विशेष अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अन्वेषण करें। शुतुरमुर्ग की तरह आंख बन्द रखना चाहें तो न मेरे कहने से कुछ तरक्की हो सकती है और न स्वयं ही कुछ तरक्की कर सकते हैं।

आप, श्रीमन्, कहते हैं कि दुकानें बन्द करदी है। पार्शल प्रोहिबिशन की स्कीम से फर्क पड़ा है। आपने १००,१०० गज़ की दूरी पर दूकानें कर दी है। पहले ५० गज़ की दूरी के अन्दर जहां शराब की दूकानें थी वहां अब आपने १०० गज़ की दूरी पर कर दी है, लेकिन इल्लीसिट डिस्टीलेशन जो होता है तो दूकानें बन्द करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक सोचने की चीज़ है। किस तरह से हम प्रोहिबिट करते हैं।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

श्रीमन् मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं और न दलील ही देना चाहता हूं कि शरीर विज्ञान आपको बताऊं। मैं इसको मान लेता हूं कि शराब एक बुरी आदत है। उससे समाज के बल को क्षीण होने में मदद मिलती है, समाज का बल बढ़ता नहीं है। मज़बूत राष्ट्र के लिए इस आदत को जितना कम कर सकें करें लेकिन कानून के बल से रोकने में सब से बड़ी मुश्किल यह है कि अगर आप इस महकमे की मार्फत करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकता है। मुश्किल यह है कि अगर आप उस महकमें के आदमियों को बदलें एक एक आदमी को बर्खास्त करके दूसरे आदमियों को लायेंगें लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि दूसरे लोग भी यही काम करेंगे। आखिर सवाल यह आता है कि काम किया जाय कैसे ? हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कार्यक्रम रखा। गांधीजी ने भी इसके लिए प्रयत्न किया लेकिन उन्होंने वायसराय से प्रार्थना नहीं की कि कानून पास कर दो। उन्होंने बाकायदा लोगों में एप्रोच किया। उन्होंने अपने लोगों की आत्माओं से बात की। उन्होंने उसके लिए पिकेटिंग किया कि हमारी गर्दनों पर होकर जाओ। एक मोहब्बत का रास्ता, सच्चाई और अहिंसा का रास्ता। इस दृष्टि से सोचने वाले कितने हैं ? गांधीजी की सब बात करते हैं, लेकिन कितने सदस्य ऐसे होते हैं, कितने ऐसे मित्र होगें जो मेरे को मान लें कि यह आदमी शराब की आदत में है, अपने आप कहें आकर मोहब्बत से कि इस आदत को कम करें और किसी ने सत्याग्रह किया हो। इसके बराबर न कानून में ताकत है (व्यवधान) आज इस सवाल के ऊपर जब कानून के जरिये कुछ करने का सोचें तो एक चीज़ आप नहीं भूल जाय कि पुलिस के डर से जाली नोट बनाने के काम को रोक सकते हैं, क्योंकि जाली नोट बनाने का काम आसानी से एक बड़े कमरे में बैठे बैठे चुपचाप बना लें। उसके लिए मशीने चाहिए, टैक्निकल इम्प्लीमेंट चाहिए वह इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। उनको प्रोक्योर करें उसी हालत में खबर लगती है, मगर शराब बनाने का बड़ा आसान काम है। बच्चे घर में बैठकर बना सकते हैं और किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं हो सकती है। उसमें कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती है। उसमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। एपेरेट्स की जरूरत नहीं। किसी चीज़ की ज्यादा जरूरत नहीं। घर की औरतें भी उसको बना सकती हैं आप विलायत में चले जाय तो आपको मालूम हो कि बियर, स्टाउट, शेम्पेन आदि जितने भी लिकर्स होते हैं नॉर्मली घरों की स्त्रियां बनाती है। ग्रहिणी के ग्रहकार्य की दक्षता में शुमार किया जाता है कि वह बियर, शेम्पेन और अच्छा स्टाउट बनाना जानती है। यह घरों में बड़ी आसानी से बनाई जाती है और पुलिस के अफसर भी उसको बन्द नहीं कर सकते जब तक कि जनता के बहुमत को आप इसके बन्द करने के पक्ष में नहीं करें। जनता के बहुमत को पक्ष में करने के लिए ५ या २५ हजार रुपयों की ये किताबें छपवाने से कुछ नहीं हो सकता है। मैं कोई मनोवैज्ञानिक भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन सोशलिस्टिक रिसर्च के स्टडी ग्रुप्स के लेटेस्ट फिगर्स आये हैं और उनको आप देखें तो मालूम होगा कि इस चीज़ के लिए कि 'शराब बुरी है' यह बताने से काम नहीं चलता है। उसके लिए बड़ा प्रबन्ध करना पड़ेगा। उन व्यक्तियों के एन्टरटेनमेंट के अन्य सोर्स नहीं है। उसका कोई

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कल्चर नहीं है, उसका कोई शिक्षण नहीं है। अपने समय का सदुपयोग करने का उसको शिक्षण नहीं है। जिन लोगों को अपने फालतू समय में अच्छा काम करने का शिक्षण नहीं है, खेलने, कूदने और पढ़ने की आदत नहीं, कल्चर्ड हैबिट्स जिसकी नहीं हो सकती है, वे इस ओर जाते हैं। इसलिए यहां पर हरिजन भाइयों का जिक्र आ जाता है इन चीजों के बारे में। जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं वे इस आदत में मुब्तिला हैं उनको समझाना चाहिए। वे क्यों सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, क्योंकि उनकी कल्चर्ड हैबिट्स नहीं है। आपने क्या प्रबन्ध किया है अपनी ओर से सिवाय इसके कि मद्यनिषेध के प्रचार के लिए १०, ५ हजार रुपये खर्च कर दिये। आपने क्या इन्तजाम किया है उनके कल्चरल शिक्षण के लिए। मज़दूर आईडल रहें तो उनकी इतनी कल्चर्ड को काम में लाना सीखें। इस दृष्टि से आप देखें। सरकार का फर्ज है कि वह इस तरह का इन्तजाम करें। दूसरा तरीका गांधीवादी यह है कि मोहल्लों में जाकर पिकेटिंग करें। अपने पुराने गांधीवादी तरीकों को इस्तेमाल करें। लोगों के गंदलों पर असर डालें। खुद तकलीफ करें। मद्यनिषेध गांधीवादी आधार पर करें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा सुधार करने की दृष्टि से सबसे बड़ा जोर जिन माननीय सदस्य ने दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य ने इस पक्ष को सामने रखा है। यह आर्थिक नीति का प्रश्न है, शरीर विज्ञान का प्रश्न नहीं है। समाज की सेहत खराब होती है, इससे अपनी काम करने की कैपेसिटी जाती है, इन चीजों से एक साइकोलोजिकल स्लेवरी आपके अन्दर पैदा होती है। एक स्लेवरी पैदा होती है, इज्जत का सवाल पैदा होता है। आदमी का कैरेक्टर और विल पॉवर चला जाता है तो वह नैतिक पतन है और आप नैतिक पतन को रोकने के लिए जो तरीका अख्तियार करते हैं वह इससे भी बड़ा नैतिक पतन करता है इसके पीछे सारी बातें छिप जाती हैं। आज आप जो काम करते हैं उससे पुलिस के महकमे को और एक्साइज के महकमे को रिश्वत खाना सिखाते हैं, ट्रेडर्स इल्लीसिट करना सीखते हैं और रिश्वत देना सीखते हैं और लोगों का नैतिक पतन करने का काम करते हैं तो इससे कितना बड़ा सामाजिक पतन होता है और किस कदर घोर पतन की ओर ले जाता है। झूठे लालच में हम शराब बन्दी को लाना चाहते हैं उसके लिए अंग्रेजी में कहा है :

Ends alone have no importance. Means are equally important. तो आप जिस नैतिक उत्थान को लाना चाहते हैं और पतन को रोकना चाहते हैं उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल करें वह स्वयं नैतिक नहीं हो तो वह फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद करूंगा, क्योंकि अपनी नज़र में मैं उनको सबसे अच्छा गांधीवादी मानता हूं इसलिए उनसे आशा करता हूँ कि वे भी गांधी जी के तरीके से ही सोचेंगे। गांधी जी ने कांग्रेस के चौअन्नी सदस्यता से भी स्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धान्तों का मेल उसके साथ नहीं पाया उसी तरह से यदि आप गांधीवादी नीति पर चलने से निष्फल हो जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार से ही नहीं बल्कि संस्था

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

से भी अलग हो जायेंगे और ऐसी हालत में मैं भी उनके साथ गांधीवादी नीति पर चलने के लिए शामिल हो जाऊंगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (आबकारी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आरम्भ में ही मुझे एक कटु कर्त्तव्य का पालन करना पड़ रहा है। मैंने सोचा तो यह था कि आखिर तक करीब करीब शान्ति से बहस चले और वह शान्ति के साथ समाप्त भी होती लेकिन समाप्त होने से पहले एक माननीय सदस्य जिनकी जोशीली तबियत है, उन्होंने जोश में आकर कुछ ऐसे चार्जेज़ यहां सदन में उन ऑफिसर्स के खिलाफ लगाये हैं जो अपने बचाव के लिये यहां सदन में मौजूद नहीं रह सकते। मंत्रियों पर या माननीय सदस्यों पर चार्जेज़ लगाते हैं, तो वे यहां पर जवाब दे सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ऑफिसर अपनी बचत के लिये यहां मौजूद नहीं रहते है उन पर चार्जेज़ लगाने के लिये संजीदगी से काम लेना चाहिये। अब भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो चार्जेज़ उन्होंने लगाये हैं डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज़ पर उनके बारे में वे अब भी तहकीक करलें कि सुनी सुनाई अफवाहों के आधार पर उन्होंने कहा है तो वे इसको वापिस ले लें और यदि उनकी राय में ऐसे ही है तो मैं मानता हूं कि मुझे जो जानकारी मिली है अभी अभी उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं गया था...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मूल पॉइन्ट यह है कि कलेक्शन हुआ या नहीं? कलेक्शन करने के लिये कौन...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): एक बात आप भूल गये....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे बोलने दीजिये। चन्दा देना और चन्दा लेना व्यक्तिगत अधिकार की बात है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। सरकारी अधिकारी अपने नियम के विरूद्ध काम करते हैं तो आपत्तिजनक हैं।...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : लेने देने में दोनों ही पक्ष का फायदा हो तो....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य को जानता हूँ, वे मेरे दोस्त हैं, जोश में आकर कह जाते हैं, इसलिए वे फिर से सोच लें। उन्होंने तो यहां तक कह दिया जोश में आकर कि गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा...

श्री अर्जुनदास : I still repeat it. You accept the challenge. Either you accept it or I accept it. One should go out.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी आपको यह सलाह है, वैसे आप चाहें जैसा करें अब जहां तक मद्यनिषेध का सवाल है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, इस तरह से यहां पर राज्य कर्मचारियों के नाम लिये गये और कहा कि वे वहां पर थे और आप कहते हैं कि यहां पर आकर जवाब नहीं दे सकते तो यह एक गम्भीर बात है, इस तरह से नाम लेना ठीक

(श्री मदनसिंह)

ढंग से नहीं समझाना ठीक नहीं है। सदन यह जानना चाहता है कि यह बात ठीक है या गलत है, उन व्यक्तियों ने चन्दा लिया ऐसे शब्द कहे थे, इसलिये जिन्होंने चार्ज लगाया था या तो वे कहें कि दोनों व्यक्ति वहां पर थे, वित्त मंत्रीजी ने तो फर्मा दिया कि वे अब दोनों अजमेर ही नहीं गये इसलिये यह ऐसी चीज़ पैदा हो गई है जिसके बारे में हम जानना चाहते है कि बात क्या है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो चार्जेज़ लगाये हैं उनको स्टिक करते हैं ?

श्री अर्जुनदास : I named three. So far as the Hon'ble Minister has not denied, at least for two of them. And so long as he does not deny, I have every right to presume...

श्री सभापति : He has denied for Deputy Secretary and the Deputy Commissioner.

श्री अर्जुनदास : I have never said Deputy Commissioner. I have said about three, the Hon'ble Dy. Minister, Deputy Secretary and Shri Juwala Prasad Nassirabadi. So far as two of them are concerned, he has tried to avoid as usual.

श्री मदनसिंह : मैं यह समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी नहीं माना जाता है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर यहां मौजूद हैं उनसे स्पष्टीकरण हो सकता है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से जानकारी चाहूंगा कि डिप्टी मिनिस्टर का जहां तक सम्बंध है ये स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण कर देंगे। जहां तक राज्य कर्मचारियों का ताल्लुक है वे सदन में आकर स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य विचारलें कि उन पर जो आरोप लगाया है वह गलत तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि उपमंत्रीजी ने ठेकेदारों से चन्दा इकट्ठा किया या नहीं ? यह स्वाभाविक है कि मंत्री या उपमंत्री कहीं जाते हैं तो अधिकारी लोग उनके स्वागत के लिये आते हैं। यह हो सकता है कि उस समय ठेकेदारों से बातचीत हुई हो और उन पर इसका प्रभाव पड़ा या नहीं यह तो इन्क्वायरी करने पर ही पता चल सकता है। डिप्टी मिनिस्टर मौजूद थे या नहीं लेकिन इन्होंने तो तीनों पर चार्जेज़ लगाये हैं और वे इस पर स्टिक करते हैं, उनकी तरफ से इन्क्वायरी जरूरी है।

श्री अर्जुनदास : Let the matter be enquired into.

श्री सभापति : Then you stick to the third name.

श्री अर्जुनदास : I stick to the charge and I can lead the evidence during the course of enquiry if desired.

श्री सभापति : Then I hope the Hon'ble Finance Minister will enquire into the matter.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। जहां तक इस बात का सम्बंध है कि मद्यनिषेध की राजस्थान सरकार की नीति है या नहीं, मैं समझता हूँ यह कहने की बार बार आवश्यकता नहीं है और यदि फिर भी कहने की आवश्यकता है तो मैं घोषित करता हूँ कि राजस्थान सरकार की निश्चित तौर से नीति है और अभी थोड़े दिन पहले जो बिल राजस्थान विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस किया गया है उसके उद्देश्य को आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि ५ साल में यहां पर प्रोहिबिशन हो सके, उसके उद्देश्य में यह बात साफ लिखी है। अब सवाल यह रह जाता है कि तुरन्त एक दम जैसे बम्बई में मुरारजी ने कलम की रगड़ से कर दिया उस तरह यहां भी कर दिया जाय या ५–७ साल में धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से कर दिया जाय....

श्री पी०के चौधरी (फुलेरा) : Does the Hon'ble Minister mean that such action has been taken by 'Kalam Ki Ragad' in Bombay as expressed by him. It is not dignified.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कुछ अभद्रता है by Stroke of pen जिसे अंग्रेजी में कहते हैं....

श्री पी० के चौधरी : They have done it effectively.

श्री सभापति : शब्दों की लड़ाई है, आप जारी रखिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा मतलब था, यकायक कर दिया, साहस पूर्ण। यह अभिप्राय था कहने का। उसी तरह राजस्थान जब राजस्थान बना, उस समय यदि राजस्थान सरकार उचित समझती तो कर सकती थी लेकिन प्लानिंग कमीशन ने, जैसा कि माननीय सदस्यों ने आपको बतलाया कि इसके ऊपर एक मद्यपान निषेध कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने सारे देश में घूम कर, बयानात लेकर कुछ निर्णय दिये। उन निर्णयों को, एक बात को छोड़ कर, प्रायः सब निर्णयों को राजस्थान सरकार ने मान लिया। उन्होंने कहा कि १९५८ की अप्रेल तक टोटल प्रोहिबिशन होना चाहिए। यह सब राज्यों को सिफारिश थी। सब राज्यों में से, मेरे ख्याल में, १९५८ की अप्रेल तक, १९५८ तो खत्म हो गई, एक दो राज्य मद्य निषेध कर चुके हैं, उनके सिवाय और राज्यों ने टोटल प्रोहिबिशन नहीं किया है। अपने राज्य की सरकार ने कह दिया कि उस कमेटी की जो सिफारिशें थीं, उनको अमल में लाने की कोशिश की, पहले कई एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा कोशिश की गई, अब बिल आ गया है लेकिन एक टार्गेट की बात रोक ली गई थी। उन दिनों इन्टर स्टेट ड्यूटी अबॉलिश हुई थी, उससे कुछ नुकसान हुआ था स्टेट को। उसी समय अगर सारे का सारा टोटल प्रोहिबिशन कर दिया जाता तो दो करोड़ ढाई करोड़ का और नुकसान होता। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा कि अगर तुरन्त टोटल प्रोहिबिशन करते हैं तो चार पांच करोड़ और उससे ज्यादा का एकदम धक्का लगता। इसलिए उन्होंने यह बात कही कि दूसरी पंच वर्षीय योजना तक टार्गेट डेट को अमल में नहीं ला सकेंगे जिसे प्लानिंग कमीशन ने तय कर दिया गया था। जो हो, १९५८ गुजर गया और हमारी राज्य सरकार ने मद्य पान निषेध के बारे में एड्वाइज़री

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बोर्ड बना दिया इस बात के लिए कि किस प्रकार राज्य में टोटल प्रोहिबिशन लागू किया जाय, इसके बारे में राय दे। उस सलाहकार बोर्ड में, एक माननीय सदस्य, उनके क्षेत्र का नाम भूल गया हूं...

श्री सभापति : दांता रामगढ़ से आने वाले।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं और उन्होंने थोड़ी रोशनी डाली भी थी। उस कमेटी की मीटिंग हुई और उस कमेटी ने सुझाव दिये, उन सुझावों में ऐसे सुझाव हैं जिनकी खास अहमियत नहीं है लेकिन उसने भी इस बात पर जोर दिया है और यह बात कही गई है कि इस नीति को अमल में लाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हाउस के अन्दर तरह तरह की राय है और सारे देश में दो विचार हैं, एक विचार यह है कि मद्य निषेध एकदम लागू कर दिया जाय और दूसरी राय है कि धीरे धीरे मद्य निषेध लागू कर दिया जाय। जिस प्रकार मद्रास और कुछ अंशों तक मद्रास के अलावा जितने स्टेट्स हैं, उन सब में धीरे धीरे मद्य निषेध नीति लागू की जा रही है। जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं, जहां राजनैतिक जागृति पहले हो चुकी है, जहां इन्टेगरेशन वगैहर के झगड़े नहीं थे, उन्होंने १९५८ में टोटल प्रोहिबिशन नहीं किया। ऐसी दशा में यह उम्मीद करना, यह मानना इस स्थिति में जिस वास्तविक स्थिति में से गुजर रहे हैं मैं समझता हूं कि यह जल्दी होगा।

जहां तक व्यक्तिगत विचार का सवाल है, मैं यहां मौजूद हूं तो मैं गांधीवादी नेता के रूप में नहीं हूं, मैं गांधीवादी हूं अपने घर में हूँ....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : आपके दो रूप हैं ?

श्री अर्जुनदास : तीन-चार हैं

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरा अपना एक ही रूप है लेकिन जो मेरा फर्ज है, मेरी डयूटी है, वह अलग अलग है....

श्री पी.के. चौधरी : (अश्रव्य)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं गांधीवादी हूं आज की किसी राज्य सरकार या भारत सरकार ने सारे गांधीवाद को मन्जूर नहीं किया, अगर सारे गांधीवाद को मन्जूर करें, तो मुझे बड़ी खुशी हो। मेरी बराबर कोशिश है कि कम से कम राजस्थान में सारा गांधीवाद लागू हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, यह प्रजातन्त्र है, अकेले व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं है....

श्री मदनसिंह : गांधीवाद को सरकार में ले लिया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्योंकि व्यक्तिगत बात कही गई और कहा गया कि इसमें समय लगा है और मैं आदमी हूँ जो जल्दी कदम नहीं बढ़ाता है लेकिन मैं बता दूं कि जहां तक व्यक्तिगत बात है, जब मैं अजमेर में मुख्य मन्त्री था और अब भी मेरे यहां जितने खाने हुए हैं, मैंने शराब किसी को नहीं दी है, सिगरेट किसी को नहीं दी है। जब भी मेरे यहां डिनर या लंच हुए, मैंने मांस अपने

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

यहां नहीं दिया है। जो मैं घर में नहीं खाता वह खाने में नहीं देता...

श्री अर्जुनदास : आपने दावत नहीं दी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो मैं अपने घर में खाने में नहीं खाता, उसे अपने यहां मैं नहीं खिला सकता।

श्री अर्जुनदास : आपने दावत नहीं दी, सवाल नहीं उठता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १६ तारीख को शाम को दावत दी जायगी सारे सदस्यों को।

श्री अर्जुनदास : शुक्रिया, लेकिन बहुत से सदस्य तो चले जायेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बजट एप्रोप्रियेशन बिल पास होने के बाद दावत दी जायगी।

श्री अर्जुनदास : १६ तारीख इसलिए कह दी कि कई सदस्य पहले चले जायेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्यों जायेगे दावत खाकर जायेंगे वित्त मन्त्री की। खैर, इसमें वक्त चला जायगा, वक्त थोड़ा रह गया है।

तो, जो मुद्दे की बात थी, जिसके लिए माननीय सदस्य कौन थे, उसके बारे में मैंने कह दिया। माननीय सदस्यों को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान सरकार ढीली है। अगर कोई वजह हो सकती है, तो बिल्कुल रुपये का सवाल हो, यह बात नहीं है। बात यह है कि अगर कानून से एक मद्य निषेध कर दिया जाता, तो उसका नतीजा क्या होता, जिस प्रकार बम्बई के सामने पहले कोई अन्य रियासतों के उदाहरण नहीं थे, उसी प्रकार मद्रास के सामने भी कोई उदाहरण नहीं थे, अब अपने देश में जगह जगह इस पॉलिसी को चालू किया गया है, तो हमें सारी जगहों के अनुभव से लाभ उठाने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, जिससे आप लोग कभी यह कहें कि रास्ते चलते भावुकता में आकर सरकार ने यह नीति अपना कर नुकसान पहुँचा दिया। जो पांच साल का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ वह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, पांच साल में ज्यादा से ज्यादा प्रोहिबिशन हो सकता है, इस बात का मैं इत्मिनान दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा ठेके की बात कही गई। ठेके की क्या प्रथा है क्या नहीं है, मैं इस पर थोड़ी रोशनी डाल दूँ। नीलाम की सिस्टम हमारे यहां ही नहीं है, कई राज्यों में प्रचलित है। जैसे ही मैंने चार्ज लिया, तो उसके बाद सबसे पहले विचार किया, यह बात मुझे अखरती है, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है, उसमें इसकी चर्चा हुई और वैसे विचार किया और आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि जितने तरीके हैं, उनमें कुछ न कुछ खराबी हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी हैं और कुल मिला कर इसे ही ठीक समझा। वैसे ही चार पांच साल में मद्य निषेध करना है तो बार बार पॉलिसी में रद्दोबदल करने से क्या फायदा है। मूल बात पर हमें कन्सेन्ट्रेट करने की जरूरत है। वैसे भी इससे बेहतर कोई तरीका दूसरा नजर में नहीं आया, इसलिए यह तरीका चल रहा

Page No.112

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

है। इसमें भी खराबी जरूर है कि ठेकेदार बहुत बड़ी बोली बोल देते हैं और वे दूसरे तरीकों से रुपया कमाते हैं, लेकिन इसका क्या किया जाय सिवाय इसके कि सरकारी मशीनरी को टाइट किया जाय, गुनहगारों को पकड़ा जाय और उनको सजा दी जाय। अभी वक्त नहीं है कि मैं सब विगत बताऊं वैसे मेरे पास तमाम तालिका मौजूद है कि किस प्रकार कितने पकड़े गये हैं, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर सजायें दी जा रही हैं। सरकार के पास कानून और सजा देने के दो प्रकार के साधन हैं लेकिन माननीय सदस्यों और जनता के पास लोकमत को जाग्रत करने का सबसे बड़ा साधन है। कई माननीय सदस्यों ने यहां इशारा किया, जो माननीय सदस्य यहां जिक्र करते हैं, उनमें जो वाजिब चीजें हैं, उनका असर पड़ता है। उनसे सरकार को यह पता लग जाता है कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, हमें हिम्मत होती है कि जल्दी से जल्दी काम करके दिखायें। लेकिन सबसे बड़ा तरीका यह है कि इसके लिए लोकमत को जाग्रत किया जाय। जो मद्य पान निषेध कमेटी है, उसने सिफारिश की है कि हम पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट ड्राई कर दें और उसके लिए सिरोही का नाम तजवीज किया है। क्योंकि पहले आबू में प्राहिबिशन हो चुका है, वहां की जनता उससे आदी हो चुकी है, इसलिए सोचा गया कि क्यों नहीं सिरोही को ड्राई एरिया डिक्लेअर कर दिया जाय। तो यह नहीं है कि ध्यान नहीं दिया हो, ध्यान दिया है। एक बात और है जिसका जिक्र माननीय सदस्यों के सामने करना चाहता हूँ कि जब आबू राजस्थान में मिला, उस समय आबू के लिए एक आबू डवेलपमेंट कमेटी बैठाई। उसने डेफीनेट सिफारिश की थी कि आबू को वेट एरिया करार दिया जाय, या कम से कम जो फॉरेन विजिटर्स आते हैं, उनको शराब पीने की छूट दे दी जाय, जिससे टूरिस्ट ज्यादा इन्ट्रेस्ट लें आबू में और उससे करीब करीब दो लाख रुपये की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने उस सुझाव को मंजूर नहीं किया, हमारे ऊपर प्रेशर भी आये, मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मद्य पान निषेध की नीति पर दृढ़ है...

श्री मदनसिंह : इससे क्या शराब छूट जायगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसके जवाब में कह रहा था कि आप कहते हैं कि सरकार की ढीली नीति है। अगर ढीली नीति होती तो यह एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी की रिपोर्ट थी, बड़ा आसान था, हम कर देते और कह सकते थे कि कमेटी ने कर दिया, हम क्या करें। हमारे ऊपर दबाव भी पड़ा, काफी दबाव पड़ा, इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने मंजूर नहीं किया। इसका जिक्र इसलिए कर दिया कि आबू में पहले प्राहिबिशन लागू हो चुका था, वहां सहूलियत होगी ड्राई एरिया करार देने में।

श्री पी. के. चौधरी : पांच बज गये।

श्री अनोपसिंह : Now it is five Sir,......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो माननीय सदस्यों ने दो एक बातें और कहीं थीं, मैं जल्दी में ही उनके सम्बन्ध में कह देना

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चाहता हूं। लाड़पुरा, चौड़ा रास्ता और पाली की शराब की दुकानें हटाने के लिये जो कहा था, उनके लिये मैंने कह दिया है कि उनको हटा दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : ५ बज गये हैं।

५ म० प०

श्री भैरोंसिंह : समय हो गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय मैं समझता हूं कल पर रख दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री सभापति: आप १० मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात है कि काफी बातें कही गई हैं जिनका उत्तर मुझे देना है।

श्री सभापति : You finish within 10 minutes.

५.१ म० प०

हां, आप प्रारम्भ रखिये। १० मिनिट का समय बढ़ा दिया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : झालावाड़ का किस्सा माननीय सदस्य ने बताया, वहां के दो किस्से हैं, एक पहला किस्सा है जिसमें शराब के ठेकेदारों का ताल्लुक आता है, पुराने और नये ठेकेदार का ताल्लुक आता है, उसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी करा दूं कि वह मामला अभी अन्डर कन्सिडरेशन है, एक पेशी पहले हो चुकी है और दूसरी पेशी १४ अप्रेल की रखी है, दोनों पार्टीज़ को सुना जायगा जिसमें कि पारसी ठेकेदार है, झालावाड़ के पुराने और नये ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठेके लिये हैं पर बाद में दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया, एक पेशी उसकी हो चुकी है और १४ अप्रेल मैंने दी है, इस लिये माननीय सदस्य को इसमें अभी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या अभी इसमें फैसला नहीं दिया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा नहीं कि अभी पेशी हुई, अब १४ अप्रेल की पेशी दी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि फैसला दिया कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पारसी ठेकेदार है उसका ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसे ऑर्डर्स हुए हैं, पर आपत्तियां खड़ी हो गई। मान लीजिये, अगर फैसला हो भी गया है तो उसको फिर से सुन कर फैसला दिया जायगा। मैंने अर्ज किया कि १४ अप्रेल की पेशी रखी है।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट बताइये कि फैसला हुआ है कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आपने किया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, मैंने किया है।

श्री भैरोंसिंह : आप ही उसे बदल रहे है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बदल सकता हूँ, यदि ऐसा लगे कि सही नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : दो मामले हैं कीमत का और दूसरा कम्पेन्सेशन का, कीमत वाला पहला मामला है, उसका फैसला कर दिया है और कम्पेन्सेशन का मामला है उसका फैसला नहीं किया है। तो वह कम्पेन्सेशन का मामला चल रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्य : कम्पेन्सेशन का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कीमत का आॅर्डर पहले कुछ कर दिया.और फिर दूसरा आॅर्डर कर दिया, तो कीमत के मामले में तो आॅर्डर हो चुका है दूसरा कम्पेन्सेशन का मामला है वह चल रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कम्पेन्सेशन का नहीं है मेरे खयाल से शराब बनाने संबंधी कुछ चीजें खरीदी हैं, कुछ बाकी हैं यह झमेला है। वह मामला मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह : कीमत का आॅर्डर पहले कुछ दिया था और उसी दिन या दूसरे दिन मुझे ठीक याद नहीं, फिर आपने कीमत बढ़ा कर दूसरा आॅर्डर इश्यू किया, तो एक ही दिन में यह किया हुआ है। आपका अन्डर कन्सिडरेशन का है वह तो कम्पेन्सेशन का मामला है, कीमत का नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं, कीमत का है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : You have extended the time by 10 minutes only. So let the Hon'ble Minister proceed without interruptions.

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : Let us not interrupt so much.

थोड़ा जल्दी समाप्त कर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : धौलपुर के इन्स्पेक्टर के लिये कहा गया कि उसे इस लिये सस्पेन्ड किया है कि वह शराब की आमदनी बढ़ाता नहीं है, वास्तव में यह बात नहीं, उसके खिलाफ यह शिकायत थी कि वह इल्लीसिट डिस्टिलेशन को रोकने में ढीला साबित हुआ इस लिये उसको हटाया गया।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, समय हो चुका है।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हम दूकानों की संख्या भी निरन्तर घटा रहे हैं। हमने ३६२ दुकानें कम की हैं।

५६–५७ में २७६७ दूकानें थीं।
५७–५८ में २६७८ दूकानें रहीं।
५८–५६ में २४३५ दूकानें रहीं।

तो क्रमशः हम दूकानें कम करते जा रहे हैं।

आमदनी बढ़ने के बारे में निवेदन करना

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चाहता हूं कि आमदनी बढ़ती है तो बिक्री भी बढ़ती है, तो यह मालूम करना सदस्यों के इन्ट्रेस्ट की बात है कि कौन से क्षेत्र में बढ़ती है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि विद्यार्थियों में और खास कर उन किसान जातियों में जो अभी तक शराब नहीं पीते थे और अब पीने लग गये हैं, उनमें यह बढ़ती जा रही है, यदि यह सही है तो कानून के जरिये रोकने का जहां तक सवाल है हम उसे कानून बना कर रोकेंगे पर इसको रोकने के और क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर माननीय सदस्य सोच सकते हैं।

विलायती शराब का जिक्र किया गया था तो विलायती शराब तो सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, उनके कहने से आती है....

श्री भैरोंसिंह : समय समाप्त हो गया है।

श्री सभापति: दो तीन मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): पूरा उत्तर देना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं पूरा उत्तर माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री सभापति : साढ़े चार बजे आपकी तरफ से उत्तर दिया जाने वाला था मैंने आपके समय में से १० मिनिट का समय अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को दे दिया, इस लिये आपको १० मिनिट का और समय दिया। आप दो मिनिट में अपना उत्तर दे दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात मुझे पहली दफा कही गई कि शराब में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, जो जहरीली होती हैं, पानी मिलाने की बात कही जाती है, मैंने पिछली दफा कहा था इसको और देखूंगा कि पानी नहीं मिलाया जाय।

पर जहर मिलाने की बात मैंने इस समय पहली बार ही सुनी है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेथेलेटेड स्पिरिट।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर यह जहरीली चीज है जो मनुष्य के जीवन के लिये खतरनाक है तो मैं इसको रोकने की मुनासिब कार्यवाही करूंगा।

श्री अर्जुनदास : मेरे साथ चलेंगे ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हो रहा है, एक्साइज मंत्री पूरा जवाब दें तो ठीक हो।

श्री सभापति : Nothing more ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : और कहना चाहता हूँ पर आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जवाब हो गया है।

श्री सभापति : आप कह दीजिये, जो मोटी मोटी बातें हैं, एक मिनिट में कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : पीछे पूछ पूछ कर बातें कह रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप कुछ कह रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह : कुछ नहीं, आप बैठ जाइये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अनोपसिंह : He has again started, आपने टाइम दिया था वह तो खत्म हो गया, आप तो फिर बोल रहे हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : When the time extended is up, the question should be put. I move a closure.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मोनोपोली के बारे में कहा गया । मोनोपोली के बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी नीलाम का सिस्टम है, ज्यादा बोली जो बोलता है उसी को ठेका दिया जाता है, ऐसी हालत में किसी की कोई मोनोपोली नहीं है । और जो देशी शराब है और विदेशी शराब है, मुकर्रर लाइसेन्स फी पर दी जाती है । जहां विदेशी शराब होती है वहां देशी शराब नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति वे बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो रेट्स के बारे में कहा गया है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कई किस्म की शराब होती है....

श्री अनोपसिंह : I think the Chair had given a ruling that he should speak for three minutes.

सभापति : He is speaking. Please, don't interrupt.

श्री भैरोंसिंह : बोलना है नहीं ।

श्री सभापति : तो बैठ जावेंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर नहीं बोलना चाहता तो बैठ ही जाता...

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय, तब तक यह कहा जाता रहा है कि माननीय मंत्री जवाब नहीं दे रहे है । जब वे बोलना चाहते हैं तो उन्हें सुनना चाहिये ।

श्री सभापति : Yes. Hon'ble Minister, Anything more ?

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के खड़े रहने पर)

श्री मदनसिंह : हम एग्री करते हैं, हम समझ गये हैं ।

श्री अमृतलाल यादव : हम एग्री नहीं करते, हम सुनना चाहते हैं ।

श्री मदनसिंह : आपका यह 'भाषण था कि जल्दी से जल्दी शराब खोरी बन्द कर दी जावे । आपकी तरफ से शराब में ठंडा पानी वगैरह तो नहीं आये वह तो हमारी तरफ से था सो हम समझ गये । उसका उत्तर हो गया ।

Page No.117

(श्री मदनसिंह)

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

एक माननीय सदस्य : Since the meeting was extended by 10 minutes only, it is against rules to sit any more. The question may be put now.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, सैकड़ों वर्षों की यह लगी हुई बीमारी कुछ अर्से से ही मिटेगी।

श्री भैरोंसिंह : Mr. Chairman, Sir, I move that the question be now put.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा, "that the question be now put" इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काफी इम्पोर्टेन्ट मेटर है और इस पर पूरे दिन तक काफी वादविवाद हुआ है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : According to rules, Sir, there can be no discussion on a point of order.

श्री अनोपसिंह : Sir, the time is up now, the question be put.

श्री अमृतलाल यादव : आज दिन भर इस इम्पोर्टेन्ट मसले पर बहस हुई है और कई पॉइन्ट्स उठाये गये हैं, उनका सबका खुलासा जवाब नहीं मिल जावे तब तक हमें संतोष नहीं हो सकता।

(करतल-ध्वनि)

श्री सभापति : The question is, "that the question be now put." Those who are in favour of it, please say 'Yes'.

(मत-दान के पश्चात् पुनः)

'Ayes' have it.

कुछ माननीय सदस्य : 'Noes' have it, Sir.

श्री सभापति : Then Division.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

The question is: "that the question be now put. Those who are in favour of it, please say 'Yes'.

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'Ayes' have it.

कुछ माननीय सदस्य : 'Noes' have it Sir,

अन्य कुछ माननीय सदस्य : 'Ayes' have it.

श्री सभापति : Then 'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

श्री भैरोंसिंह : We don't want to go to lobbies. It may be counted here.

श्री सभापति : I would request the Hon'ble Members not to waste much time. I have already given my deci-

(श्री सभापति)

sion. You please go to lobbies and let us have a decision within two minutes.

(माननीय सदस्यों के लॉबीज़ में प्रवेश एवं मत-अंकन के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : On a Point of order, Sir, सभापति महोदय, इस गिनती का परिणाम बताया जाय, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय डिविज़न बैल बजाई गई थी और मेम्बर्स एज़ और नोज़ की लॉबीज़ में रवाना हो गये और ज्योंही मेम्बर्स वहां पहुँचे किवाड़ बन्द किये जाने चाहिये थे और उसके बाद में जो आते हैं उनके वोट्स काउन्ट नहीं किये जा सकते हैं । वैसे हाऊस में जो मौजूद थे, ज्योंही बैल बजायी गई उसको सुन कर हाऊस में कहीं होने पर आ सकते हैं और वोट दे सकते हैं, लेकिन जब डिविजन बैल बजी और मेम्बर्स लॉबीज़ में चले जाते हैं तो किवाड़ बन्द हो जाने चाहिये । लेकिन नोज़ की लॉबीज़, अोपोज़िशन की तरफ की लोबीज़ के किवाड़ बन्द नहीं किये गये और ढाई मिनिट बाद भी मेम्बर्स आये हैं और गिनती में शामिल हुए हैं, गिनती उनकी पांच है, इसलिए मैं चेयर से निवेदन करूंगा कि पांच मेम्बरों के वोट काउन्ट नहीं किये जाने चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उसमें मेरी जानकारी में यह नहीं है कि कौन माननीय सदस्य उसके बाद गये ।

कुछ माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री गये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं इतना ही कह सकता हूं कि लॉबी के दरवाजे बन्द नहीं थे, जब मैं उसमें गया था ।

श्री भैरोंसिंह : बन्द नहीं किये गये और उसका फायदा मुख्य मन्त्रीजी ने उठाया ।

श्री अनोपसिंह : नागरजी भी उस वक्त नहीं थे ।

श्री सभापति : जहां तक लॉबीज़ के दरवाजे बन्द होने का प्रश्न है, दरवाजे बन्द होने के बाद खोले नहीं गये, खुले हुए थे, और खुले हुए दरवाजों में कोई माननीय सदस्य चला जाता है, उसका किसी प्रकार का दोष नहीं है। यह हो सकता है कि १०-१५ सैकिन्ड दरवाजे बन्द करने में देर हो गई होगी, माननीय सदस्य का सवाल है कि दरवाजे खुले हैं तो जा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, दरवाजे बन्द करके ताला लगाया जाय, उसका यह सेन्स नहीं है, बल्कि समय निर्धारित है, घंटी बजने के बाद मेम्बर लॉबीज़ में चले जाते हैं और जाने पर दरवाजे बन्द हो जाने चाहिये थे...

श्री सोहनलाल भटनागर : Under what rules ? You must quote the rules.

श्री भैरोंसिंह : दरवाज़े बन्द करने का काम विरोधी दल का या सत्ताधारी दल का नहीं है । यह तो सचिवालय की व्यवस्था होती है, उसकी कमी के कारण—

Page No.119

(श्री भैरोंसिंह)

दरवाजे बन्द नहीं हुए और वोट ले लिये गये। जब कि यह सत्ताधारी दल या विरोधी दल का काम नहीं था, किन्तु यह तो सचिवालय की व्यवस्था की कमी थी और उसका फायदा सत्ताधारी दल द्वारा उठाया गया, इसलिए पांच वोट गिने नहीं जाने चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह कौन से रूल में दर्ज है।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसा नहीं था तो क्या चले गये तो धक्का देते।

(घंटी)

श्री सभापति : बन्द करने में १०—१५ सेकिन्ड की ढिलाई सचिवालय की तरफ से हो सकती है। जहां तक वोटिंग का ताल्लुक है इस प्रकार है :

एज़ २०

नोज़ २१

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज़)

[विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष के सदस्य—

'ना पक्ष'

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

श्री भीमसेन

श्री देवागिरासिया

श्रीमती गौरीपूनिया

श्री गोकुलचन्द जाटव

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री अमृतलाल यादव

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री जयसिंह राणावत

श्री जनार्दनराय नागर

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्रीमती कमला श्रोत्रिय

श्री किशनसिंह बहड़

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री मूलचन्द डागा

श्री परसराम मदेरना

श्री पी.के. चौधरी

श्रीमती प्रभामिश्रा

श्री रामेश्वरदयाल

श्री सोहनलाल भटनागर

'हां पक्ष'

श्री अनोपसिंह

श्री अर्जनदास तुलसीदास

श्री बालमुकुन्द

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

मेजर श्री फतहसिंह

श्री गिरधारीलाल

श्री हीराभाई

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

श्री किशनाराम

श्री लच्छूराम

श्री ठा० मदनसिंह (दांता)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेरपूर्व)

श्री मोगजी भाई

श्री मोहरसिंह

श्री मुक्तिलाल मोदी

राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह

Page No.120

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह

श्री रामधन पटेल

श्री रामनारायण वर्मा

श्री शिवचरणदास

श्री महेंन्द्रसिंह पंवार : Then I propose that the House be adjourned now.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ५.२७ पर मंगलवार दिनांक १८ मार्च, १९५९ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

———

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १७ मार्च, ५९)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४२३८

कोटा शहर में हरिजन बस्तियां

अजमेर कर्मचारियों के वेतन एवं वेतन श्रृंखला का संरक्षण

भाखरा नॉन में भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेंट

गृह उद्योग को बिक्री कर से मुक्त

बीटिया पालड़ी जागीर का पुनर्ग्रहण

बीकानेर शहर की अनिवार्य पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतन

गांव हंजावा, तहसील पाली की ज़मीन की काश्त

तहसील सिकराय में समाज कल्याण प्रोजेक्ट्स

ज़िला जालोर में लैण्ड एक्वीज़ीशन के पैंडिंग मुकदमात

बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशें

ज़िला बीकानेर, तहसील कोलायत में अकाल से पशुधन की क्षति

मद्य निषेध की सरकारी नीति

पाली ज़िले की जैतारण तहसील में गिरदावरी स्लिप न दिया जाना

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

कोटा के सार्वजनिक तालाब की पड़त जमीन का गलत इन्द्राज़

ग्राम कोथून, तहसील चाकसू में मिडिल स्कूल की स्थापना

बांसवाड़ा के अभावग्रस्त क्षेत्र से लगान की वसूली

कोटा डिविज़न में शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास

हाईस्कूल के हैडमास्टर व फर्स्ट असिस्टेन्ट के ग्रेड में अन्तर

अरडांद, तहसील अटरू में रामचन्द्रजी के मन्दिर की सेवा पूजा की व्यवस्था।

खनिज एवं भूगर्भ विभाग से प्राप्त आय

खरीफ की फसल न बोने पर काश्तकारों से लगान

महारानी कन्या उच्च विद्यालय, धौलपुर

ज़मीन के हस्तांतरण हेतु सेल डीड का रजिस्ट्रेशन

करौली की खानों का ठेका

भाखरा प्रोजेक्ट में भूमिहीन व्यक्ति

उदयपुर तथा डूंगरपुर ज़िलों में ब्लॉक्स

स्कम्भ स्कम्भ

ज़िला जालोर के स्कूलों में अध्यापकों का अभाव — श्री लक्ष्मीचन्द

बाली तहसील के अकालग्रस्त गांव — श्री जगदीश प्रसाद माथुर

तहसील सांगोद व ज़िला कोटा में राष्ट्रीय विस्तार योजना खंड कनवास — श्री रामेश्वर दयाल

ज़िला जयपुर के प्राईमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में परिवर्तन — डॉ० चन्द्रकला

ज़िला झालावाड़ में उपजाऊभूमि पर वन विभाग का अधिकार — श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

मिडिल स्कूल हरीगढ़, ज़िला झालावाड़ के अध्यापक — श्री मूलचन्द डागा

ग्राम जुरहरा के किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवज़ा — डॉ बहादुरसिंह

पंचायत सीधमुख द्वारा खातेदारी की भमि का विक्रय — श्री भैरोंसिंह

श्री सूबेदारसिंह

आयव्ययक, १९६० ४३०५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर

उपरोक्त मांग, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, आबकारी व कर विभाग, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर १२ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये।

प्रभारी मन्त्री अपना उत्तर दे रहे थे जब कि श्री महेन्द्रसिंह पंवार ने संवरण-प्रस्ताव (Closure-Motion) प्रस्तुत किया जो विभाजन के फलस्वरूप अस्वीकृत हुआ।

बुधवार, दिनांक १८ मार्च, ५६ की कार्य – सूची

१. श्री लालमोहम्मद गजधर, राष्ट्रदूत के जोधपुर स्थिति संवाददाता तथा जोधपुर पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) व श्री पी.के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।

२. सदन की मेज़ पर रखा गया पत्र

पुरः स्थापित विधेयक

१. राजस्थान उप-कर समाप्त विधेयक, ५६

२. राजस्थान पेसेंजर्स एन्ड गुडस टैक्सेशन विधेयक, ५६

४. अनुदानों की मांगों पर मतदान

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

ग्राम हन्जावा के खसरा नम्बरान जिसमें सेवज होती है

सेवज हस्व ज़मीन की सूची			नाम बापीदार गैर बापीदार मय वल्दियत कौमयत	१९५६ २०१२		१९५७ २०१३		१९५८ २०१४		कैफियत
नम्बर खसरा	रकबा	किस्म		२०१२	इजाजत	२०१३	इजाजत	२०१४	इजाजत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१६	८)४	सेवज सोयम	अचला वल्द खीमा कौम कुम्हार १/२ गुलाबदास वल्द गोपालदास १/२ कौम सादसा बाकली काश्तकार अब्बल किसीया वल्द पन्ना कौम मुसलमान सा० रामा काश्तकार दोयम	—	बापी	—	बापी	—	बापी	लगान ४।।।≥) बकाया नहीं है।
१७	१।।) ——— ८।।)४			—	,,	—	,,	—	,,	,,
२१	२२।।)	सेवज दोयम	आसू रूपा पि० मंगला कौम कंर सा० सेलड़ी ब०हि० बराबर	—	बापी	—	बापी	खरबूजा २२।।)	बापी	लगान १६।।।=) बकाया नहीं है।
२५	२२।)	सेवज दोयम	नाथू अचला पि० उदा १/३ आसु वल्द मंगला १/३ गुणेश वल्द रामा १/६ नैनिया वल्द रामा १/६ कौम कटी सा० सेलड़ी	—	बापी	—	बापी	खरबूजा २२।)	बापी	लगान १६।।।=) बकाया नहीं है।
३२	८।)	सेवज दोयम	रूपा वल्द मंगला कौम कीर सा० सेलड़ी	—	बापी	—	बापी	खरबूजा ८।)	बापी	लगान ६।=) बकाया नहीं है।
१२०	३)२	सेवज सोयम	मगाराम पुखाराम पि० बुड़ाराम कौम ब्राह्मण सा० देह	खीरा ३)२ जुवार १०)	बापी	प अमालिया ३।)२ ६) गुज्जी २)	बापी	कनक १)२	बापी	लगान ७)।।। बकाया नहीं है।
२१२	११)	,,	,, ,,		,,		,,	कनक २)		
१२१	७)१	सेवज सोयम	पजिया वल्द मूला कौम राईका सा० देह	गुज्जी ७)१	बापी	अमालिया ७)१	बापी	गेहूं ७)१	बापी	लगान ३।) बकाया नहीं है।
१२२	१०)२	सेवज [illegible]	जगतसिंह वल्द सादूलसिंह कौम राजपूत सा० कुशथाना	गुज्जी १०)२	बापी	गुज्जी प [illegible] ६)	बापी	गेहूं १०)२	बापी	लगान ४)।।। बकाया नहीं है। २०१३ २०१४

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ का उत्तर देखिये)

Rate of Fees Charged in the Mahila Ashram High School, Bhilwara (Session 1958-59)

S 1. No.	Class	Admission fee	Re-Admission Fee	Scholars Register	Games Fee.	Students Union Fee.	Reading Room	Library Fee	Craft Fee	Social gathering Fee.	Magazine Fee.	Examination Fee.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	31	14
1	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	These fees have been enforced from July 58 & are realised only once a year except.
2	II	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
3	III	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	0 50	-	-	-	-	-	
4	Iv	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	0-50	-	-	-	-	-	
5	v	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	
6	vI	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	2.00	1.00	0-50	1.00	1.00	2.00	
7	vII	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	2.00	1.00	0-50	1.00	1.00	2.00	
8	vIII	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	2.00	1 00	0-50	1.00	1:00	2.00	
9	Ix	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	2.00	1.00	-	1.00	1.00	2.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	x	1.00	1.00	1.00	2.50	1.00	2.00	1.00	-	1.00	1.00	2.00	

the examination fee which are charged at the time of the Half-yearly and the yearly examination. No tution fee is charged.

Sd/- C. Roberts.
Asstt. Director of Education (W)
Jodhpur.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये)

नकल रजिस्टर जेवरात मन्दिर श्री रामचन्द्र जी मन्दिर के जो सब ट्रेजरी

तारीख जमा	नाम स्थान जहां से जेवर आया		तफसील जेवर	तादाद सोना	चांदी	मीज़ान
१-११-५३	मन्दिर श्री रामचन्द्र जी अडन्दिका		मोहनमालादाना ६५ वज़नी सवातीन भर मय बारदाना सत के डोरे में पोये हुए नग १ सोने का	४	२७	३१
		२	सेर सोने का नग १ वज़नी २ रु. १५ आना भर मय सूत के दो डोरे व मोम लगा हुआ ।			
		३	बीदी गट्टा १ जोड़ी वज़नी २ रु. ६ आना भर सोने का मय मोम लगा हुआ ।			
		४	सरपेच सोने का जड़ा हुआ कांच के मोती व जड़ाव नग १ वज़नी २ रु. ८ आना भर			
		५	कुण्डल नग ४ चांदी के सोने का झोल चढ़ा हुआ वज़नी ढ़ाई रु. भर पीछे मोम लगा हुआ नग ४ ।			
		६	रमझोल नग २ वज़नी ३७ रु. ८ आने भर डोरे लगे हुए ।			
		७	छमछमा चांदी नग ४ वज़नी २७ रु. भर मय सूत के डोरे के ।			
		८	मुकट चांदी नग २ वज़नी ६ रु. भर किनारे पूरी हुई मोम लगा हुआ ।			
		९	टोपी चांदी नग १ वज़नी १८) रु. भर			
		१०	गूजरी नग २ वज़नी ६ आना भर			
		११	लोटा मय ढक्कन नग २ वज़नी २२ रु. १२ आना भर ।			

१	२	३
		१२ झमझमी नग २ वज़नी ८) भर।
		१३ आरती नग १ वज़नी २३) भर।
		१४ लासकी नग २ वज़नी २७ रु. १२ भर
		१५ कटोरी नग २ वज़नी १३) भर।
		१६ पंच पात्र नग १ वज़नी १०) भर।
		१७ छत्र १ वज़नी २४ रु. ८. आना भर।
		१८ अडीसा नग १ वज़नी १४ रु. ८ आना भर।
		नग ३१ सोना ४ चांदी २७।

मन्दिर अडोंद श्री रामचन्द्र जी के खर्चे के वास्ते अलावा तनख्वाह पुजारी व खर्चा मन्दिर ३०) माहवार के नीचे लिखी रकमात ५७-५८ में दी गई हैं।

२६-६-५७	को ५००)
१-२-५८	को ६००)
४-३-५८	को १३)
	१११३)

वेतन पुजारी प्रति माह नियमानुकूल ३०) मासिक दिया जाता रहा है।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING DIVISIONWISE REVENUE OF MINES & GEOLOGY DEPARTMENT FROM THE YEAR 1950-51 to 1957-58.

S.No.	Name of Division	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	REMARKS.
1.	Central Office	1,53,692	37,689	31,536	10,937	14,138	19,030	28,927	51,964	
2.	Udaipur.	11,52,649	13,89,197	12,43,595	9,21,765	7,18,573	10,89,100	4,26,623	4,21,070	(Including Banswara Sub-Division.)
3.	Jaipur.	6,74,617	8,30,403	5,58,300	6,49,563	6,70,269	11,48,425	14,67,868	12,86,433	(Including Alwar Sub-Division)
4.	Jodhpur.	8,11,845	8,08,212	9,83,044	9,19,194	10,79,758	12,24,270	12,74,017	17,54,081	(Including Bikaner Sub-Division)
5.	Kotah.	10,18,755	12,90,857	9,54,884	10,31,804	6,37,468	14,19,037	10,50,325	11,30,243	(Including Tonk Sub-Division)
6	Bhilwara.	—	—	—	—	—	--	5,85,430	7,10,436	(Including Ajmer Sub-Division upto 1955-56) Bhilwara was a Sub-Division under Udaipur Division and thus the figures upto 1955-56 have been enclosed in the figures of Udaiqur.
7.	Palana-	1,27,080	4,45,642	5,02,241	3,81,537	3,12,142	4,78,196	4,78,912	5,14,527	
	TOTAL	39,38,638	48,02,000	42,73,602	39,14,800	34,32,336	53,78,058	53,12,102	58,68,754	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ का उत्तर देखिये)

List of Primary Schools in Jaipur District where the number of students is more than 100.

Sl. No.	Name of School.
1	Beelwa
2	Getore
3	Muhana
4	Sanganer (Refugee)
5	Sanganer (Town)
6	Sanganer (Old)
7	Shivsinghpura
8	Bassi
9	Jhar
10	Madhogarh
11	Chandrana
12	Jasoota
13	Dausa
14	Dausa Khurd
15	Harijan Basti Dausa.
16	Hanumangate, Geejgarh
17	Dubbi
18	Padli
19	Thikaria
20	Baswa
21	Bandikui
22	Kuti
23	Peechapara Khurd
24	Krnia
25	Karnawar

१	२
26	Kolana
27	Lotwara
28	Gullana
29	Bandikui Jagir
30	Lalsot
31	Chandpole gate
32	Topkhana Desh
33	Ghanwlan Local
34	Chanwlan Refugee
35	Baiji Ka Madir
36	Vinodilalji
37	Modikhana
38	Gordhan Nathji
39	Deori ji ka mandir
40	Anaj ki Mandi Local
41	Anaj Ki Mandi Refugee
42	Bharganj
43	Pataleshwar
44	Fatehtiba Refugee
45	Purana Ghat Refugee
46	Chowkri Topkhana Desh
47	Behari ji Ramganj
48	Adarsh Nagar
49	Mahawtan
50	Railway Station
51	Residency Road
52	Kanti Chandra Road
53	Ganpatinagar
54	Nahri ka naka
55	Numaish Camp

१	२
56	Hathroi
57	Saraswati Kund
58	Nadir ji Ka mandir, Local
59	Nadir ji Sindhi
60	Brahmpuri No. 1
61	Brahmpuri Refugee
62	Bandri Ka nasik
63	Naharbara
64	Pannigaran
65	Gangapole
66	Mandhi Khatikan
67	Dabab Khana
68	Moondia Rampura
69	Rampura Roopa
70	Sodala
71	Jaisingpura Khor
72	Kalwar
73	Jhotwara
74	Nangal Jaisa Bohra
75	Pachar.
76	Badnagar
77	Bonabas
78	Makri
79	Dasil
80	Gogunda
81	Subaheda (Kotputli)
82	Khasri
83	Chaksu
84	Komum
85	Choru
86	Boram

१	२
87	Mahla
88	Sadarda
89	Kag
90	Chavaria
91	Gadvado
92	Sovarabiji
93	Rundal
94	Tholai
95	Thalsalpur
96	Adva
97	Bhaswa
98	Kirnova
99	Pharnsar
100	Ramjipur kala
101	Rojari
102	Phulara
103	Thani Karegran
104	Thani Nagan
105	Sambhar No. 1
106	Sambhar No. 2
107	Sambhar No. 3
108	Marena No. 1
109	Barena No. 2
110	Amarsar (Pri. School)
111	Karori
112	Thansopur
113	Nayan
114	Bilunderpur
115	Berath
116	Bagru

१	२
117	Shahpura (Pri. School)
118	Basa
119	Udaipuria
120	Kishanpura
121	Sigod khurd
122	Thathsar
123	Tigaria

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३० का उत्तर देखिये)

List of Bira in Jhalwar Division

S. No.	Jhalawar Range Name of Bir	Approximate area in acres.
1.	Rean Basara	150
2.	Dhanwas	354
3.	Kokanda	268
4.	Bharak	35
5.	Kokandi Doli.	178
6.	Nala Dola.	145
7.	Nala Chatra ka Dola	297
8.	Kheria	186
9.	Biria Khari	23
10.	Panchapura	62
11.	Bag Pipaji (Manapura)	43
12.	Phoot Talwa Bhatia	80
13.	Manda Shampura	242
14.	Jhumki	136
15,	Kishanpura	27
16.	Semli	63
17.	Bawra Khera	41
18.	Shopur Chote	24
19.	Kala kot	134
20.	Jagannath puri	12
21.	Devri	22
22.	Ghotod	14
23.	Salar Magara	66
24.	Misroli Nolakha	35
25.	Misroli Matapichhe	31

१	२	३
26.	-do- Batoria Khurd	2
27.	-do- -do- Kalan	17
28.	Gopalpura	18
29.	Tal Kakria Govrarnad	22
30.	Bajpura	154
31.	Hatynia	31
32.	Devria Phoot Talwa	6
33.	Biramli	20
34.	Mokhanpur Kolwa	28
	RANGE MANOHER THANA.	
1.	Radi Balaram	108
2.	Bukharia	54
3.	Kajlya Kotra	37
4.	Bidhwada	341
5.	Hanka Kalapatha	471
6.	Tantokari	200
7.	Shorti	187
8.	Mavasa, Barubeh, & Birkho Mavasa	1324
9.	Chamber Chekotra	868
10.	Bans Kheri	975
11.	Khankhara Gujran.	—
	RANGE PIRAWA	
1.	Bindaika	290
2.	Deogarh	46
3.	Radi Silehgarh	—
4.	Danta ka khera	130
5.	Teli Sekipura	—
6.	Guradia Kala	42

१	२	३
7.	Sundiadvara	—
8.	Tolagaha Dag	256
9.	Singhpur	438
10.	Kunday	199
11.	Punwandli	314
12.	Banswaria	199
13.	Nolakha Ganghar	131
14.	Samli Khan	--
15.	Dhaturia	—
16.	Kharggpura	—

RANGE ASNAWAR

1.	Bans Chati	15
2.	Akodia	43
3.	Arera	202
4.	Piplia Prathivpura	90
5.	Gao pura	33
6.	Dhosandhata Bhawari	53
7.	Dhanada	33
8.	Semlia Gokul	126
9.	Malatota	270
10.	Charia Kherai	68
11.	Mandawar Sarakwli	10
12.	—do— Kharcha	51
13.	Hanka Atari	275
14.	Khali Mandawa	24
15.	Akodia Jadid	22
16.	Rambi Ghhaligala	45
17.	Monirai Khari	58
18.	Gada Baredi	68

१	२	३
	RANGE AKLERA	
1.	Looharia	52
2.	TaliGulandi	55
3.	Devri Kalan	52
4.	Looharpura	20
5.	Dateala	35
6.	Peapal Kho Kadeem	274
7.	Turkadia	18
8.	Baredia Kalan	23
9.	Churelia	95
10.	Basodia	36
11.	Naya Goan Genesh Ganj	13
12.	Keethon	16
13.	Khuri	48
14.	Reechawa	36
15.	Kookalwara	80
16.	Knovachi Khurd	43
17.	Ametha	249
18.	Pold	51
19.	Awand	46
20.	Bhanpura Voran	95
21.	Ghatoli	61
22.	Nesh	729
23.	Rojha Kalan	25
24.	Bhadri Veran	35
25.	Goria Khera	64
26.	Benda	32
27.	Reachwa Damark	105
28.	Peepla Kho Jadeed	24
29.	Khocha	५

१	२	३
30.	Ghatoli Jadid	3
31.	Arnia Jagir	X
	RANGE BAKANI	
1.	Devri	16
2.	Parthi pura Kalan	75
3.	—do— Chota	7
4.	Khia Khori	102
5.	Mori	884
6.	Reachawa	51
7,	Narsinghpura	17
8.	Bheri Khurd	34
9.	Bhalna	361
10.	Beragar	62
11.	Kher Dantha	25
12.	Seven ya	868
13.	Ratan pura	27
14	Pateri Khera	14
15.	Bhade Kalan	25
	RANGE KHANPUR	
1.	Gadar wara Noorji	36
2.	Nanka borband	1007
3.	Daguria	51
4.	Dolatpura	54
5.	Modi	16
6.	Hanot Khera	81
7.	Mohammedpur	120
8.	Heti Theheda	17
9.	Mampura	30
10.	Devari Veeran	13
11.	Samarol	8

१	२	३
12.	Umria	28
13.	Dhanoda Kalan	42
14.	Panwad	19
15.	Kangni Khera	20
16.	Savnia	19
17.	Piplaj	486
18.	Sathala South	95
19.	—do—North	95
20.	Jhagar	73
21.	Hinchar	117
22.	Bislia	149
23.	Cothani	128
24.	Dorani	—
25.	Kheri Bhaser Jagir (Sojpur)	—
26.	Bag Ramdurvara	—
27.	Chhajawali Paou Borda Jagir.	—

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक मंगलवार, १७ मार्च, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४२४३	अन्तिम से १५	anv	any
४२४५	अन्तिम से ६	tne	the
४२५९	अन्तिम से ८	ृथक राजस्व	पृथक राजस्व मन्त्री
४२६०	१	कमजम्श	कंजम्पशन
४३७२	६	Method	method
४३७४	अन्तिम से १०	जमनी	ज़माना
४३७५	२	भषण	भाषण
४३९१	अन्तिम से १२	उद्दश्य	उद्देश्य
४३९१	अन्तिम से ७	in come	income
४३९५	४	इग्इलास्टिक	इन्इलास्टिक
४४३७	अन्तिम से २	मानवीन	माननीय
४४५३	अन्तिम दो से	enqui c	enquire